द्वितीय माला, खण्ड ५३—अंक ४०

सोमवार, १० अप्रैल, १९६
२० चैत्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ५३ में अंक ३१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश म

विषय सूची

द्वितीय माला, खण्ड ५३-अंक ३१-४०--२८ मार्च से १० अप्रैल, १९६१/७ से २० चैत्र १८८३ (शक)

अंक ३१—मंगलवार, २८ मार्च, १९६१/७ चैत्र १८८३ (शक)

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर —	
तारांकित प्रश्न संख्या ११३६ और ११३८ से ११४४	३६२३-४३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या	
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११३७ और ११४५, ११४६ और ११४८ से ११७३	३६४३-५६
अतारांकित प्रश्न संख्या २३७४ से २४४४ और २४४६ से २४६७ .	३६५६-६३
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	३६६३-६५
ढिलवां में रेलवे के इमारती लकड़ी के डिपो में आग लग जाने से बर्बादी	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३६६५-६६
प्राक्कलन समिति	
एक सौ बारहवां और एक सौ तेरहवां प्रतिवेदन . .	३६६६-६७
रुद्रसागर में तेल के कुएं के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य .	३६६७-३७००
विधेयक पुरःस्थापित किये गये	३७००
१. दिल्ली (नगरीय क्षेत्र) काश्तकार सहायता विधेयक।	
२. अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक।	
उड़ीसा का आयव्ययक १९६१-६२--सामान्य चर्चा . .	३७०१-१७
उड़ीसा सम्बन्धी लेखानुदानों की मांगें, (१९६१-६२) . .	३७१७-१९
उड़ीसा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक-पुरःस्थापित और पारित .	३७१९-२०
अनुदानों की मांगें	३७२०-२७
गृह-कार्य मंत्रालय	३७२०-२७
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . .	३७२८-२९
दैनिक संक्षपिका	३७३०-३६

अंक ३२--बुधवार, २९ मार्च, १९६१/८ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ११७४, ११७८ से ११८१, ११८४ से ११८७, ११८९ से ११९२, ११९४ और ११७७ . .	३७३७-६१

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७५, ११७६, ११८२, ११८३, ११८८, ११९३, ११९५ से ११९८ . . . . . ३७६२–६५

अतारांकित प्रश्न संख्या २४६८ से २५११ और २५१३ से २५१९ . ३७६५–८८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

जलगांव में तेल के कारखाने में आग लगना . . . ३७८८

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३७८९–९०

राज्य-सभा से सन्देश ३७९०

तार-विधियां (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा से संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया ३७९०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

इकास्सीवां प्रतिवेदन ३७९१

प्राक्कलन समिति

एक-सौ-चौदहवां प्रतिवेदन ३७९१

तारांकित प्रश्न संख्या १०९२ के उत्तर में शुद्धि . . . ३७९२

अनुदानों की मांगें ३७९१–३८५४

गृह-कार्य मंत्रालय ३७९१–३८२७

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . . ३८२७–५४

दैनिक संक्षेपिका ३८५५–६०

अंक ३३—गुरुवार, ३० मार्च, १९६१/९ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९९ से १२०२, १२०४ से १२०६ और १२११ से १२१४ . . . . . . ३८६१–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०३, १२०७ से १२१० और १२१५ से १२२१ ३८८२–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या २५२० से २५५८ . . ३८८७–३९०६

स्थगन प्रस्ताव

शासक दल द्वारा निर्वाचन कार्यों के लिये प्रशासनिक व्यवस्था का कथित दुरुपयोग ३९०६–०७

विषय सूची | पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नवादा में इमारती लकड़ी के डिपो में आग लगना । . . ३९०८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३९०८–०९

प्राक्कलन समिति

एक सौ पन्द्रहवां और एक सौ सोलहवां प्रतिवेदन . . ३९०९

अनुदानों की मांगें ३९०९–५५

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय ३९०९–३३

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय . . . ३९३४–५५

बीज उत्पादन निगम के बारे में आध घंटे की चर्चा . . ३९५५–५७

दैनिक संक्षेपिका ३९५८–६१

अंक ३४—शनिवार, १ अप्रैल १९६१/११ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२२, से १३३२, १२३२ और १२३४ . ३९६३–८७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . ३९८७–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३३ और १२३५ से १२५६ . . ३९८८–९७

अतारांकित प्रश्न संख्या २५५९ से २६२६, २६२८, २६३०, २६३२ से २६४२ और २६४४ से २६४६ . . . . ३९९७–४०३४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

गोआ के साथ व्यापार पर लगे प्रतिबन्ध को हटाना . . ४०३४–३५

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४०३६

राज्य सभा से सन्देश ४०३७

न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) विधेयक

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . ४०३७

प्राक्कलन समिति

एक सौ बीसवां और एक सौ बाईसवां प्रतिवेदन . ४०३७

रुद्रसागर में तेल के कुएं संख्या १ के बारे में वक्तव्य . . . ४०३८–३९

विषय सूची

	पृष्ठ
सभा का कार्य	४०४०
अनुदानों की मांगें	४०४०–८०
सिचाई और विद्युत् मंत्रालय	४०४०–७६
वैदेशिक कार्य मंत्रालय	४०७७–८०
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों सम्बन्धी समिति	
इकासीवां प्रतिवेदन	४०८१
समस्त प्रादेशिक भाषाओं के लिये देवनागरी को सामान्य लिपि बनाने के बारे में संकल्प	४०८१–९४
कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प	४०९४–९७
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	४०९४–९७
श्री शि० ला० सक्सेना	४४९७
दैनिक संक्षेपिका	४०९८–४१०४
अंक ३५—सोमवार, ३ अप्रैल, १९६१/१३ चैत्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १२५७ से १२५९, १२६१ से १२६४, १२६६, १२६७ और १२७० से १२७२	४१०५–२९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३	४१२९–३१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १२६०, १२६५, १२६८, १२६९ और १२७३ से १२८४	४१३१–३८
अतारांकित प्रश्न संख्या २६४७ से २७०५	४१३८–६८
स्थगन प्रस्ताव—	
बस्तर की स्थिति	४१६४–६७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
लिस्बन से सैनिकों को गोआ भेजा जाना	४१६७
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४१६७–६८
राज्य-सभा से सन्देश	४१६८
उड़ीसा राज्य-विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप से सभा पटल पर रखा गया	४१६८

विषय-सूची पृष्ठ

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . ४१६८

लोक-लेखा समिति . . . ४१६८

पैंतीसवां प्रतिवेदन ।

प्राक्कलन समिति--

एक सौ तीसवां प्रतिवेदन ४१६६

अनुदानों की मांगें ४१६६–४२११

वैदेशिक कार्य मंत्रालय ४१६६–४२१२

दैनिक संक्षेपिका ४२१२–१७

अंक ३६--मंगलवार, ४ अप्रैल, १९६१/१४ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२८५, १२८६, १२८८ से १२९०, १२९३ से १२९६, १२९८, १२९९, १३०१ से १३०३ और १३०५ से १३०७ . ४२१९–४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२८७, १२९१, १२९२, १२९७, १३००, १३०४ और १३०८ से १३१५ . . . . ४२४५–५२

अतारांकित प्रश्न संख्या २७०६ से २७६७-- . . ४२५२–७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

नैपाल में त्रिशूली बाजार के कस्बे में स्थिति . . ४२७८

सभा पटल पर रखा गया पत्र ४२७८–७९

राज्य सभा से सन्देश ४२७९

मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक--

राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया ४२७९

प्राक्कलन समिति--

एक सौ नौवां प्रतिवेदन और एक सौ इक्कीसवां प्रतिवेदन . ४२७९

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--

तेईसवां प्रतिवेदन ४२७९

सदस्य के कथन को वाद-विवाद में से निकालना . . . ४२८०–८१

विशेषधिकार के प्रश्न के बारे में ४२८१–८२

अनुदानों की मांगें ४२८२–४३२७

श्रम और रोजगार मंत्रालय ४२८२–४३३४

दैनिक संक्षेपिका ४३३५–३९

पृष्ठ

अंक ३७—बुधवार, ५ अप्रैल, १९६१/१५ चैत्र, १८८३ (शक)

सदस्य द्वारा राज्य ग्रहन ४३४१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३१६ से १३२४ और १३५३ . . ४३४१—६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२५ से १३५२ और १३५४ से १३५६ . ४३६६—७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २७६८ से २८५२ . . . ४३७९—४४१९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भारतीय उद्भव से व्यक्तियों को राशन कार्ड न दिये जाने के सम्बन्ध मे श्रीलंका सरकार का कथित निर्णय . . . ४४२०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . . ४४२१—२२

प्राक्कलन समिति—

एक सौ तेईसवां प्रतिवेदन ४४२२

गेहूं तथा गेहूं से बनी चीजों के लाने ले जाने पर से क्षेत्रीय प्रतिबन्ध को हटाने के बारे मे वक्तव्य . . . . . . ४४२२—२३

अनुदानो की मांगें—

पुनर्वास मंत्रालय . . . . ४४२३—५०

परिवहन और संचार मंत्रालय . . . . ४४५१—७०

शिक्षण संस्थाओं को वाणिज्यिक ढंग पर चलाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा ४४७०—७७

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४४७८—८४

अंक ३८—गुरुवार, ६ अप्रैल १९६१/१६ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५७, १३५९, १३६०, १३६२ से १३६४, १३६६, १३६७ और १३६९ से १३७३ . . . . ४४८५—४५०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५८, १३६१, १३६५, १३६८ और १३७३ से १३८० . . . . . . ४५०९—१४

अतारांकित प्रश्न संख्या २८५३ से २८९१ . . . ४५१५—३३

स्थगन प्रस्ताव—

पाकिस्तानी पुलिस द्वारा एक भारतीय अधिकारी का अपहरण . ४५३३—३६

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४५३६

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही—सारांश ४५३६–३७

सभा पटल पर रखे गये पत्र के बारे मे ४५३७

प्राक्कलन समिति—

एक सौ चौबीसवां तथा एक सौ तैंतीसवां प्रतिवेदन . . ४५३७

तारांकित प्रश्न संख्या ६५६ के उत्तर में शुद्धि . . . ४५३७

अनुदानों की मागें . . . . . . ४५३८—६८

परिवहन तथा संचार मंत्रालय . . . ४५३८—६८

वक्तव्य में शुद्धि ४५५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ४५६६—४६०२

अंक ३६—शुक्रवार ७ अप्रैल, १६६१/१७ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३८१ से १३८६, १३८८ से १३६१, १३६४, १३६५ और १३६७ से १३६६ . . . . . . ४६०३—२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३८७, १३६२, १३६३, १३६६ और १४०० से १४०३ . . . . . . ४६२७—३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २८६२ से २८६६, २६०१ से २६१६ और २६१८ से २६७२ . . . . ४६३०—६८

स्थगन प्रस्ताव—

कठुआ की सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं के भारतीय राज्य-क्षेत्र में प्रवेश और भारतीय सेनाओं पर गोली चलाना . . . ४६६८—७०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आन्ध्र प्रदेश के कुछ जिलों में बाल पक्षाघात का रोग महामारी के रूप में फैलना . . ४६७०—७२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३६७२–७३

सभा का कार्य . . ४६७३

लोक लेखा समिति—

छत्तीसवां प्रतिवेदन ४६७३

विषय सूची

	पृष्ठ
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ सत्रहवां तथा एक सौ छब्बीसवां प्रतिवेदन .	४६७४
अनुपस्थिति की अनुमति	४६७४–७५
समितियों के लिये निर्वाचन	४६७५–७६
१. प्राक्कनल समिति	४६७५
२. लोक लेखा समिति	४६७५–७६
लोक लेखा समिति—	
राज्य सभा के सदस्यों के संबद्ध होने के बारे में प्रस्ताव . .	४६७७
अनुदानों की मांगें	४६७७—४७०६
परिवहन तथा संचार मंत्रालय	४६७७—८१
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	४६८१—४७०६
तेलों के जमाये जाने पर रोक विधेयक (श्री झूलन सिंह का)	
विचार करने का प्रस्ताव	४७०७—१९
हिन्दू उतराधिकार (संशोधन) विधेयक—	
(धारा १४ का संशोधन) (श्री सुब्बया अम्बलम् का) . .	४७१९—२१
विचार करने का प्रस्ताव	४७१९—२१
आधे घंटे की चर्चा	४७२१—२६
दैनिक संक्षेपिका	४७२७—३३
अंक ४०—सोमवार, १० अप्रैल, १९६१/२० चैत्र १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४०४ से १४१२, १४१४, १४१६, १४१७, १४१९, १४२१ और १४२२	४७३५—५५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४	४७५६–५७
प्रश्नो के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४१३, १४१५, १४१८, १४२० और १४२३ से १४३२	४७५७—६५
अतारांकित प्रश्न संख्या २९७३ से ३०३५ . . .	४७६५—९२
निधन सम्बन्धी उल्लेख . . .	४७९२
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	४७९२
कर्नल भट्टाचार्य के बारे मे वक्तव्य . . .	४७९२–९३
जम्मू और काश्मीर युद्धविराम रेखा पर कथित दुर्घटना के बारे में वक्तव्य .	४७९३–९४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४७९४

प्राक्कलन समिति--

एक सौ अट्ठाईसवां प्रतिवेदन ४७९४

अनुदानों की मांगें ४७९४-४८२७

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

कलकत्ते के विकास के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . ४८२७-२९

दैनिक संक्षेपिका ४८३०-३४

नोट :--मौखिक उत्तर वाले प्रश्न मे किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा मे उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

सोमवार, १० अप्रैल, १९६१

२० चैत्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की काम की शर्तें

+

†*१४०४. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री वारियर :
श्री कोडियान :
श्री पुन्नूस : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २४ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की काम की शर्तों के बारे मे अन्तर्विभागीय जांच सम्बन्धी रिपोर्ट मिल गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : अनुमान था कि यह समिति मार्च, १९६१ तक रिपोर्ट पेश करेगी । वह कब तक संभवतः प्राप्त हो जायगी ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मुझे यह बताया गया है कि यह समिति जून के अन्त तक अपनी रिपोर्ट पेश कर सकेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

395 (Ai) LSD—1.

†श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या समिति कलकत्ता और बम्बई के सिवा किसी दूसरे शहर में गयी थी ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी हां, कलकत्ता और बम्बई के सिवा वह और कई राज्यों में गयी थी ।

†श्री साधन गुप्त : अन्तर्विभागीय समिति के विचारणीय विषय क्या हैं ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : विद्यमान कल्याण व्यवस्था की समीक्षा करने तथा उसमें सुधार के लिए सिफारिशें करने के लिए अन्तर्विभागीय समिति कायम की गयी है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : यह कमेटी कर्मचारियों की काम की दशा की जांच करने के लिए नियुक्त की गयी है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह कमेटी इस बात की भी जांच करेगी कि कर्मचारियों के पास पूरा काम है या नहीं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : क्या इस बात की जांच के लिए आपने प्रश्न किया कि कर्मचारियों के पास पूरा काम है ?

श्री म० ला० द्विवेदी : मेरा खयाल है कि बहुत से कर्मचारियों के पास पूरा काम नही है । क्या सरकार इस बात की भी जांच इस कमेटी से करायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह अलग बात है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : इस कमेटी की टर्म्स आफ रेफरेन्स के बारे में मैं पूछना चाहता हूं । क्या कमेटी के टर्म्स आफ रेफेरेन्स में यह भी शामिल है कि वह देखे कि कर्मचारियों के पास पूरा काम है या नहीं ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह कमेटी तो ज्यादातर वेलफेयर एक्टिविटीज के सम्बन्ध में है । इसलिए जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है वह इसमें सीधा नहीं उठता ।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस कमेटी ने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की है ताकि उन्हें मालूम हो जाये कि उनकी क्या क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी हां, यही तो उसका खास काम है कि वह उनके ऐसोसिएशन्स से और दूसरे बाडीज़ से बात करे ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के काम करने की मौजूदा हालत के बारे में उनके संघों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां तो इस समिति के सामने उनकी क्या मांगें हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मांगें कई हैं लेकिन समिति के सामने विचारार्णाय विषय बहुत व्यापक हैं और मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री प्रतीक्षा करें क्योंकि सारा ब्यौरा अभी ही सभा के सामने रखने में कोई अर्थ नहीं। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य को इस बात में अधिक दिलचस्पी होगी कि समिति उनकी सभी मांगों पर पूरा विचार करे और उसकी सिफारिशें सरकार के सामने रखी जायें ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, जब इस कमेटी से मार्च तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था तो यह जून तक का समय क्यों ले रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री लाल बहादुर शास्त्री : बहुत स्पष्ट तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है यह कमेटी अफसरों की ही है। उनको और भी बहुत से काम हैं। उनको सूबों में भी जाना पड़ा और दिल्ली में भी उन्होने बात की है। इसलिए कुछ अधिक समय इसमें लग गया।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस समिति की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जायेगी ताकि संसद् सदस्य उस पर चर्चा कर सकें

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मुझे कोई खास आपत्ति नहीं होगी लेकिन रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद माननीय सदस्य मुझे अन्तिम निर्णय लेने देंगे।

†**श्री प्र० गं० देव** : क्या सरकार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा हाल में चुने गये कर्मचारियों की अपेक्षा अपने निजी कर्मचारियों को वरिष्ठता देने के लिए कोई कड़े नियम बना रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कल्याण के सम्बन्ध में नहीं है। अगला प्रश्न।

सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा

*१४०५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या शिक्षा मंत्री २१ नवम्बर, १९६०के अतारांकित प्रश्न संख्या ४५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन स्थानों पर भारत सरकार के कर्मचारी बड़ी संख्या मे रहते हैं ऐसे कुछ चुने हुए स्थानों पर कर्मचारियों के स्थानान्तरित होने की दशा में उनके बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें देने के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षण संस्थायें स्थापित करने के प्रश्न के बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : इस काम के लिए एक योजना तीसरी पंच वर्षीय आयोजना में शामिल कर ली गयी है और ब्योरे तैयार किये जा रहे हैं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन, इस सम्बन्ध में क्या राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है और उन्होंने कहां तक उसमें सहयोग देने का आश्वासन दिया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी नहीं। राज्य सरकारों से सलाह नहीं ली गयी है। माननीय सदस्य जानते हैं कि दूसरे वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी और सरकार ने वह मंजूर कर ली है। हां, स्कूल राज्य सरकारों के परामर्श से ही खोले जायेंगे।

डा० गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध रखते हैं--मैं एक दृष्टान्त दूंगा जबलपुर की खमरिया फैक्टरी का--जो इतने दूर पड़ते हैं बाकी क्षेत्रों से कि वहां के जो सरकारी नौकर हैं उनके बच्चों को पढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं है, और चार चार ६-६ हजार बच्चे बिना पढ़ाई के चले जा रहे हैं, वहां पर प्राथमिक शिक्षा का भी कोई प्रबन्ध नहीं है। क्या ऐसे स्थानों पर भी स्कूल खोलने का कोई प्रबन्ध किया जाएगा। ताकि वहां सरकारी नौकरों के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इसी तात्पर्य से इन स्कूलों का आयोजन बनाया गया है और इस तरह के स्कूल सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए खोले जायेंगे।

†**श्री गोरे** : संपूर्ण देश में कितनी संस्थाएं चुनी जायेंगी और इस वर्ष क्या सूत्र शुरू होने से पहले क्या दृढ़ निश्चय किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : योजना में हमने २० लाख रुपये की व्यवस्था की है जो बहुत बड़ी रकम नहीं है। ब्यौरे तैयार किये और आवश्यक निधि की व्यवस्था की जायगी। अगर जरूरत पड़ी तो और धन प्राप्त करने की कोशिश हम करेंगे। हमारा इरादा है कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए काफी स्कूल खोले जायें।

†**श्री गोरे** : क्या इस वर्ष का सत्र शुरू होने से पहले ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हम जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अगली जुलाई तक ही ये स्कूल चालू करना संभव हो सकेगा।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : स्थानान्तरण होने पर कर्मचारियों के बच्चों को किस प्रकार की सुविधाएं दी जायेंगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : उन्हें रियायती दर पर रहने खाने की सुविधाएं दी जायेंगी। इन छात्रों को यही मुख्य रियायत दी जायेगी।

†**श्री भा० कृ० कायकवाड़** : ऐसे छात्रावासों में छात्रों के लिए रहने की जगह क्या होगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : वह सब अभी तय करना होगा।

†**श्री साधन गुप्त** : जाहिर तौर पर, केवल अंग्रेजी और हिन्दी माध्यम के स्कूल स्थापित करने की व्यवस्था हैं। उन बच्चों के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है जिनकी पढ़ाई प्रादेशिक भाषाओं में हो रही है और भिन्न प्रदेश में स्थानांतरण के कारण जिनकी शिक्षा में गड़बड़ी हो सकती है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने वाले स्कूल सारे देश में हैं। मुख्य कठिनाई इसलिए पैदा होती है कि सरकारी कर्मचारियों को दूसरी भाषाओं के प्रान्तों में स्थानांतरित किया जाता है जहां दूसरे माध्यम से शिक्षा दी जाती है। इसलिए एक रूपता लाने के लिए केवल अंग्रेजी और हिन्दी माध्यम से शिक्षा देने वाले स्कूल ही खोले जायेंगे।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन, जैसाकि माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है, केन्द्र की ओर से स्कूल खोलने में समय लगेगा। अतः क्या राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि जब तक केन्द्र से स्कूल न खोले जाएं, तब तक वह अपनी ओर से ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : वह तो हो ही रहा है। जो सहूलियत मिल सकती है वह तो मिल रही है। लेकिन ये तो विशेष स्कूल खोले जायेंगे जहां हिन्दी और अंग्रेज़ी के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी।

पनडुब्बी-वेधी 'एलाइज़' विमान

†१४०६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो पनडुब्बी-वेधी 'एलाइज़' नामक १२ फ्रांसीसी विमान हासिल किये जा रहे हैं, उन पर कुल कितनी लागत आयेगी ;

(ख) क्या इन्हें निजी बातचीत के आधार पर प्राप्त किया जा रहा है अथवा इसके लिए विश्व भर से टेंडर मांगे गये थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इन सभी विमानों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है ; और

(घ) यदि हां, तो कहां ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) सरकार को इस बात का खेद है कि राज्य के हित में यह जानकारी नहीं दी जा सकती क्योंकि यह नौसैनिक शक्ति के संबंध में है ।

(ख) बातचीत के जरिये ।

(ग) और (घ). उन्हें फ्रांस में प्रशिक्षण मिल रहा है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : हम यह जानकारी चाहते हैं कि क्या अभी हाल में खरीदे गये विमान वाहक जहाज के लि आवश्यक विमान दुनिया के बाजार से खरीदे जा चुके हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : जी हां, बातचीत के जरिये ।

केवल तीन देश ऐसे हैं जिनसे हमें वे मिल सकते हैं और उन सभी देशों से हमने सम्पर्क कायम किये हैं । भिन्न भिन्न देशों के तीन विमान वाहक जहाजों का मूल्यांकन किया गया था । उस संबंध में न केवल नौसेना के बल्कि सर्वोत्कृष्ट परामर्श और अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि एलाइज़ इस विशिष्ट कार्य के लिए सर्वोत्कृष्ट विमान है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : मंत्रालय ने पनडुब्बी-वेधी विमान की खरीद के बारे में जानकारी देने से इन्कार कर दिया है । क्या मंत्रालय को मालूम है कि यह जानकारी अंग्रेजी समाचारपत्रों में पहले ही उपलब्ध है और क्या मंत्रालय ने वह जानकारी देखी है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : विमान के नाम के बारे में जानकारी बताने से हम इन्कार नहीं कर रहे हैं । प्रश्न संख्या का है । वह बताना इसलिए गलत होगा कि हमने खुद ही उसके बारे में फैसला नहीं किया है । प्रकाशित हो जाने से ही वह सच नहीं हो जाता ।

†**श्री मुरारका** : संख्या प्रश्न में दी हुई है । हम केवल विमान का कुल मूल्य जानना चाहते हैं ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : संख्या प्रश्न में दी हुई है लेकिन प्रश्नकर्ता सरकार नहीं है ।

†**श्री मुरारका** : संख्या देने की जरूरत नहीं है लेकिन कुल मूल्य बताया जा सकता है ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : यदि कुल मूल्य बता दिया जाये तो संख्या मालूम हो जाती है ।

†**श्री मुरारका** : हमें विमान का मूल्य मालूम नहीं है । औचित्य प्रश्न के हेतु, श्रीमान ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रतिरक्षा मंत्रालय संबंधी अनुदानों की मांगों पर वाद विवाद के दौरान में मैं इस औचित्य प्रश्न पर निर्णय दूंगा ।

मैं ने एक दिन कहा था कि मुझे यह बार बार बताया गया है कि प्रतिरक्षा संबंधी जो मामले दूसरे देशों में और खासकर हाउस आफ कामन्स में बताये जाते हैं वे भी इस सभा में गोपनीय जानकारी के बहाने से बताये नहीं जाते । मुझे यह फैसाला करना है कि मैं कहां तक उसके लिए अनुमति दूं और माननीय प्रतिरक्षा मंत्री किस हद तक जानकारी न देने में अपने स्वविवेक का उपयोग कर सकते हैं । खर्च के बारे में प्रत्येक बात सभा को मालूम होनी चाहिये । माननीय प्रतिरक्षा मंत्री प्रतिरक्षा संबंधी ब्यौरा बताने से पहले यह बतायें कि इस बारे में उनकी क्या राय है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुझे मालूम हुआ है कि कुछ समय पहले लोक सभा सचिवालय ने एक छोटी पुस्तिका प्रकाशित की थी। माननीय सदस्य उसे पुस्तकालय में देख सकते हैं। माननीय प्रतिरक्षा मंत्री जो कुछ कहना चाहते हों, मांगों पर वाद विवाद के दौरान कहें।

†**श्री कृष्ण मेनन** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। आपने कहा कि हाउस आफ कामन्स में जो जानकारी दी जाती है वह भी यहां नहीं दी जाती लेकिन जब समय आयगा, आशा है आप उस समय मुझे यह कहने की इजाजत देंगे कि वह कहां तक स्थिति के अनुरूप हैं और वहां कितनी भिन्न परिस्थिति है।

इस विशिष्ट प्रश्न के संबंध में विमान का नाम बताने में कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन हम खरीद की कीमत नहीं बता सकते।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सभा को यह मालूम नहीं होना चाहिये कि हम प्रतिरक्षा पर कितना खर्च कर रहे हैं? वह इकट्ठी रकम होगी और उसका हिसाब लगाने का कष्ट कोई नहीं करेगा लेकिन यदि वे इतने बुद्धिमान हों, तो वे कंपनी से ही पूछ सकते हैं।

†**श्री कृष्ण मेनन** : यह सरकारों के बीच का लेन देन है। यह फ्रांसीसी सरकार और हमारे बीच का सौदा है। इस मामले में कुछ कठिनाइयां हैं जो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब हम प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगें उठायेंगे तब माननीय मंत्री हमें बतायें कि हम इस मामले में कितना आगे बढ़ सकते हैं।

चाय पर आसाम सड़क कर और पश्चिम बंगाल प्रवेश कर

†*१४०७. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वित्त** मंत्री २४ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम सरकार के इस अनुरोध पर विचार कर लिया है कि चाय पर आसाम सड़क वहन कर और पश्चिम बंगाल प्रवेश कर हटा कर उसके स्थान पर एक केन्दीय कर लगा दिये जाय जिससे प्राप्त रकम को उत्पादक राज्यों में वितरित किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). वर्तमान स्थिति एक साल तक जारी रखी जा रही है और उसके बाद इस विषय पर आगे विचार किया जायेगा।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या सरकार जानती है कि इन करों से हमारी चाय विदेशों में महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा निर्यात व्यापार कठिन हो जाता है? यदि हां, तो ये कर हटा देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

†**श्री ब० रा० भगत** : इन सब बातों पर विचार करने के बाद ही हमने यह निश्चय किया है कि ये कर एक साल और जारी रखें जायें क्योंकि राज्य सरकारें बराबर यही कहती रहीं कि उनकी आमदनी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा?

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या असम सड़क कर के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक मुकदमे में यह फैसला दिया गया था कि इस प्रकार के कर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना अवैध हैं? क्या सरकार को मालूम है कि असम सरकार विधान सभा में एक नया विधेयक पेश कर रही है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब० रा० भगत : वह ठीक है ।

†श्री ० चं० बरुग्रा : क्या इन दो सड़क करों को मिला कर एक केन्द्रीय कर बना देने तथा राज्य सरकारो को उस का एक हिस्सा देने के बारे में असम सरकार की प्रार्थना केन्द्रीय सरकार के पास पहुंची है ?

†श्री ब० रा० भगत : असम, पश्चिम बंगाल, केरल और उड़ीसा जैसे राज्यों के वित्त मंत्रियों और केन्द्रीय वित्त मंत्रियों की बैठक में इस संपूर्ण विषय पर विचार किया गया था और उस के परिणाम-स्वरूप ही यह निश्चय किया गया था ।

†श्री प्र० चं० बरुग्रा : क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस योजना का विरोध किया था और इसी कारण देर हुई ?

†श्री ब० रा० भगत: जैसा कि, मैं ने बताया, इस सम्मेलन में सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिधि थे । हम ने एक साल यह कर जारी रखने का निश्चय किया और वित्त आयोग एक साल बाद अर्थात्, मार्च, १९६२ के इस के प्रभाव पर विचार करेगा और इसी बात की संभावना पर विचार करेगा कि कम भार वाला एक सामान्य कर लगाया जा सकता है या नहीं । चर्चा में यह सब बातें आयीं और फिर यह निश्चय किया गया ।

†श्री हेम बरुग्रा : क्या यह स्थानीय कर अर्थात् असम सड़क वहन कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण गैर-कानूनी कर है ? यदि हां, तो सरकार उसे एक साल तक कैसे जारी रखना चाहती है ?

†श्री ब० रा० भगत : अध्यादेश पर राष्ट्रपति की अनुमति के फलस्वरूप सारी चीज को, खासकर पहले की वसूलियों को, वैध बना दिया गया था ।

†अध्यक्ष महोदय : तकनीकी मंजूरी के कारण उसे गैर-सरकारी कानूनी घोषित किया गया था अब उसे नियमित बना दिया गया है ।

†श्री सूपकार : उच्चतम न्यायालय के निर्णय का आशय यह है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है । राष्ट्रपति को मंजूरी देने मे क्या अड़चन है ? वह मंजूरी ले लेने के लिये सरकार राज्य सरकारों को क्यों परामर्श नहीं देती ? क्या सरकार का यह सलाह देने का विचार है कि इस तरह का बिल विभिन्न विधान मंडलों में न लाया जाये ? क्या इस हानि को किसी दूसरे तरीके से पूरा करने का सरकार का विचार है ?

†श्री ब० रा० भगत : यह एक निराधार प्रश्न है । विभिन्न राज्य विधान मंडल विधान प्रस्तुत करने के मामले पर विचार कर रहे हैं । माननीय सदस्य जिस राज्य के हैं उस ने भी इस मामले पर विचार किया है । चूंकि वहां विधान मंडल भंग कर दिया गया है इसलिये यहां विधि मंत्रालय में इस विषय पर विचार किया जा रहा है । अतः इस विधान प्रक्रिया की छान-बीन और उस पर विचार हो रहा है ।

†श्री अमजद अली : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि राष्ट्रपति की सहमति के साथ नये नये विधान से यह दोष दूर कर दिया गया है ? असम विधान मंडल में उस आशय का एक विधेयक पेश किया गया था और वह कानून बनाया जा चुका है ।

†श्री ब० रा० भगत : दोष क्या है, मैं नहीं जानता । राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये अनुमति आदेश से उसे वैध बना दिया गया है । अब कोई त्रुटि नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अमजद अली** : भारतीय उच्चतम न्यायालय ने इसलिये उसे अवैध घोषित किया था कि विधान सभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त नहीं हुई थी। बाद में राज्य विधानमंडल में विधेयक पेश किया गया और पास किया गया। अब वह कानून बन गया है।

†**श्री ब० रा० भगत** : वह ठीक है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : हम नहीं जानते कि माननीय उपमंत्री ने किस अध्यादेश का उल्लेख किया।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कब जारी किया गया था ?

†**श्री ब० रा० भगत** : जैसा कि मैं ने बताया, उच्चतम न्यायालय ने चाय और पटसन पर कर लगाने वाले असम कराधान अधिनियम को गैर-कानूनी घोषित किया था, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त नहीं हुई थी। इस तकनीकी आधार पर ही बिना गुण दोष का विवेचन किये, उस ने इस कर को अवैध बताया। अब राष्ट्रपति के अध्यादेश पर अनुमति तथा राज्य विधेयक पर सहमति यह ठीक कर दिया गया है।

छात्रों में राष्ट्रीय चेतना

†*१४०८. **श्री पांगरकर** :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्रीमती कृष्ण मेहता :
श्री कालिका सिंह :
श्री पहाड़िया :
श्री भक्त दर्शन :

क्या शिक्षा मंत्री २४ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के नवयुवकों में, विशेषत: स्कूल जाने वाले बच्चों में, राष्ट्रीय चेतना का राष्ट्र-व्यापी आधार पर विकास करने का कार्यक्रम तैयार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) इस सम्बन्ध में एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने के लिये एक समिति स्थापित करने की बात पर विचार हो रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मैं सभा को आगे यह भी बता दूं कि हम इस समिति के विचारणीय विषय तथा कर्मचारियों के संबंध में निर्णय कर रहे हैं। ज्योंहि यह निर्णय हो जायेगा, हम घोषणा करेंगे।

†**श्री पांगरकर** : विचारनीय विषय निर्धारित करते समय, क्या राज्यों की विभिन्न शिक्षा संस्थाओं की राय पर भी विचार किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : उस पर तो समिति विचार करेगी ?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या "राष्ट्रीय" चेतना की ठीक ठीक परिभाषा निर्धारित करना इस समिति का एक विचारणीय विषय होगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्य तब तक ठहरें जब तक कि हम विचारणीय विषय तय न कर लें ?

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सच है कि इस समिति की अध्यक्षता के लिये माननीय डा० सम्पूर्णानन्द जी से अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो क्या उन्हों ने इस को स्वीकार कर लिया है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, उन्हों ने इस का अध्यक्ष होना स्वीकार कर लिया है।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : जब हमारे प्रधान मंत्री स्वयं 'एक संसार' के रूप में सोचते हैं तो क्या यह अधिक अच्छा न होगा कि छात्रों में 'एक संसार' की चेतना बढ़ायी जाये ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : एक संसार में भिन्न भिन्न राष्ट्र होते हैं।

श्री पहाड़िया : मैं जानना चाहता हूं कि क्याा इस तरह की योजना बनाते समय इस सिलसिले में उन संस्थाओं की सहायता ली जायेगी और उन को सुविधायें दी जायेंगी, जो कि विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना लाने के सम्बन्ध में काम कर रही हैं, जैसे अणुव्रत विद्यार्थी परिषद् है, ताकि वे भी इस क्षेत्र में सहयोग दे सकें।

डा० का० ला० श्रीमाली : यह तो वह कमेटी तय करेगी कि वह कैसे कार्य करे।

डा० गोविन्द दास : चूंकि यह कमेटी बहुत महत्वपूर्ण होगी, इस लिये क्या इस के टर्म्ज आफ रेफरेंस को तय करने के लिये भिन्न भिन्न राज्य सरकारों और भिन्न भिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से भी सलाह ली जायेगी ?

डा० का० ला० श्रीमाली: राज्य सरकारों से सलाह ली गई थी। पिछली दफा एजूकेशन मिनिस्टर्ज कांफ्रेन्स में इस मामले पर काफी विस्तार के साथ विचार किया गया था और सब की यह राय थी कि जितनी जल्दी हो सके, इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाये।

डा० गोविन्द दास : क्या भिन्न भिन्न शिक्षण-संस्थाओं से इस सम्बन्ध में टर्म्ज आफ रेफरेंस के सम्बन्ध में राय ली गई थी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : अगर हजारों संस्थाओं से पूछने जायेंगे, तो बड़ा मुश्किल होगा। तब तो यह कमेटी कभी बैठेगी भी नहीं।

दुर्गापुर का कोयला धोने का कारखाना

+

†*१४०६. { **श्री मुरारका** :
श्री नथवानी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर के कोयला धोने के कारखाने की स्थापित क्षमता कितनी है;

(ख) क्या इस क्षमता के अनुसार उत्पादन हो रहा है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†इस्पात खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) ३६० टन प्रति घंटा या ८००,००० टन प्रति वर्ष :

(ख) और (ग). यह कारखाना अपनी मासिक क्षमता (मंथली रेटेड कैपेसिटी) का ७५ प्रतिशत कोयला पहले ही धो चुका है यद्यपि उस ने अपना काम अगस्त, १९६० में ही शुरू किया था। पूरी क्षमता से उस के काम न करने का मुख्य कारण यह है कि आधे इंच वाले कोयले की सप्लाई बहुत अधिक थी।

†श्री मुरारका : पहले प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि आरम्भ से ३० नवम्बर, १९६० तक कुल उत्पादन सिर्फ ९८,००० टन था और यह २ अप्रैल, १९६० को शुरू हुआ था। इस प्रकार आठ महीनों में केवल ९८,००० टन उत्पादन हुआ। उत्पादन में इस बड़ी कमी का क्या कारण है और दुर्गापुर इस्पात कारखाने को सप्लाई किस प्रकार की गयी थी ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य पुराने तरीकों का उल्लेख कर रहे हैं। मैं उत्पादन की वर्तमान दरों के आंकड़े बताना चाहता हूं। जनवरी, १९६१ में उत्पादन ५०,८८१ टन, फरवरी, १९६१ में ३९,६९८ टन और मार्च, १९६१ में ४५,४०३ टन था। इस कमी का मुख्य कारण यह था कि दुर्गापुर में सभी कोक ओवन प्लान्टस अभी तक चालू नहीं किये गये हैं। इसलिए वह कारखाना केवल दुर्गापुर की आवश्यकता पूरी करने के लिए कोयला धो रहा है और परियोजना अधिकारी संतुष्ट हैं कि वह कारखाना (वाशरी) संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है। वह प्रति घन्टे ३६० टन अर्थात ८ लाख टन प्रतिवर्ष की दर से कोयला धो सकता है।

†श्री मुरारका : इस कारखाने की कुल लागत क्या है और क्या वह ठेकेदारों से ले ली गयी है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : इस के लिए सूचना की आवश्यकता है क्योंकि वह इस सवाल से पैदा नहीं होता।

†श्री मुरारका : क्या यह सच नहीं कि कुछ समय तक, कोयले की कमी के कारण दुर्गापुर में उत्पादन कम हुआ और क्या ३६० टन के आंकड़े आठ घंटे वाली पाली के लिए थे और क्या यह कारखाना १६ घंटे प्रति दिन काम करेगा ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : कोयले की सप्लाई के बारे में कठिनाइयां थीं। अब पिछले कई महीनों से दुर्गापुर तथा दूसरे कारखानों के लिए सप्लाई संतोषजनक रही है। यह बताना संभव नहीं है कि कोयले की कमी के कारण किसी समय वास्तव में उत्पादन कम हुआ या नहीं ? कुछ थोड़े समय के लिए शायद कोयले की कमी हुई हो लेकिन अब दुर्गापुर में इस संबंध में स्थिति बहुत ठीक है।

मैं बता चुका हूं कि ३६० टन प्रति घंटे की क्षमता है। यदि वह कारखाना आठ घंटे काम करता है या सोलह घंटे काम करता है तो उत्पादन उसका आठ गुना या सोलह गुना होगा।

†अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि कारखाना वास्तव में आठ घंटे काम करता है या सोलह घंटे काम करता है। वह यह जानना चाहते हैं कि अभी कारखाने में क्या हो रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†सरदार स्वर्ण सिंह : आज कल कारखाना प्रति दिन लग भग १८०० टन धोया हुआ कोयला देता है ।

†अध्यक्ष महोदय : वह कितने घंटे काम करता है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : यहां मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

ब्रेल लिपि की पुस्तकें

*१४१०. श्री विभूति मिश्र : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेत्रहीन लोगों के लिये ब्रेल लिपि में किताबें छपाने की कोई व्यवस्था की है ।

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संबंध में सोच रही है ;

(ग) क्या सरकार कोई ऐसा पुस्तकालय खोलने का विचार कर रही है जिस में नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिये ब्रेल लिपि में छपी किताबें रखी जाय और सारे देश में उधार दी जाये ; और

(घ) यदि हा, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं ।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि ब्रेल लिपि की पुस्तकें तैयार करने के सम्बन्ध में सरकार ने कितने खर्च का अन्दाज़ा लगाया है और क्या वह उन पुस्तकों को सारे देश में हमारे अन्धे भाइयों को देने का इन्तज़ाम करने के बारे में सोच रही है ।

†डा० का० ला० श्रीमाली : जहां तक प्रेस का संबंध है, १९५६-५७ से ३१ जनवरी, १९६१ तक २,६१,३११ रुपये प्रेस के प्रशासन और ब्रेल साहित्य के निर्माण पर खर्च किये गये थे और तीसरी योजना में, प्रेस के विस्तार के लिए ५ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

श्री विभूति मिश्र : जो किताबें निकलेंगी, क्या वे सारे देश में अन्धे विद्यार्थियों को उपलब्ध हो जायेंगी ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां । यही कल्पना थी कि इस राष्ट्रीय ब्रेल पुस्तकालय से किताबें देश में विद्यार्थियों और अन्धे पाठकों को मुफ्त दी जायेंगी और इस जगह से बाहर के अंधे पाठकों को ये पुस्तकें डाक खर्च में से मुफ्त भेजी जायेंगी ।

†श्री साधन गुप्त : ब्रेल लिपि की पुस्तकें छापने के लिए जो कुछ व्यवस्था है वह केन्द्रीय ब्रेल प्रेस है और वह अपर्याप्त है । यह इस बात से स्पष्ट है कि अभी तक टैगोर शताब्दि पर ब्रेल प्रेस से कोई किताब नहीं छापी गयी है । इस कमी को देखते हुए क्या विभिन्न प्रदेशों में प्रादेशिक ब्रेल प्रेस स्थापित किये जायेंगे ताकि उन भाषाओं के पाठकों की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†डा० का० ला० श्रीमाली : प्रादेशिक प्रेस स्थापित करने की अभी कोई योजना नहीं है। वास्तव में विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में सेन्ट्रल ब्रेल प्रेस से पुस्तकें तैयार की जा रही हैं। मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि हम ने अभी तक हिन्द्री के अलावा बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तामिल, तेलुगु और अंग्रेजी में पुस्तकें प्रकाशित की हैं।

†श्री साधन गुप्त : मुझे मालूम हुआ है कि केवल एक प्राइमर बंगला में प्रकाशित हुआ है। उदाहरणार्थ टैगोर पर अभी कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है ।

†डा० का० ला० श्रीमाली : काम शुरू हो चुका है और मुझे विश्वास है कि ज्योंही हम सुविधाऐं बढ़ायेंगे, अधिक पुस्तकें प्रकाशित होंगी । आरंभ में हम केवल प्राइमर ही प्रकाशित कर सकते हैं क्योंकि वह शुरुआत है।

†श्री मुनस्वामी : क्या ब्रेल लिपि में कोई पत्रिका प्रकाशित की जा रही है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : "आलोक" नाम की एक त्रैमासिक पत्रिका भी वे प्रकाशित कर रहे हैं।

कालेजों का विश्वविद्यालयों से सम्बन्ध

†*१४११. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
ज्ञानी गु० सिं० मुसाफिर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कालेजों को सम्बद्ध करने के बारे में सभी विश्व विद्यालयों में एक सी प्रणाली चालू करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां ।

(ख) विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ने इन सुझावों की ओर सभी विश्वविद्यालयों का ध्यान दिलाया है ।

†श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या संबंधित विश्वविद्यालयों ने अभी तक अपनी अपनी राय जाहिर की है और यदि हां तो किन किन विश्वविद्यालयों की राय मालूम की गयी है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : यह जानकारी उपलब्ध नहीं है । हम इस मामले में जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं।

†श्री हेम बरुआ : इस बात को देखते हुए कि कालेजों को संबद्ध करने के बारे में एक सी प्रणाली लागू करने से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तशासित्ता पर बुरा असर पड़ेगा, संबद्ध करने की प्रणाली का इस प्रकार प्रतिमान निर्धारित करने की कोशिश के क्या विशेष कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मुझे आशंका है कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तशासिता के बारे में माननीय सदस्य के अपने विचार हैं। यह सब विश्वविद्यालयों के परामर्श से किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में विभिन्न शिक्षा शास्त्री और उपकुलपति प्रतिनिधि के रूप में होते हैं और सामान्यतया जो भी काम किया जाता है, विश्वविद्यालयों के परामर्श से किया जाता है। वह उन पर लादा नहीं जाता। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आंकड़े इकटठे करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कालेजों को संबद्ध करने की प्रथाओं के संबंध में भारी परिवर्तन है। इस बारे में कि वे एक निश्चित स्तर तक पहुंच जायें जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उत्तरदायित्व है, यह महसूस किया गया कि एक सा स्टैन्डर्ड कायम किया जाये। तब आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आन्ध्र, दिल्ली और मद्रास विश्वविद्यालयों में प्रचलित प्रथा दूसरे विश्वविद्यालयों में प्रचलित प्रथाओं की अपेक्षा अधिक संतोषजनक थी और इसलिये आयोग ने दूसरे विश्वविद्यालयों से भी यहीं तरीका अपनाने की प्रार्थना की है। अतः इन दूसरे विश्वविद्यालयों की स्वायतशासिता भंग करने का कोई प्रश्न नहीं है।

विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के अध्यापकों के वेतन

†*१४१२. **श्री पहाड़िया** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है कि स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनो में वृद्धि करने की प्रस्थापनाओं की जांच करने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से एक उपयुक्त निकाय की नियुक्ति की जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सुझाव पर विचार करने का है ; और

(ग) यदि हां, तोइस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी, हां।

(ख) और (ग). मामला विचाराधीन है।

†**श्री पहाड़िया** : क्या यह सच है कि कम वेतन के कारण बहुत से विद्वान व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं, और यदि हां, तो क्या सरकार कालेजों और विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों के वेतन बढ़ाने का विचार रखती है ताकि वे भारतीय प्रशासन सेवा और प्रांतीय असैनिक सेवा अधिकारियों के स्तर तक लाये जा सकें ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सरकार ने विभिन्न कार्यवाहियां की हैं और हम यत्न करते रहेंगे कि सभी स्तरों पर शिक्षकों के वेतन क्रम बढ़ा दिये जायें ताकि प्रतिभावान व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में आ सकें। यह सच है कि इस समय कम वेतनों के कारण प्रतिभावान व्यक्ति इस क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं हो रहे हैं और यदि होते भी हैं, तो बाद में उस व्यवसाय को छोड़ देते हैं।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : क्या सरकार संस्थाओं के निकट ही शिक्षकों के लिये मकान बनवाने की योजना को गति देने के संबंध में यत्न करेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह तो कार्यवाही के लिये एक सुझाव है।

†**श्री पहाड़िया** : क्या सरकार विश्वविद्यालयों और कालेजों के शिक्षकों के लिये एक अखिल भारतीय केडर तैयार करने का कोई विचार रखती है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जहां तक विश्वविद्यालयों का सबन्ध है, उन्होंने एक स्टैंडर्ड के अनुसार वेतन क्रम को निर्धारित करने का यत्न किया है। परन्तु सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिये एक स्थापित करना संभव नहीं है, क्योंकि शिक्षकों को वेतन देना राज्य सरकारों का काम है।

†**श्री थानू पिल्ले** : माननीय मंत्री ने यह कहा है कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों के वेतन क्रम को सुधारने के लिये एक योजना विचाराधीन है। क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई वेतनक्रम निर्धारित किये गये हैं; और यदि हां, तो क्या वह सभी विश्वविद्यालयों द्वारा उन वेतनक्रमों को स्वीकार कर लिया गया है और यदि नहीं, तो किस किस विश्वविद्यालय ने अभी तक लागू नहीं किये हैं और उसके क्या कारण हैं।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मुझे इस बारे में ज्ञात नहीं है, परन्तु अधिकांश विश्वविद्यालयों ने उसे लागू किया है। जिन राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित वेतनक्रमों से कम थे, उनके वेतन क्रम बढ़ा दिये गये हैं, लगभग २१ संस्थाओं द्वारा वेतनक्रम बढ़ा दिये गये हैं।

†**श्री थानू पिल्ले** : मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि किस किस ने नहीं बढ़ाये हैं?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : ऐसे कई विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने वेतन क्रम नहीं बढ़ाये हैं।

†**श्री थानू पिल्ले** : मद्रास विश्वविद्यालय की क्या स्थिति है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं सम्पूर्ण विवरण सभा-पटल पर रख दूंगा। कठिनाई यह है कि कुछ एक विश्वविद्यालय तथा संस्थायें राशि की व्यवस्था नहीं कर सकी हैं; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेतन बढ़ाने पर आने वाले खर्च में से ८० प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में देता है, शेष २० प्रतिशत की व्यवस्था उन राज्य सरकारों या संस्थाओं को स्वयं करनी पड़ती है। जहां धन की व्यवस्था नहीं हो सकी है वहां वेतनक्रम नहीं बढ़ाये गये हैं।

†**श्री थानू पिल्ले** : माननीय मंत्री का यह कथन है कि केन्द्र द्वारा ८० प्रतिशत राशि दी जाती है, परन्तु मुझे तो यह ज्ञात हुआ है कि केन्द्र द्वारा केवल ५० प्रतिशत राशि दी है, २५ प्रतिशत राज्य द्वारा और २५ प्रतिशत प्रबन्धकों द्वारा दी जाती है। मद्रास की संस्थाओं के प्रबन्धक तो २५ प्रतिशत राशि खर्च करने के लिये तैयार हैं, परन्तु मद्रास सरकार अपनी ओर से २५ प्रतिशत देने के लिये तैयार नहीं है, इसीलिये सारी योजना रुक गई है। मैं इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपनी ओर से अनुदान देता है परन्तु यदि राज्य सरकार अपनी ओर से अपना अंश निर्धारित नहीं कर सकती तो स्पष्ट है कि उनके वेतन क्रम नहीं बढ़ाये जा सकते। इसलिये इस प्रश्न को मद्रास सरकार से उठाना चाहिये, यहां नहीं।

†**श्री थानू पिल्ले** : केन्द्र की ओर से कितने प्रतिशत अंश दान किया जाता है, ५० प्रतिशत या ८० प्रतिशत?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जहां तक मुझे स्मरण है, आयोग ने ८० प्रतिशत अंश देना स्वीकार कर लिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री थानू पिल्ले** : यदि ८० प्रतिशत है, तब तो राज्य सरकार के अंशदान के बिना भी व्यवस्था कर ली जायेगी ।

सेठ अचल सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यूनिवर्स्टी ग्रांट्स कमिशन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के स्कूल टीचर्स की तनख्वाहों के बारे में भी विचार करेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी नहीं, इसका ताल्लुक यूनिवर्स्टीज़ से ही है ।

†**श्री अंसार हरवानी** : क्या सरकार ने केन्द्रीय नियं णाधीन विश्वविद्यालयों अर्थात् अलीगढ़, बनारस और शान्ति निकेतन विश्वविद्याल ों के वेतन क्रमों का प्रमाणीकरण करने का कोई यत्न किया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में वेतनक्रम सम्पूर्ण देश सब से अधिक है । १ अप्रैल, से उनके वेतन क्रम बढ़ा दिये गये हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के तो वेतनक्रम बढ़ा दिये गये हैं । क्या उनके अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के सम्बन्ध में भी कुछ किया जा रहा है और क्या उन विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कालेजों के सम्बन्ध में भी कुछ किया जा रहा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेतन क्रम बढ़ाने के लिये न ही केवल राज्य विश्वविद्यालयों को सहायता दे रहा है, अपितु सम्बद्ध कालेजों को भी दे रहा है । हाल ही में आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के रीडरों-प्रोफेसरों और शिक्षकों के वेतन क्रमों को पुनरीक्षित किया है । शेष विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में भी विचार किया जा रहा है । यदि राज्य सरकारों ने अपना अंश प्रदान करना स्वीकार कर लिया, तो विश्वविद्यालय अनुदान उनके सम्बन्ध में सहानुभूति पूर्ण दृष्टि से विचार करेगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय ने सम्बन्ध कालेजों के शिक्षकों के वेतन बढ़ाने के लिये लगभग पांच वर्ष पहले सिफ़ारिश की थी, परन्तु अभी तक कुछ एक राज्यों ने उन सिफ़ारिशों को कार्यान्वित नहीं किया है, और उस पर भी शिक्षकों पर कई शर्तें लगायी जा रही हैं ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मुझे इस सम्बन्ध में ज्ञात नहीं है । यदि उन्हें ज्ञात हो तो वे यह जानकारी मेरे पास भेज दें ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : विश्वविद्यालय और कालेजों के शिक्षकों की शिक्षात्मक अर्हतायें क्या होती हैं और उनके वेतन क्रम क्या हैं ? उसी योग्यता के उन व्यक्तियों के वेतन-क्रम क्या हैं, जोकि सरकार के अन्य विभागों में काम करते हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह एक बहुत व्यापक प्रश्न है और इसके लिये सर्वेक्षण करना पड़ेगा ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या शिक्षा मंत्रालय ने माध्यमिक स्कूलों और हाई स्कूलों के गैर सरकारी शिक्षकों के मूल वेतन के निर्धारण के सम्बन्ध में कोई सूत्र तैयार किया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : कुछ एक वेतन क्रम निर्धारित किये गये हैं और सभी विश्वविद्यालयों से कहा गया है कि वे इन वेतनक्रमों को लागू करें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री शिवनंजप्पा : क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मैसूर विश्वविद्यालय को यह सुझाव दिया है कि लैक्चरारों के पदों को गजेटिड बना दिया जाये ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : मेरे पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

†डा० विजय आनन्द : क्या ग्राम्य स्कूलों के शिक्षकों को भी यह लाभ प्राप्त होंगे ?

†डा० का० ला० श्रीमाली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केवल विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में विचार करता है । स्कूलों के शिक्षकों के सम्बन्ध में मंत्रालय की ओर कई योजनायें हैं जिनके अधीन सहायता दी जा रही है ।

डाक बचत बैंक में जमा रकमों पर ब्याज

†*१४१४. श्री रघुनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार डाक बचत बैंक में जमा रकम पर मिलने वाले ब्याज की दर में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार कर रही है क्योंकि अन्य बैंकों में जमा राशियों के ब्याज की दर में वृद्धि हो गयी है जिसका डाक-खातों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

†वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : डाक घर बचत बैंक के ब्याज की दरों का सरकारी ऋणों की ब्याज की दरों तथा अन्य प्रचलित बचत योजनाओं से सम्बन्ध है, अतः उन दरों को वाणिज्यिक बैंकों की दरों के प्रत्येक उतार तथा चढ़ाव के आधार पर बदला नहीं जा सकता ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि जब कि दूसरे बैंकों ने अपना रेट आफ इंटरेस्ट ५ पर सेन्ट कर दिया है और पोस्टल सेविंग्स बैंक का रेट २$^1/_2$ परसेन्ट ही है तो क्या उस का असर यह नहीं होगा कि लोग पोस्ट आफिसों से तमाम रुपया निकाल कर दूसरे बैंकों में रखेंगे ? ऐसी हालत में पोस्टल सेविंग्स की उन्नति के वास्ते आप क्या करना चाहते हैं ताकि लोग उस में रुपया इकट्ठा करायें ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : हमारे जो आंकड़े हैं उन से माननीय सदस्यों को पता चलेगा कि पिछले साल पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक में काफी वृद्धि हुई । इस लिये इससे हम यह नतीजा नहीं निकाल सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट अगर बैंकों ने बढ़ा दिये हैं तो उस से पोस्ट आफिस की सेविंग्स में कोई कमी हो गई है ।

श्री रघुनाथ सिंह : मेरा कहना यह है कि बैंक का जो रेट है उस को बढ़े हुए अभी एक ही महीना हुआ है और माननीय मंत्री एक बरस पहले का हवाला दे रहे हैं । एक वर्ष पहले पोस्ट आफिस का रेट २$^1/_2$ परसेन्ट था और दूसरे बैंकों का २ परसेन्ट था । चूंकि पोस्टल सेविंग्स बैंक का रेट दूसरे बैंकों से ज्यादा था इस लिये लोग उसमें रुपया जमा करवाते थे । लेकिन चूंकि अब दूसरे बैंकों ने रेट बढ़ा दिया है इसलिये लोग क्या अब उनमें रूपया नहीं रखेंगे बजाय पोस्टल सेविंग्स बैंक के ? इसके लिये आप क्या करेंगे । मैं भविष्य के बारे में पूछ रहा हूं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : अभी हमारे पास आंकड़ों की कोई ऐसी बुनियाद नहीं है जिससे हम उस नतीजे पर पहुंचें जो कि माननीय सदस्य कह रहे हैं । फिर यह जो बैंकों के रेट बढ़ाये गये हैं वह सिर्फ पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक से ही ताल्लुक नहीं रखते हैं, बल्कि लोन पालिसीज, सिक्योरिटीज और नैशनल सेविंग्स वगैरह के जो प्रोग्राम हैं, उनसे भी उनका ताल्लुक है । इसलिये केवल इस के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही जा सकती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में दुर्घटना

+
†*१४१६. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री शि० रामौल :
श्री ग्रासर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, १९६१ के तीसरे सप्ताह में शिमला से १५० मील दूर करचम नामक स्थान पर हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क के निर्माण कार्य में व्यस्त लोक निर्माण विभाग के २५ श्रमिकों के एक दल के सभी व्यक्ति एक चट्टान के नीचे जिन्दा दब गये ; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का पूरा ब्योरा क्या है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री भक्त दर्शन : चाहे यह घटना ठीक न हो, लेकिन क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि इस तरह की घटनायें अक्सर होती रहती हैं ? आज ही के समाचारपत्र में है कि एक ओवर-सिअर दब गया है । इस तरह की जो घटनायें होती रहती हैं उनके लिये क्या किया गया है ?

†श्री दातार : यह गलत खबर २५ मार्च को छपी थी । सरकार ने एक दम उसका निराकरण कर दिया था जो कि २५ मार्च को प्रैस में प्रकाशित हुआ था ।

श्री ग्रासर : आज के समाचार पत्रों में भी एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि कुछ मजदूर सड़क का कार्य करते हुए जिन्दा ही जमीन में दब गये थे । क्या . . . .

†श्री दातार : मूल प्रश्न मार्च में हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में पूछा गया था । वह दुर्घटना २५ मार्च, १९६१ को हुई थी । उसका निराकरण २५ मार्च, को कर दिया गया था । अतः वह समाचार निराधार है ।

तेल कम्पनियों में भारतीयों का हिस्सा

+
†*१४१७. { श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री उस्मान ग्रली खां :
श्री ग्ररविन्द घोषाल :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पिछले कुछ समय से भारत में 'बर्मा शैल', 'स्टेनवाक' और 'काल्टेक्स' नामक तीन विदेशी तेल कम्पनियों को इस बात पर राजी करने के लिये कोशिश कर रही है कि वे अपनी साधारण अंश पूंजी में हिस्सा लेने के लिये भारतीयों को भी आमन्त्रित करें ; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रयत्नों में कहां तक सफलता मिली है ?

†खान और तेलमंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख) तीन तटवर्ती तेल शोधन कारखानों का कार्य चलाने वाली तीन कम्पनियों के सम्बन्ध में साधारण अंश पूंजी में भारतीयों द्वारा

†मूल अंग्रेजी में

भाग लेने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि यद्यपि वे भारत में है तो भी तेल शोधन कारखाना करारों में इस बात की व्यवस्था है कि सम्पूर्ण साधारण अंश पूंजी विदेशी कम्पनियों द्वारा ही लगायी जायेगी ।

जहां तक बर्मा शैल, स्टेनवाक और काल्टेक्स मार्केटिंग कम्पनियों का सम्बन्ध है, वे सभी भारत से बाहिर किसी और देश में निगमित गैर-सरकारी लिमिटेड कम्पनियां हैं और उनका पूर्ण स्वामित्व उनके मुख्य साथों में निहित है । ज्ञात हुआ है कि इनमें से कुछ एक कम्पनियां अपने संगठनों को भारतीय कम्पनियों के रूप में संगठित करने के प्रश्न पर विचार कर रही हैं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या इन तीन कम्पनियों को भारतीय सहयोग के लिये आमंत्रित करने का कार्य किसी सामान्य नीति के पालन के रूप में किया जा रहा है या कि यह कार्य केवल इन्ही तीन कम्पनियों के सम्बन्ध में किया जा रहा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : उक्त प्रश्न का सम्बन्ध इन करारों को संशोधित करने से है जो कि हाल ही में भारत सरकार और भारतीय तेल शोधन कम्पनियों के बीच किये गये थे । वे कम्पनियां करारों को संशोधित करने के लिये तैयार नहीं हैं । अब इस सम्बन्ध में हमें विचार करना है कि क्या हम इस बारे में और कोई उपाय कर सकते हैं ।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या यह सच है कि उक्त तीन कम्पनियों में से एक कम्पनी काल्टेक्स ने अपने कुछ एक भारतीय कर्मचारियों को नौकरी से निकल जाने का नोटिस दे दिया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न मालिकों के रूप में है, जब कि मूल प्रश्न का सम्बन्ध अंश पूंजी से है ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : किन्हीं भी व्यक्तियों को रखना या न रखना तो किसी भी कम्पनी के प्रबन्धकों पर निर्भर करता है । हम इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं दे सकते ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जिन दिनों श्री कृष्णामाचारी यहां वाणिज्य मंत्री थे तो उस समय यह प्रश्न पूछा गया था कि विदेशी कम्पनियां भारतीय कर्मचारियों को अधिक संख्या में क्यों नहीं नियुक्त करतीं । उन्होंने उतर दिया था कि वे इस सम्बन्ध में उन कम्पनियों को मनवाने का यत्न कर रहे हैं ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : जहां तक भारतीय कर्मचारियों की संख्या में होने वाली कमी के प्रश्न का सम्बन्ध है, उनके द्वारा यह अनुभव किया जाना ठीक ही प्रतीत होता है---मैं उनके कार्य को न्यायोचित नहीं ठहरा रहा हूं ---कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत सरकार की ओर से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतें कम कर दी जायें, इतने अधिक कर्मचारियों को पहले के वेतन पर नौकरी में रखे रहना संभव नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि केवल भारतीय कर्मचारियों को ही क्यों निकाला जा रहा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : इस बारे में निर्णय करना तो उनका काम है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इससे पहले भी सभा में यह प्रश्न उठाया गया था कि प्रत्येक देश अपने देश की विदेशी कम्पनियों पर यह शर्त लगाता है कि वे अपनी कम्पनियों में वहां के कुछ राष्ट्रजनों को अवश्य रोजगार देंगे । यदि हमारा उन पर कोई नियंत्रण न रहा तो हमारे देश के राष्ट्रजन पूर्णतया निकाल दिये जायेंगे और वहां के राष्ट्रजन इन कम्पनियों में भर जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री के० दे० मालवीय : काल्टेक्स अथवा दूसरी कम्पनियों में बहुत से भारतीय कर्मचारी काम कर रहे हैं। कुछ एक भारतीय प्रविधिक विशेषज्ञों के रूप में भी हैं। अब इन कम्पनियों ने अपना खर्च कम करने के लिये जो कार्यवाही प्रारम्भ की है उसका भारतीयों पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इसीलिये अधिकांश भारतीय राष्ट्रजन ही छंटनी में निकाले जा रहे हैं। काल्टेक्स के उच्च कोटि के पदों में भी कमी की जा रही है।

†श्री हेम बरुआ : इस छंटनी के विशेष कारण क्या हैं ? क्या काल्टेक्स ने इस सम्बन्ध में सरकार को सूचित किया है ?

†श्री के० दे० मालवीय : हमने उन से नहीं पूछा है। हमारे पास छंटनी के सम्बन्ध में कोई विशेष जानकारी नहीं है।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये कम्पनियां करारों के संशोधन करने के लिये तैयार नहीं है क्या सरकार इन तेल शोधक कारखानों का राष्ट्रीयकरण करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†श्री के० दे० मालवीय : सरकार ऐसा कोई विचार नहीं रखती है।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : उसका क्या कारण है ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपने मत सरकार पर थोप नहीं सकते।

†श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह कम्पनी विदेश में निगमित है, क्या सरकार इसके परीक्षित लेखों और लाभ के विवरण को प्राप्त कर रही है ?

†श्री के० दे० मालवीय : जो कम्पनियां भारत में पंजीबद्ध हैं, उनके लेखे हमें प्राप्त होते हैं। परन्तु जहां तक विदेशी कम्पनियों का संबंध है, हमें उनकी वार्षिक रिपोर्टें प्राप्त होती हैं। खाते आदि उसी में सम्मिलित होते हैं।

†श्री ब्रजराज सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि ये कम्पनियां भारतीय कर्मचारियों को छंटनी में निकाल रही हैं। क्या सरकार इन कम्पनियों पर कुछ नियंत्रण रखने का यत्न करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि माननीय मंत्री इस संबंध में स्वयं रुचि लें, ताकि कर्मचारियों की स्थिति में सुधार लाया जा सके।

†श्री के० दे० मालवीय : हम इस संबंध में सभी प्रकार के संभव यत्न कर रहे हैं ताकि विदेशी लोग अधिक संख्या में न छा जायें और ताकि हमारे अपने इंजीनियर उनमें अधिक संख्या में लिये जा सकें और इस कार्य में हमें पर्याप्त सफलता भी मिली है। परन्तु यदि उन्हें छंटनी करनी भी हुई तो उसका भारतीयों पर अधिक असर पड़ेगा।

उड़ीसा में जिला परिषदों के चुनाव

†*१४१९. श्री कुम्भार : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में २५ फरवरी, १९६१ को राष्ट्रपति के शासन की उद्घोषणा होने के पश्चात् उस राज्य की विघटित विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों ने उस राज्य की विभिन्न जिला परिषदों के अध्यक्षों (चेयरमैन) और उपाध्यक्षों (वाइस चेयरमैन) के निर्वाचन में उस विधान सभा के सदस्यों के नाते अपने मत डाले हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इन निर्वाचनों को असंवैधनिक घोषित कर देगी और उड़ीसा जिला परिषद अधिनियम, १९५९ के अनुसार नये अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव कराये जायेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

†**श्री कुम्भार** : क्या उन सभी भूतपूर्व सदस्यों ने बिना किसी विरोध के अपने मत दिये थे और यदि हां, तो क्या भविष्य में भी उन्हें मतदान की अनुमति दी जायेगी ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : वैधानिक रूप से उन्हें मतदान देने का अधिकार प्राप्त है ।

†**श्री पहाड़िया** : क्या यह सच है कि कुछ एक पराजित अभ्यर्थियों ने अपना विरोध दायर किया है ? कितने व्यक्तियों ने इस प्रकार से आपत्ति की है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री प्र० के० देव** : कुछ समय पहले राज्यपाल ने कुछ अध्यादेश जारी किये थे जिनके द्वारा उन्होंने जिला परिषदों के चुनाव की कुछ अनियमितताओं को दूर करने का यत्न किया गया था । अब इन अध्यादेशों की क्या स्थिति होगी ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में गृह-कर

†१४२१. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन व्यक्तियों को पुनर्वास मंत्रालय द्वारा बनाये गये मकान दिये गये हैं उन्हें दिल्ली नगर निगम एक्ट की भावना के विरुद्ध दिल्ली नगर निगम द्वारा गृह-कर चुकाने के लिये नोटिस दिये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या औचित्य है ;

(ग) क्या इस बारे में लाजपतनगर में कोई घोषणा की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो यह घोषणा किस की आज्ञा से की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). पुनर्वास मंत्रालय द्वारा विहित शर्तों के अधीन जिन व्यक्तियों को मकान दिये जाते हैं उन्हें सम्पत्ति के स्वामित्व का अधिकार उसी दिन से प्राप्त हो जाता है जिस दिन से उन्हें अस्थायी अधिकार मिलता है और सारे स्थानीय करों का दायित्व भी उन्हीं पर आ जाता है । इन करों में सम्पत्ति कर भी शामिल है । इसलिये निगम द्वारा दिये गये नोटिस दिल्ली नगर निगम अधिनियम, १९५७ की भावना के विरूद्ध नहीं हैं ।

(ग) और (घ). वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा था । अतः सामान्य व्यवहार के अनुसार निगम अधिकारियों ने निगम के नई दिल्ली क्षेत्र में जनता की जानकारी के लिये लाउडस्पीकरों द्वारा घोषणा कर दी कि म्यूनिस्पैलिटी के सम्पत्ति कर तथा अन्य शेष करों का भुगतान ३१ मार्च, १९६१ तक हो जाना चाहिये । इस क्षेत्र के अन्तर्गत लाजपतनगर भी आ जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री नवल प्रभाकर : इस तरह की पुनर्वास मंत्रालय की सम्पत्तियां दिल्ली के दूसरे हिस्सों में भी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वहां इस तरह का एनाउंसमेंट क्यों नहीं किया गया, लाजपतनगर में खास तौर से क्यों किया गया ?

श्री दातार : मेरे पास ब्योरे नहीं हैं। परन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि उन पक्षों और पुनर्वास मंत्रालय में एक करार हुआ था और उसके अधीन कब्जा लेते ही उन पर नगर निगम को कर अदा करने की जिम्मेदारी आ जाती है।

उड़ीसा सरकार के वर्ग ४ के कर्मचारी

†*१४२२. **श्री प्र० गं० देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार के वर्ग ४ के २७ पदाधिकारियों को, राजनैतिक और सेवा विभाग से उनकी सेवायें समाप्त करने के नोटिस दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उनकी छंटनी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जी, हां। मंत्रिमंडल के विघटन के परिणाम स्वरूप भूतपूर्व मंत्री से सम्बद्ध चौथी श्रेणी के २६ अस्थायी कर्मचारी अतिरिक्त हो गये हैं और उन्हें नौकरी की समाप्ति के संबंध में नोटिस दे दिये गये हैं।

(ग) सरकारी विभागों, विभागों के प्रमुख अधिकारियों तथा दफ्तरों को यह लिख दिया गया है कि जब तक उक्त अतिरिक्त कर्मचारियों को काम में न नियुक्त कर लिया जाये, तब तक वे अपने रिक्त स्थान न भरें।

†**श्री प्र० गं० देव** : इस बात को ध्यान में रखते हुये वहां कि शीघ्र ही चुनाव होने वाले हैं, सरकार ने नये मंत्रिमंडल की स्थापना तक उसकी प्रतीक्षा क्यों नहीं की है ?

†**श्री दातार** : यद्यपि उन्हें नोटिस दे दिये गये हैं तो भी उनमें से कुछ एक को अन्य स्थानों पर नियुक्त कर दिया जायेगा।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या अन्य रिक्त स्थानों पर नियुक्ति करने में इन २७ व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी ?

†**श्री दातार** : जी, हां। उन व्यक्तियों को नियुक्त करने में प्राथमिकता दी जायेगी।

†**श्री सूपकार** : पहले मंत्रिमंडल के विघटन और नये मंत्रिमंडल के संगठन के काल में बीच का बहुत थोड़ा समय होगा तो फिर इन स्थानों को समाप्त करने की क्या जरूरत थी ?

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य इस बात को ध्यान में रखें कि इन स्थानों पर धन भी तो खर्च होता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों द्वारा जो कुछ कहा जा रहा है वह तो सुझावों के रूप में है। अब हम अल्प-सूचना काल प्रश्न पर विचार करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

मिट्टी के तेल की दरों में वृद्धि

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ श्री बं० ना० कुरील : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि १ मार्च, १९६१ को बर्मा शैल कम्पनी, स्टैंडर्ड वैकुअम आयल कम्पनी और कालटेक्स कम्पनी ने इस देश के अपने सभी एजेंटों को तार भेजे थे जिनमें उनसे यह कहा गया था कि वे २ मार्च, १९६१ से मिट्टी के तेल के भाव को बढ़ा कर तीस रुपये, ९२ नये पैसे प्रति किलोलिटर कर दें ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : जी, हां । १-३-१९६१ से बढ़िया मिट्टी के तेल पर केन्द्रीय उत्पादन/कस्टम शुल्क में १५°C पर ३१ रुपये ३५ नये पैसे प्रति किलोलिटर की वृद्धि हो जाने के परिणामस्वरूप उन तेल कम्पनियों के, जोकि प्रमुख पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों संबंधी तदर्थ करार की शर्तों के अधीन उपभोक्ताओं से इसे वसूल कर सकती हैं, प्राकृतिक तापांश के उत्पादों की दर को बदल कर ३०.९२ रुपये प्रति किलो लिटर कर दिया है और इसी दर पर यह देश में बिक रही है । और उन्होंने उसी हिसाब से बढ़िया किस्म के तेल के मूल्य बढ़ा दिये हैं । परन्तु १५° सेन्टीग्रेट के तेल के संबंध में १८-३-६१ से १५·६८ रुपये प्रति किलो लिटर के हिसाब से संबंधित कमी हो जाने के परिणामस्वरूप तेल कम्पनियों ने १८-३-६१ से ही १५·४९ रुपये प्रति किलो लिटर के हिसाब से विक्रय मूल्य में कमी कर दी है ।

†श्री विश्वनाथ राय : क्या इन तेल कम्पनियों ने दर बढ़ाने से पहले सरकार से परामर्श लिया था ?

†श्री के० दे० मालवीय : करार में यह एक संविहित करार है कि जब भी उत्पादन शुल्क या सीमा शुल्क में वृद्धि होगी, उसी के अनुसार वे कम्पनियां भी दरों में वृद्धि करती जायेंगी । अतः उन्होंने जो कुछ किया है वह नियम के अनुकुल है ।

श्री बं० ना० कुरील : किरोसीन आयल के दामों में बढ़होत्री पहली अप्रैल से ड्यू होनी चाहिए थी ?

श्री के० दे० मालवीय : जी नहीं पहली मार्च से ड्यू हो जानी चाहिए चूंकि गवर्नमेंट ने उसमें बढ़होत्री पहली मार्च से कर दी थी । बाद में गवर्नमेंट ने सुपीरियर किरोसीन आयल पर ड्यूटी कम कर दी तो उतनी ही कम्पनियों ने फिर कमी कर के अपने रेट्स का ऐलान कर दिया । पहले करीब ३१ रुपया प्रति किलोलिटर बढ़ाया गया था लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने उसमें १५ रुपये प्रति किलोलिटर घटा दिया तो तेल कम्पनियों ने भी कीमतें घटा दीं ।

श्री भ० दी० मिश्र : यह रेट्स नये बजट से बढ़ाये गये हैं और वह पहली अप्रैल से लागू होते हैं तो ऐसी अवस्था में पहली मार्च से उन रेट्स को बढ़ाने की सूचना क्यों दी गई ?

श्री के० दे० मालवीय : जिस दिन पार्लियामेंट में इन की बढ़होत्री का ऐलान किया गया था उसी दिन से यह दरें बढ़ती हैं ।

श्री ब्रजराज सिंह : अभी मंत्री महोदय ने बतलाया कि यह सुपीरियर किरोसीन आयल की दर करीब ३१ रुपया प्रति किलोलिटर १८ मार्च तक यह तेल कम्पनियां कंज्यूमर्स से वसूल

†मूल अंग्रेजी में

करती रहीं, उसके बाद जब सरकार की तरफ से इसके दामों में कमी का ऐलान हुआ तो उन्होंने भी उसी हिसाब से इसकी दर घटा दी, मैं जानना चाहता हूं कि इन १८ दिनों के अन्दर बढ़ी हुई दर से इन तेल कम्पनियों ने जो अधिक रुपया वसूला है, उस अधिक रुपये को उनसे वापिस लेने की क्या कार्यवाही हो रही है या उसको वह अपने आप से वापिस करने को तैयार हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : वह कम्पनियों के पास नहीं रहेगा वह तो सरकारी खजाने में आ जायेगा । चूंकि गवर्नमेंट ने ३१ रुपये प्रति किलोलिटर का ऐलान किया तो उन्होंने उस हिसाब से कीमत वसूल की और जब सरकार ने उसमें १५ रुपये घटा दिये तो उन्होंने भी अपनी दर में १५ रुपये की कमी कर दी । वह तो तेल कम्पनियां हमारी तरफ से तेल के दामों में कमी या बढ़होत्री करती हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विदेशी तेल कम्पनियां यहां अपने हितों के लिये विद्यमान हैं, हमारे लिये नहीं, जब कभी इस प्रकार की वृद्धि होती है तो वे सरकार से इस सम्बन्ध में परामर्श क्यों नहीं करती ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : इन सब विषयों पर विचार किया गया था और यह तय किया गया था कि जहां तक शुल्क और करों में वृद्धि का सम्बन्ध है, यह रकम कम्पनियों द्वारा हमारी ओर से वसूल की जायेगी और बाद में हमें दे दी जायेगी ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या सरकार को ज्ञात है कि घटिया किस्म के मिट्टी के तेल की कीमत भी बढ़ा दी गई थी ; और यदि हां, तो कितनी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : घटिया किस्म के मिट्टी के तेल की कीमत बढ़ जाने के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या यह सच नहीं है कि तेल कम्पनियां, अत्यधिक मुनाफे को ध्यान में रखते हुए, इस उत्पादन शुल्क का भार खुद सह सकती हैं ; और यदि हां, तो क्या सरकार ने उन कम्पनियों को इस बात के लिये राजी करने का प्रयत्न किया है कि इन उत्पादन-शुल्कों का भार उपभोक्ताओं पर न पड़ कर स्वयं कम्पनियों पर पड़े ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : यह तो अपनी अपनी राय का प्रश्न है । हम पहले ही लागत और लाभ की जांच कर रहे हैं ताकि इन वस्तुओं के समुचित मूल्य का निश्चय किया जा सके ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

औषधीय जड़ी बूटियों का सर्वेक्षण

†*१४१३. **श्री कोडियान** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश मे औषधीय जड़ी बूटियों का सर्वेक्षण करने की किसी प्रस्थापना पर विचार कर रही है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्थापना का व्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा कितना व्यय किया जाना है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबीर)**: (क) से (ग). केन्द्रीय भारतीय औषधीय जड़ी बूटी संस्था की एक कृत्य ऐसे सर्वेक्षण करना भी है परन्तु अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है क्योंकि कि यह संस्था अभी स्थापित हो रही है ।

विश्व में वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक इतिहास

†*१४१५. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन विश्व के एक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक इतिहास का प्रकाशन कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का व्यौरा क्या है ;

(ग) जिस समिति को इसके प्रकाशन का कार्य सौपा गया है, क्या उसमें भारतीय विद्वान भी हैं और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि इस प्रस्तावित प्रकाशन के उस भाग में, जिसका सम्बन्ध भारत के प्राचीन इतिहास से है, वैदिक सभ्यता के बारे में गलत और अपमानजनक बातें कही गयी हैं ; और

(ङ) इस बारे में सरकार का क्या रवैया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(ख) राष्ट्रों और संस्कृति के एक दूसरे पर निर्भर और मानव-जाति के सामान्य उत्तराधिकार में उनके अंशदान का प्रदर्शन करने के लिये **मानव जाति के वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास** प्रकाशन के लिये यूननेस्को ने वर्ष १९५१ में एक अन्तराष्ट्रीय आयोग की स्थापना की ।

इस इतिहास के छः खंड होने थे खंड १ (पूर्व इतिहास) ; खंड २ (१२०० बी० सी० से ५०० ए० डी० तक) ; खंड ३ (५०० से १३०० ए० डी० तक) खंड ४ (१३०० से १७७५ ए० डी० तक) ; खंड ५ (१७७५ से १९०० ए० डी० तक) ; और खंड ६ (बीसवीं शताब्दी) ।

(ग) आयोग में मूलतः ९ सदस्य थे जिसको बाद मे बढ़ा कर उसमें सभी खंडों के लेखकों और सम्पादकों को शामिल कर के इसे ३० कर दिया गया। डा० आर० सी० मजूमदार एक उप-प्रधान हैं और सरदार के० एम० पणिक्कर अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के एक सदस्य हैं।

(घ) और (ङ). इतिहास के खंड १ में भारत के पूर्व इतिहास की अवधि के बारे में कुछ अशुद्धता और अपर्याप्तता है । इन बातों को अन्तर्राष्ट्रीय आयोग को बताया गया जिसने उन्हें इस प्रकाशन की पुनरीक्षित सामग्री तैयार करते समय इन पर ध्यान देने के लिये लेखक-सम्पादकों को बता दिया । अभी सरकार की अन्तिम सामग्री प्राप्त नहीं हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मंदसौर में पोस्त की फसल

***१४१८. श्री वाजपेयी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओला-वर्षा के फलस्वरूप १९६०–६१ में मन्दसौर जिले में अफीम की फसल को काफी क्षति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्षति का अनुमान क्या है और उससे १९५९–६० की तुलना में उत्पादन में कितनी कमी होगी ;

(ग) क्या शासन ने क्षतिग्रस्त क्षेत्र के अफीम-उत्पादकों के सहायतार्थ कोई पग उठाये हैं ;

(घ) क्या आगामी वर्ष के लिए लाइसेंस देने के सम्बन्ध में नीति का निर्धारण कर लिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) ओले गिरने और ज्यादा ठण्ड पड़ने से १९६०–६१ में मंदसौर जिले में पोस्त की फसल को कुछ नुकसान पहुंचा था ।

(ख) फसल तौली जा रही है, इसलिए अभी नुकसान का पता नहीं लग सकता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

गोहाटी का तेल शोधक कारखाना

†***१४२०. श्रीमती मफीदा अहमद** : : क्या **इस्पात खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गौहाटी के तेल शोधक कारखाने से शोधित पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के बारे में कोई निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक पूर्णतः सरकार-निमंत्रित संस्था, मेसर्ज इण्डियन आयल कम्पनी गोहाटी के तेल शोधक कारखाने से शोधित पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन की लिये जिम्मेदार है और वे रेल/सड़क द्वारा उसके परिवहन की योजना बना रहे हैं ।

बीमा कर्मचारियों की मांगें

†*१४२३ {
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री पुन्नूस :
श्री तंगामणि :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के क्षेत्र-कर्मचारियों की विभिन्न मांगों

---

†मूल अंग्रेजी में

पर विचार करने के लिए एक संयुक्त समिति नियुक्त की गयी थी जिसमे दो जोनल मैनेजर, एक डिप्टी जोनल मैनेजर और राष्ट्रीय बीमा क्षेत्र--कर्मचारी फैडरेशन के तीन प्रतिनिधि थे ;

(ख) क्या इस समिति ने १५ बातों के बारे में अपनी सिफारिशें पेश कर दी हैं ;

(ग) ये बातें क्या हैं ;

(घ) क्या इन सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है ;

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या करारण हैं ; और

(च) सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†वित्त उपमंत्री श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) वैतनिक क्षेत्र-कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में कुछ मामलों का पुर्नविलोकन करने के लिये नियुक्त की गयी निगम के तीन विरष्ठ पदाधिकारियों और राष्ट्रीय बीमा-क्षेत्र-कर्मचारी फैडरेशन के तीन प्रतिनिधियों की एक अनौपचारिक संयुक्त समिति ने एक अन्तरिम प्रतिवेदन दिया है।

(ख) जी, हां ।

(ग) सभा पटल पर एक सूची रखी जाती है ।

सूची

१. पद--नाम

२. क्षेत्र--कर्मचारियों के कर्तव्य

३. क्षेत्रों का आवंटन

४. क्षेत्र-कर्मचारियों का स्थानान्तरण

५. क्षेत्र-कर्मचारियों की भर्ती

६. वेतन-स्तर

७. वार्षिक बोनस

८. छुट्टियां सम्बन्धी नियम

९. दुर्घटना लाभ

१०. सेवा--निवृत्ति वयस

११. भविष्य निधि

१२. उपदान

१३. डिवीजनल मंत्रणा समिति का गठन

१४. मूल्यांकन नियमों, १९५९ में संशोधन

१५. उन क्षेत्र-कर्मचारियों के बारे में अनुशासनात्मक कार्यवाही करना जो वर्ष १९५९ के कार्य पर वेतन-वृद्धि नहीं ले सके और जिनकी कार्य की लागत प्रथम वर्ष की प्रीमियम आय की एक विशिष्ट प्रतिशतों से अधिक रही ।

(घ) से (च). जीवन बीमा निगम अभी इन सिफारिशों पर विचार कर रहा है ।

कुवेत में भारतीय मुद्रा का वापस लिया जाना

†*१४२४ { श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुवेत सरकार द्वारा अप्रैल, १९६१ से अपनी मुद्रा, जिसका नाम 'दिनार' होगा, चालू करने का निर्णय किये जाने के पश्चात् कुवेत से भारत की विशेष मुद्रा के वापस लिये जाने के क्या वित्तीय परिणाम हुए हैं ;

(ख) क्या फारस की खाड़ी के अन्य क्षेत्रों से भी इस प्रकार मुद्रा वापस ली जानी पड़ेगी ;

(ग) इस क्षेत्र में परिचालित मुद्रा का वर्तमान मूल्य क्या है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में कुवेत के प्रति भारत की देनदारियों का भुगतान किस प्रकार किया जायेगा ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ग). क्यों कि इस समय कुवेत में चल रही भारतीय मुद्रा के बदलने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इस प्रक्रम पर ठीक ठीक वित्तीय परिणाम बताना कठिन है ।

(ख) जी, नहीं ।

(घ) भारत की देनदारी का भुगतान भारतीय मुद्रा के कुवेती दीनारों में परिवर्तन के लिये निर्धारित अवधि के बीत जाने के १५ दिन बाद अथवा १ जुलाई, १९६१ से, जो भी बाद में पड़े, आरम्भ हो कर ११ वार्षिक किस्तों में स्टर्लिंग में किया जायेगा परन्तु यदि आवश्यक हुआ, तो यह पुनर्भुगतान की अवधि, खाड़ी के अन्य क्षेत्रों में भारतीय मुद्रा के कुवेती मीनार में परिवर्तन के कारण भारत पर डाले गये अतिरिक्त भार की स्थिति में, वर्ष १९७१ में निर्धारित तिथि से आगे बढ़ायी जा सकेगी ।

ग्राम्य संस्थाओं के डिप्लोमे

†*१४२५. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री २४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ७३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों द्वारा ग्राम्य संस्थाओं के डिप्लोमों को मान्यता प्रदान करने के बारे में भारत के अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). एक बिवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड की अन्तिम सिफारिशें प्राप्त हो चुकी हैं और बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव निम्न प्रकार है :

"अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड स्थायी समिति द्वारा ग्राम्य सेवाओं के डिप्लोमों को विश्वविद्यालयों की प्रथम डिग्री के बराबर मानने के प्रश्न पर नियुक्त की गयी जांच की समिति की सिफारिशों से सामान्यतया सहमत है और वह विश्वविद्यालयों से अनुरोध करता है कि उनको यथासम्भव शीघ्र कार्यान्वित किया जाये ।"

समिति की सिफारिश निम्न प्रकार है :

"इन संस्थाओं में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की योग्यता, अध्ययन के पाठ्यक्रमों और उनको सामान्यतः दिये गये प्रशिक्षण और परीक्षा स्तर पर विचार करने के बाद हम यह सिफारिश करते हैं कि कुछ चुने हुए विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर शिक्षा के लिये स्वीकार किया जाये । अब केवल प्रश्न यह है कि इन संस्थाओं के छात्र विश्वविद्यालय स्तर पर स्नातकोत्तर-कार्य किस विषय में करें । यह स्पष्ट है कि वे अंग्रेजी, गणित अथवा विज्ञान के योग्य नहीं हैं : जिन पाठ्यक्रमों में वे चल सकते हैं वे हैं अर्थशास्त्र, सामाजिक-ज्ञान और इतिहास और मानव शास्त्र । इन संस्थाओं द्वारा शिक्षा में किये जा रहे मूल्यवान अनुभवों को ध्यान में रखते हुए हम यह चाहते हैं कि विश्वविद्यालय इन विद्यार्थियों के बारे में अधिकतम विचार करें और योग्य विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश दें । यह ठीक है कि स्नातकोत्तर कक्षाओं में दाखला योग्यता के आधार पर किया जाता है और उन विद्यार्थियों को जिन्होंने डिप्लोमा परीक्षा में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी प्राप्त की हैं, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये पात्र समझा जाये । हम उनके बारे में व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे शिक्षा, विधि, सार्वजनिक प्रशासन आदि की भी सिफारिश करते हैं ।"

सीमावर्ती क्षेत्रों में असैनिक व्यक्ति

***१४२६. श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमावर्ती क्षेत्रों में काम करने वाले असैनिक कर्मचारियों को कुछ सुविधायें व भत्ते देने के प्रश्न के बारे में क्या निश्चय किया गाया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : यह मामला अभी विचाराधीन है ।

दिल्ली में जमीन

†*१४२७. श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ठ
सरदार इक़बाल सिंह :
श्री राधा रमण :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री रामगरीब :
श्री शिव दत्त उपाध्याय :
श्रीमती इला पालचौधरी :
ज्ञानी गु० सिं० मुसाफिर :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या गृह-कार्य मंत्री ६ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली विकास प्राधिकार ने जमीन को निर्माण-कार्यों के उपयुक्त स्थान के रूप के विकसित करने के लिए जमीन रिलीज करने के बारे में और हासिल की गयी जमीन के लिए अदा किये जाने वाले मुआवजे के बारे में क्या निर्णय किया है और उसका व्योरा क्या है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : यह जानकारी २३ मार्च, १९६१ को सभा पटल पर रखे गये दिल्ली में सरकार द्वारा अर्जित भूमि के आवंटन के बारे में विवरण में दी गयी है ।

गैर सरकारी क्षेत्र में कच्चे लोहे का उत्पादन

†*१४२८. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र में दर्मियाने दर्जे के संयंत्रों द्वारा कच्चे लोहे के उत्पादन में वृद्धि करने की योजना को कहां तक क्रियान्वित किया गया है ;

(ख) क्या पंजाब में इस प्रकार की किसी संयंत्र के लिये लाइसेंस दिया गया है ; और

(ग) पंजाब में ये संयंत्र कहां पर हैं और इनमें क्या प्रगति हुई है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) कुल ३००,००० टन की क्षमता वाली आठ योजनायें मंजूर की गयी हैं । १५,००० टन का एक लाइसेंस रद्द कर दिया गया है क्योंकि लाइसेंस शुदा व्यक्ति इस योजना में अभिरुचित नहीं थे ।

(ख) और (ग). जी, नहीं । परन्तु पंजाब के महेन्द्रगढ़ अथवा गुड़गाव जिले में एक कारखाना लगाये जाने के बारे में एक आवेदन-पत्र विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गूंगे और अंधे व्यक्तियों के लिये रोजगार सम्बन्धी सुविधायें

†*१४२९. श्री विभूति मिश्र : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की गूंगे और अंधे व्यक्तियों (शिक्षित अथवा अशिक्षित) को रोजगार सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस बारे में कोई योजना शुरू करने के बारे में विचार कर रही है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नैशनल साइकिलस्ट फेडरेशन आफ इंडिया

†*१४३०. श्री हो ना० मुकर्जी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका, ध्यान इंडियन ओलम्पिक एसोसियेशन द्वारा नेशनल साइकिलस्ट फैडरेशन आफ इंडिया से अपना सम्बन्ध विच्छेद करने और उसके परिणामस्वरूप अखिल भारतीय खेलकूद परिषद द्वारा इस फैडरेशन को दी गयी मान्यता वापिस लेने के विरुद्ध इस फैडरेशन द्वारा किये गये अभ्यावेदनों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) क्या अखिल भारतीय खेल कूद परिषद ने उन की बात सुनी है और कोई निर्णय किया है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । परिषद की यह राय है कि यह ओलम्पिक चार्टर के अधीन आने वाले किसी राष्ट्रीय खेलकूद फैडरेशन को मान्यता नहीं देगी जब तक कि यह भारतीय ओलम्पिक संस्था से सम्बद्ध न हो ।

पाकिस्तान से रुपये की वसूली

†*१४३१. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री २४ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान से २ करोड़ ३५ लाख रुपये की रकम की वसूली के लिए और क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) इन प्रयत्नों का क्या परिणाम निकला है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). अभी इस बारे में आगे कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नैमित्तिक श्रमिक

*१४३२. { **श्री विभूति मिश्र :**
श्री प्र० चं० बरुग्रा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नैमित्तिक श्रमिकों के बारे में वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) जी, हां। इस सम्बन्ध में जारी किये गये आदेशों की प्रतियां सभा की मेज पर रख दी गयी हैं । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १**]

(ख) अनुमान है कि इन आदेशों को अमल में लाने में हर साल दो करोड़ रुपया और खर्च होगा । सामाजिक दृष्टि से, नैमित्तिक श्रमिकों में अपने काम की शर्तों के बारे में सुरक्षा और संतोष की और भी अच्छी भावना पैदा हो सकेगी ।

पंजाब में पिछड़े वर्गों का कल्याण

†२९७३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष १९५९–६० में पंजाब को पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये जो धनराशि आवंटित की गयी थी, वह पूरी तरह खर्च नहीं की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो कितना धन खर्च किया गया है ;

(ग) क्या इस आवंटन से गैर-सरकारी संस्थाओं को कोई सहायता दी गयी ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी सहायता दी गयी है और उन गैर-सरकारी संस्थाओं के क्या नाम हैं जिन्हें यह सहायता मिली ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) से (घ). राज्य सरकार से अभी जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

श्रीलंका में भारतीय गैर-सरकारी विनियोजन

†२९७४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के पास श्रीलंका में भारतीय गैर-सरकारी विनियोजन का कोई लेखा है ;

(ख) यदि हां, तो उस की धनराशि कितनी है ; और

(ग) क्या सरकार अब भी भारतीयों को श्रीलंका में पूंजी लगाने की आज्ञा देती है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). भारत की विदेशी आस्तियां और उत्तरदायित्वों के सर्वेक्षण विभाग के अधीन एकत्र की गयी जानकारी के अनुसार श्रीलंका में कुल

---

†मूल अंग्रेजी में

गैर-सरकारी भारतीय विनियोजन की धनराशि वर्ष १९५५ के अन्त में ९५ लाख थी। इसमें निम्नलिखित शामिल है :

(१) भारतीय संयुक्त स्कन्ध समवायों द्वारा स्वाधिकृत आस्तियां (८७ लाख रुपये)।

(२) भारत में पृथक निवासियों की ओर से बैंकिंग समवायों के अभिकर्ता कस्टोडियन होल्डिंग (८ लाख रुपये)

इन आंकड़ों में उन पृथक निवासियों द्वारा स्वाधिकृत आस्तियां शामिल नहीं है जो उपरोक्त (२) श्रेणी में नहीं आते हैं। परिवर्तन नियंत्रण आकड़ों के अनुसार सितम्बर, १९६० तक इन आस्तियों में ५२ लाख रुपये का अविनियोजन हुआ। तथापि, इसमें लाभ के पुर्नाविनियोजन और पूंजी के अधिमूल्यन से उत्पन्न वर्तमान आस्तियों के मूल्य में परिवर्तन के आंकड़े शामिल नहीं हैं जिस के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) विदेशी मुद्रा की कमी को देखते हुए, जिसकी हमारे अपने औद्योगीकरण के लिये अतिआवश्यकता है, विदेशों में विनियोजन की आज्ञा नहीं दी जाती। यदि भारतीय विनियोजन

(१) भारत से निर्यात की गयी भारतीय मशीनों के मूल्य; और

(२) प्रविधिक शुल्क अथवा 'जानकारी' आदि के लिये भुगतान द्वारा आवंटित निःशुल्क शेयरो के मूल्य तक

सीमित है, तो उस मात्रा के विनियोजन तक की आज्ञा दे दी जाती है।

महाराष्ट्र में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक

†२९७५. **श्री पांगरकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने वर्ष १९६०–६१ में महाराष्ट्र सरकार को उस राज्य में कम वेतन पाने वाले प्राथमिक स्कूलों के अध्यापको के वेतन बढ़ाने के लिये कोई वित्तीय सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि की सहायता दी गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष १९६०–६१ के लिये अपने विकास कार्यक्रम में कुल लगभग ३१.६७ लाख रुपये के खर्च की योजनायें शामिल की हैं। इन योजनाओं पर किये गये खर्च की ५० प्रतिशत केन्दीय सहायता दी जा सकती है।

वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार किसी राज्य सरकार की विकास योजनाओं पर केन्दीय अनुदान सभी योजनाओं के लिये एक मुश्त मंजूर की जाती है और पृथक पृथक योजनाओं पर अलग अलग नहीं। तदनुसार, महाराष्ट्र सरकार को वर्ष १९६०–६१ में कार्यान्वित की गयी। "राज्य," योजनाओं पर केन्द्रीय सहायता के रूप में ८६,००,००० रुपये का अनुदान मंजूर किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

महाराष्ट्र में केन्द्रीय 'बाद की देखभाल' गृह

†२९७६. **श्री पांगरकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय महाराष्ट्र में कितने केन्द्रीय 'बाद की देखभाल' गृह चल रहे हैं ;

(ख) वे किन स्थानों पर स्थित हैं ;

(ग) इन गृहों में कुल कितने व्यक्ति रहते हैं ; और

(घ) क्या इन गृहों का कार्य संतोषजनक है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में इस समय औरंगाबाद, नागपुर और कोल्हापुर में तीन बाद की देखभाल घर चलाये जा रहे हैं ।

(ग) और (घ) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद्

†२९७७. **श्री पांगरकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी जोनल परिषद् की अगली बैठक के लिये समय और स्थान नियत कर लिया गया है ; और

(ख) क्या बैठक की कार्य–सूची निर्धारित कर ली गयी है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) कार्य-सूची में कुछ बातें शामिल करने के सुझाव प्राप्त हुए हैं परन्तु अभी तक कार्य-सूची को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

पेंशनर

†२९७८. { **श्री अगाडी** :
　　　　　श्री रामपुरे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे सेवा-निवृत्त केन्दीय सरकारी कर्मचारियों की कुल क्या संख्या है जिनकी महंगाई भत्ता समेत निवृत्ति-वेतन की कुल राशि ५,१०, और १५ रुपये प्रति मास से कम की श्रेणी के अधीन आती है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

पेंशन सम्बन्धी मामलों का निबटारा

†२९७९. { **श्री अगाड़ी** :
　　　　　श्री रामपुरे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९ में सेवा-निवृत्त हुए केन्द्रीय सरकारी के निवृत्ति-वेतन के कितने मामले निपटाये जाने के लिये राज्य-वार लम्बित हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वर्ष १९५९ से पूर्व सेवा-निवृत्त हुए उसी श्रेणी के कर्मचारियों के निवृत्ति-वेतन के कितने मामले निपटाने के लिये लम्बित हैं ;

(ग) क्या निवृत्ति-वेतन के मामले शीघ्र निपटाने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो आदेशों का क्या व्योरा है ?

†वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

(ग) पिछले दो वर्षों में निवृत्ति-वेतन की मंजूरी और भुगतान में विलम्ब को कम करने के लिये कुछ प्रक्रियात्मक सुधार किये गये हैं । निवृत्ति-वेतन के लिये सेवावधि और कुल तनख्वाह का हिसाब लगाने सम्बन्धी नियमों को सरल बना दिया गया है । निवृत्ति-वेतन के मामलों को समय पर निपटाने के लिये आदेशों सम्बन्धी एक पुस्तिका प्रकाशित की जा रही है ।

(घ) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें प्रक्रियात्मक सुधारों और नियमों में सरलता सम्बन्धी प्रमुख बातें दी गयी हैं । (देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २)

लौह-अयस्क आदि का उत्पादन

†२९८०. श्री कालिका सिंह : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५६–५७, १९५७–५८, १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में कच्चे लोहे, इस्पात चढ़े हुए लौह-अयस्क, तेल, घन मीटर गैस और कोयले का कितना वार्षिक उत्पादन हुआ और इस उत्पादन की ब्रिटेन, अमरीका, रूस, फ्रांस और कुछ बड़े उत्पादन-देशों में उत्पादन से क्या तुलना है ;

(ख) भारत किस वर्ष तक उपरोक्त वस्तुओं में आत्म-निर्भर हो जायेगा ; और

(ग) क्या भारत निकट भविष्य में एक बड़ी मात्रा में इन वस्तुओं का निर्यात कर सकेगा ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) सभा पटल पर विवरण रखे जाते हैं जिन में उपलब्ध जानकारी दी हुई है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३]

(ख) लौह-अयस्क और कोयले के बारे में भारत आत्म-निर्भर है । यह इस समय बहुत कुछ कच्चे लोहे में भी आत्म-निर्भर है परन्तु जहां तक इस्पात की आवश्यकता का प्रश्न है, यद्यपि कुछ प्रकार के इस्पात में कुछ फालतू भी हो फिर भी निकट भविष्य में इसके आत्म-निर्भर होने की संभावना नहीं है । तेल के बारे में गुजरात, आसाम और अन्य क्षेत्रों में खोज-कार्यों के परिणाम प्राप्त होने पर ही यह समय निर्धारित किया जा सकता है कि हम कब तक तेल में आत्म-निर्भर हो जायेंगे ।

(ग) भारत पहले ही पर्याप्त मात्रा में लौह-अयस्क का निर्यात कर रहा है और पड़ौसी देशों की कुछ कोयले की आवश्यकता को पूरा कर रहा है । उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए कच्चे लोहे, इस्पात, तेल (मोटर स्पिरिट के अतिरिक्त) और प्राकृतिक गैस के निर्यात का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

सैलम में इस्पात संयंत्र

†२९८१. श्री धर्मलिंगम : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैलम में इस्पात संयंत्र स्थापित करने को तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना पर कितनी लागत आयेगी ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) . तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा में लौह अयस्क को कम करने के लिये निवेली में लिग्नाइट का इस्तेमाल करने वाला एक कच्चा लोहा संयंत्र स्थापित करने की व्यवस्था है । इस योजना की अभी प्राथमिक जांच की जा रही है ।

उड़ीसा में आदिम जातीय ग्राम्य कल्याण योजनायें

†२९८२. श्री कुम्भार : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष-वार, अब तक उड़ीसा राज्य में जिलेवार आदिम जातीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिये आदिम जातीय ग्राम्य कल्याण योजनाओं पर राज्य और केन्द्रीय क्षेत्रों से पृथक पृथक कितनी धनराशि आवंटित की गयी ;

(ख) उस धनराशि से अब तक पूरी की जा चुकीं अथवा निर्माणाधीन सड़कों की जिलेवार क्या संख्या है और उनके क्या नाम हैं ;

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में उस धनराशि से मरम्मत की गयी सड़कों की जिलेवार क्या संख्या है और उनके क्या नाम हैं ;

(घ) बाकी काम कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(ङ) अब तक उनमें से जिलेवार सभी ऋतुओं में इस्तेमाल योग्य और अच्छे मौसम में बैल-ठेला चलने योग्य, मोटरें चलने योग्य और बसें चलने योग्य बनायी गयी सड़कों के क्या नाम हैं ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा): (क) से (ङ). अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से मांगी गयी है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

व्यय की मंजूरी देने से पहले प्रस्थापनाओं की जांच

†२९८३. श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे सरकारी इमारतों में वातानुकूलित संयंत्रों और सुख सुविधा के संयंत्र लगाने के बारे में व्यय किये जाने से पूर्व प्रस्थापनाओं की जांच करते हैं ; और

(ख) इस जांच में किन बातों पर ध्यान दिया जाता है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी, हां । वित्त मंत्रालय सरकारी इमारतों में वातानूकूलन के बारे में प्रस्थापनाओं की जांच करता है । यह स्पष्ट नहीं है कि सुख सुविधा के संयंत्रों से माननीय सदस्य का क्या तात्पर्य है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि आवश्यक समझा जाये और निधि और विद्युत् शक्ति उपलब्ध हो, तो

(१) नार्थ और साउथ ब्लाकों में और हटमेंटों में अतिरिक्त सचिव अथवा उससे ऊपर के रैंक के या बराबरी के पदाधिकारियों को और बहु-मंजिली इमारतों में उप-सचिवों या उनसे ऊपर के अथवा बराबर के पदाधिकारियों को वातानुकूलित संयंत्र दिये जाते हैं ; और

(२) हटमेंटों में ११०० रुपये प्रतिमास वेतन पाने वाले, परन्तु अतिरिक्त सचिव से नीचे के रैंक के, पदाधिकारियों को डेजर्ट कूलर दिये जाते हैं।

जहां तक कार्यालय भवनों, प्रयोगशालाओं आदि के वातानुकूलन का संबंध है, प्रस्थापनाओं पर विद्युत्, निधि और विदेशी मुद्रा को ध्यान में रखते हुये कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखकर विचार किया जाता है।

विदेशी तेल शोधन कारखानों आदि का लाभ

†२९८४. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५८, १९५९ और १९६० में भारत में विदेशी शोधन कारखानों और तेल भंडार और वितरण समवायों द्वारा अर्जित कुल लाभ और शुद्ध लाभ के पृथक पृथक आंकड़े क्या हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें प्रश्नाधीन तेल समवायों द्वारा वर्ष १९५८ और १९५९ में कराधान के लिये उपबन्ध करने के बाद अर्जित कुल और शुद्ध लाभ के आंकड़े बताये गये हैं। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४**] वर्ष १९६० के लिये जानकारी सितम्बर, १९६१ से पहले प्राप्त नहीं होगी।

ऐपीलट[1] असिस्टेंट कमिश्नरों के समक्ष लंबित अपीलें

†२९८५. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६० को ऐपीलेट असिस्टेंट कमिश्नरों (आय-कर) के समक्ष कितनी अपीलें लम्बित थीं ;

(ख) इनमें से कितनी अपीलें दो वर्ष से अधिक समय से लम्बित हैं ; और

(ग) उनमें से कितनी अपीलें एक वर्ष से अधिक और दो वर्षों से कम समय के लिये लम्बित थीं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) ३१ दिसम्बर, १९६० को ऐपीलेट असिस्टेंट कमिश्नरों (आय-कर) के समक्ष ७०,७९४ अपीलें लम्बित थीं।

(ख) १९५८–५९ में जो अपीलें दर्ज की गई थीं उनमें से ३१ दिसम्बर, १९६० को लम्बित अपीलों की संख्या ९९०० थी।

(ग) १९५९–६० में दर्ज की गई अपीलों में से ३१ दिसम्बर, १९६० को १७,२३२ अपीलें लम्बित थीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Appellate Assistant Commissioners

विदेशी नौवहन सार्थोंको दिया गया भाड़ा

†२९८६. श्री हीं० ना० मुकर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८, १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ के दौरान वाणिज्यिक माल के कारण विदेशी नौवहन सार्थों को कितना भाड़ा दिया गया ; और

(ख) उक्त अवधि में खाद्यान्न के कारण विदेशी नौवहन सार्थों को कितना भाड़ा दिया गया था ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख). इसके आंकड़े पत्री वर्ष के आधार पर एकत्रित किये जाते हैं। वर्ष १९५७, १९५८, और १९५९ के आंकड़े दिये जाते हैं :

(करोड़ रुपयों में)

	१९५७	१९५८	१९५९
वाणिज्यिक माल . . .	७८.३६	५१.३२	४६.१५
खाद्यान्न आयात	२४.३३	१४.६५	१७.०२

वर्ष १९६० के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुये।

'बाद की देखभाल' गृह

†२९८७. श्री कृष्ण चन्द्र : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में समाज कल्याण योजना के अन्तर्गत कितने 'बाद की देखभाल' गृह चल रहे हैं ;

(ख) ये संस्थायें किन किन स्थानों पर हैं ;

(ग) उनमें से प्रत्येक में ३१ दिसम्बर, १९६० को कितने लोग थे ;

(घ) उनमें से प्रत्येक में लोगों को किन किन शिल्पों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ; और

(ङ) प्रत्येक संस्था के कितने लोगों को ३१ मार्च, १९६० तक लाभदायक रोजगार दिलाया गया और उक्त तिथि तक कितनी स्त्रियों का विवाह प्रत्येक संस्था में हुआ ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५]।

(ग) से (ङ). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा में आग

†२९८८. श्री कुम्भार : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के बोलंगीर जिला के सोनपुर सब डिवीजन के कुमुदो का समूचा गांव पिछले सप्ताह जल कर खाक हो गया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो अब तक उन्हें कितनी सहायता और पुनर्वास सहायता दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). सूचना उड़ीसा राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पंजाब में प्राथमिक शिक्षा

†२९८९. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम राज :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में प्राथमिक शिक्षा के विभाग के लिये पंजाब सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ख) १९६१–६२ में देने के लिये कितनी राशि रखी गई है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) पंजाब सरकार को १९६०–६१ में निम्न राशियां मंजूर की गई थीं ;

(१) प्राथमिक शिक्षा के विकास वाली योजनाओं समेत राज्य क्षेत्र में शिक्षा विकास योजनाओं पर केन्द्रीय सहायता—१२०,१३,००० रुपये ।

(२) केन्द्र द्वारा पोषित प्रारम्भिक शिक्षा संबंधी योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता—३,११,४४८ रुपये ।

(ख) १९६१–६२ में दी जाने वाली अनुदानों की राशि के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

हीरों का तस्कर व्यापार

†२९९०. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में हीरों के तस्कर व्यापार में वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो १९६०–६१ में कितने मामले पकड़े गये हैं ; और

(ग) तस्कर व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) लगभग १४ लाख रुपये, १२ लाख रुपये, और १८.२५ लाख रुपये क्रमशः की लागत के चोरी छिपे लाये गये हीरे वर्ष १९५८, १९५९ और १९६० में सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गये थे । यद्यपि यह सच है कि पकड़े गये हीरों के मूल्य में थोड़ी वृद्धि हुई है यह कहना सही नहीं होगा कि तस्कर व्यापार बढ़ रहा है

(ख) ७ मामले ।

(ग) उक्त ७ मामलों में अन्तर्ग्रस्त लोगों के विरुद्ध निम्न कार्रवाई की गई थी :

(१) एक मामले की पड़ताल हो रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) एक मामले में पकड़े गये हीरे जांच पड़ताल और न्याय विर्णयन के बाद मालिक को दे दिये गये;

(३) चार मामलों में हीरे सर्वथा जब्त कर लिये गये, सब मामलों में अभियोग चलाये गये। दो मामलों में लोगों को दंड दिया गया और शेष दो मामले अभी लम्बित पड़े हैं।

(४) शेष एक मामले में न्याय निर्णयन कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई। संबद्ध व्यक्ति पर अभियोग भी चलाया जा रहा है।

आसाम चाय पर उत्पादन शुल्क

†२९९१. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या वित्त मंत्री २४ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४१९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसामी चाय पर उचित उत्पादन शुल्क निश्चित किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). वर्तमान स्थिति एक वर्ष के लिए जारी रखी जा रही है और उसके बाद मामले पर अग्रेतर विचार किया जा रहा है।

मद्रास राज्य में कोक भट्टी संयंत्र

†२९९२. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २४ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में कोक भट्टी संयंत्र स्थापित करने के लिये व्योरा बना लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). मद्रास सरकार ने अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना में ५०० टन कोयला प्रतिदिन की कुल क्षमता वाला एक कोक भट्टी संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया था। संयंत्र पर पूंजी लागत का २५० लाख रुपये का अनुमान लगाया गया था। राज्य सरकार के परामर्श से प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं के परीक्षण किये जाने के पश्चात्, भारत सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि मद्रास में ऐसे संयंत्र के लिये कोई उपबन्ध नहीं किया जा सकता था। इसलिये राज्य सरकार ने प्रस्ताव रद्द कर दिया।

दिल्ली में अकाली आन्दोलन

†२९९३. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री भक्त दर्शन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १२ जून, १९६० से लेकर अब तक दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में अकाली आन्दोलन के सम्बन्ध में कितने लोग गिरफ्तार किये गये हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितने व्यक्ति छोड़ दिये गये हैं ; और

(ग) कितने लोग अभी जेल में हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) ५२९४ ।

(ख) ५२५२ ।

(ग) ४३ ।

भारतीय विश्वविद्यालयों में पश्चिम जर्मनी के अध्यापक

†२९९४. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विश्वविद्यालयों के लिये कुछ अध्यापकों की सेवाएं प्राप्त करने के लिये पश्चिम जर्मनी की सरकार से कोई प्रार्थना की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो किन विषयों और किन विश्वविद्यालयों के लिये ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में योग्यता एवं साधन छात्रवृत्तियां

†२९९५. { **श्री अजित सिंह सरहदी** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ मे पंजाब की प्रत्येक प्रविधिक संस्था को कितनी योग्यता एवं साधन छात्रवृत्तियां आवंटित की गईं ; और

(ख) १९६१–६२ के लिये कितना आवंटन किया जा रहा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). १९६०–६१ मे योग्यता एवं साधन छात्रवृत्तियां योजना के अन्तर्गत पंजाब में प्रविधिक संस्थाओं को आवंटित की गई छात्रवृत्तियों की संख्या नीचे दिखाई जाती है :—

संस्था का नाम	आवंटित छात्र-वृत्तियों की संख्या
१. प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों की संस्थायें	
१. गुरु नानक इंजीनियरिंग कालेज, लुधियाना .	७
२. पंजाब इंजीनियरिंग कालेज, चंडीगढ़	१३
३. थापर इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग ऐंड टैक्नोलोजी, पटियाला . .	७
४. टैक्नोलौजिकल इंस्टीट्यूट आफ टैक्सटाइल्स, भिवानी . .	२

†मूल अंग्रेजी में

५. डिपार्टमेंट ग्राफ फार्मेक्यूटिक्स, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ .	१
६. डिपार्टमेंट ग्राफ केमिकल इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नालोजी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़	१
२. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों वाली संस्थायें	
७. गवर्नमेंट पालीटैक्निक ग्रम्बाला शहर . . .	३
८. गुरु नानक इंजीनियरिंग कालेज, लुधियाना . . .	२
९. महेर चंद टैक्निकल इंस्टीट्यूट , जालंधर . . .	२
१०. नैशनल इंस्टीट्यूट ग्राफ इंजीनियरिंग होशियारपुर . .	२
११. पंजाब पोलीटैक्निक नीलोखेरी	३
१२. रामगढ़िया पोलीटैक्निक फगवाड़ा . . .	२
१३. ताराकरन एस० डी० टैक्नीकल इंस्टीट्यूट, बैजनाथ . .	१
१४. थाप पोलीटैक्निक एण्ड स्कूल ग्राफ इंजीनियरिंग, पटियाला .	२
१५. पंजाब इंस्टीट्यूट ग्राफ टैक्सटाइल टैक्नालोजी, ग्रमृतसर .	१
१६. सेंट्रल पोलीटैक्निक, चंडीगढ़	२
१७. गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जालंधर . . .	१
जोड़ .	५२

१९६१–६२ का ग्रावंटन ग्रभी तक नहीं किया गया है ।

पंजाब ग्रौर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालयों के ग्रध्यापक

†२९९६. **श्री ग्रजित सिंह सरहदी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग किसी विषयों के लिये पंजाब ग्रौर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालयों में किन्हीं ग्रध्यापकों ग्रौर प्रोफैसरों के वेतन के लिये राशि देता है ;

(ख) यदि हां, तो कितने ग्रध्यापकों ग्रौर प्रोफैसरों को ; ग्रौर

(ग) उन ग्रध्यापकों एवं प्रोफेसरों की नियुक्ति का क्या तरीका है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां श्रीमान्, केवल पंजाब विश्वविद्यालय के ग्रध्यापकों को ।

(ख) ९८ ।

(ग) सब नियुक्तियां पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा इसके ग्रपने ग्रधिनियम ग्रौर विनियमों के उपबन्धों के ग्रनुसार की जाती हैं । विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग ने लगभग विश्वविद्यालयों के प्रोफैसरों, रीडरों ग्रौर लैक्चररों की नियुक्ति के लिये केवल निम्नतम योग्यताएं निर्धारित कर रखी हैं ।

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

राजस्थान में केन्द्रीय करों की कमी

†२९९७. **श्री पांगरकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९–६० मे राजस्थान में केन्द्रीय करों को एकत्र करने में कोई कमी हुई और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) वर्ष १९५८–५९ की तुलना में १९५९–६० में राजस्थान में केन्द्रीय करों की वसूली में कोई कमी नहीं हुई।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गैर-सरकारी क्षेत्रों के लिये इंगलैंड से ऋण

†२९९८. **श्री पांगरकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६० में गैर-सरकारी क्षेत्र में भारत मे उद्योगों की स्थापना के लिये किन्ही भारतीय फर्मों को इंग्लैंड के ऋण से कुछ राशि प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के क्या नाम हैं और कितना कितना ऋण उनको मिला है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, नहीं। तथापि इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत सरकार को दिये गये ऋणों के अन्तर्गत उपलब्ध विदेशी मुद्रा का कुछ अंश गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगो के उपयोग के लिये उनके द्वारा नकदी दिये जाने पर, आवंटित किया जाता है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नागार्जुन कोंडा की खुदाइयां

†२९९९. **श्री नरसिंहम्** : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५६–५७, १९५७-५८, १९५८-५९, १९५९-६० और १९६०–६१ के दौरान नागार्जुन कोंडा की खुदाइयों के कितने कनिष्ठ प्रथम श्रेणी के अफसर काम पर लगे हुए हैं ;

(ख) उनके कर्तव्य और उत्तरदायित्व क्या थे ;

(ग) खुदाइयों और अनुसन्धान के बारे में उन का पहला अनुभव कितना था ;

(घ) क्या उन्हें कोई उत्तरदायी स्वतंत्र काम दिया गया था ; और

(ङ) उनके कार्यों का समन्वय किस प्रकार किया जाता था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उप मंत्री (डा० म० मो० दास) : (क)

१. १९५६-५७---३

२. १९५७-५८---६

३. १९५८-५९--६

४. १९५९-६०---५

५. १९६०-६१---५

जिनमें से एक अफसर मई, १९६० में, एक जून, १९६० मे और दो सितम्बर, १९६० में हटा दिये गये ।

(ख) खुदाई के काम करवाने और उसका अवीक्षण करने, प्राप्त वस्तुयों और प्राचीन चीजों तथा चित्रकारी एवं फोटोग्राफी का अभिलेख रखना । वे सुपरिंटेंडेंट को उसके प्रशासनिक कामों में भी सहायता करते हैं ।

(ग) दो अफसरों को छोड़ कर सभी अफसरों ने पुरातत्व और खुदाइयों का प्रशिक्षण लिया हुआ था ;

(घ) जूनियर अफसरों को पृथक काम का उत्तरदायी किस्म का काम दिया गया था । काम तथा समन्वय के लिये उन्हें एक वरिष्ठ अफसर के निर्देशाधीन रखा गया था ।

गुब्बारा कार

३०००. श्री रघुनाथ सिंह : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन में हेम्पशायर के निवासी श्री ब्रुक्स ने एक "गुब्बारा कार" का अविष्कार किया है जो समुद्र के पानी में नीचे अच्छी तरह चल सकती है तथा तटवर्ती सफाई आदि के काम में सुगमतापूर्वक प्रयोग की जा सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में इसके प्रयोग का प्रयास किया जायेगा ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) इस बारे में सरकार को कोई खबर नहीं है ।

(ख) इसके ब्यौरे मालूम हो जाने पर इस बात पर विचार किया जायेगा ।

अवैध शस्त्र निर्माता समवाय

†३००१. श्री रघुनाथ सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी १९६० से फरवरी १९६१ तक कितनी अवैध रूप से शस्त्र बनाने वाली फैक्टरियां भारत में काम करती हुई पाई गई हैं या सरकार द्वारा पकड़ी गई हैं ?

†गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : सूचना एकत्रित की जा रही है । और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास में संरक्षित स्मारक

†३००२. { **श्री सुब्बया अम्बलम :**
श्री पलनियांडी :
श्री इलयापेरुमाल : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ के लिये मद्रास राज्य में प्रत्येक रक्षित स्मारक की मरम्मत और विशेष मरम्मत के लिये कुल कितनी राशि आवंटित की गई ; और

(ख) प्रत्येक रक्षित स्मारक के लिये अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और-सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) **और (ख)**. मद्रास राज्य में ४१३ स्मारक हैं । सूचना प्राप्त करने में कितना समय और मेहनत खर्च होगी वह प्राप्त होने वाले परिणाम से कहीं अधिक होगी ।

बैंक आफ चाइना के मैनेजर के विरुद्ध मामला

†३००३. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत छोड़ने के लिये सरकार के आदेश का उल्लंघन करने के लिये बैंक आफ चाइना के मैनेजर के विरुद्ध कोई मामला आरम्भ किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, हां ।

(ख) मामला वापिस ले लिया गया क्योंकि वह स्वयं भारत छोड़ कर चला गया ।

दिल्ली से बम्बई तक विदेशी शराब का तस्कर व्यापार

†३००४. **श्री आसर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली पुलिस ने तस्कर व्यापारियों का एक गिरोह गिरफ्तार किया है जो लगातार दिल्ली से बम्बई तक विदेशी शराब चोरी छिपे ले जाया करते थे ;

(ख) क्या यह सच है कि वह शराब एक विदेशी दूतावास से खरीदी जाती थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). दिल्ली पुलिस ने जुलाई १९६० में एक तस्कर व्यापारी के मकान में विदेशी शराब की ३७९ बोतलें पकड़ी थीं । इसके फलस्वरूप कुछ दूसरे लोग भी गिरफ्तार किये गये जो दिल्ली के एक विदेशी मिशन से विदेशी शराब खरीद कर बम्बई को चोरी छिपे ले जा रहे थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में आदिम जातीय भूमिधारी

†३००५. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि त्रिपुरा में कैलाशहर सब डिवीज़न के आनन्द बाजार क्षेत्र के बहुत से आदिम जातीय लोगों को पिछले दो वर्षों में ऋणों के कारण स्थानीय महाजनों को अपनी भूमियां सौंपने को बाध्य होना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन दो वर्षों में ऋण के कारण आदिम जाति के किसानों द्वारा महाजनों को हस्तांतरित की गई भूमि की सांख्यिकी एकत्रित करने का प्रबंध करेगी; और

(ग) निर्धन आदिम जाति लोगों के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव करती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग) कैलाशहर सब डिवीज़न के आदिम जातीय लोगों की ओर से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। धर्मनगर सब डिवीज़न के सुभाष नगर के एक आदिम जातीय सरदार श्री पुण्यराम रियांग की ओर से एक अभियाचिका प्राप्त हुई है ; जिस में यह आरोप लगाया गया है कि एक स्थानीय महाजन उसे उस भूमि से निकालने की धमकी दे रहा है जो उसने कुछ रुपया उधार लेकर खरीदी थी। उस ने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ अन्य आदिम जातीय रियांग लोग इसी प्रकार की परिस्थितियों में निकाल दिये गये हैं या निकाले जा रहे हैं। शिकायत की जांच की जा रही है ।

त्रिपुरा में फौजदारी के मामले

†३००६. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में पुलिस ने अगरतला के न्यायालयों में हस्तक्षेप्य अपराधों के कितने मामले पेश किये हैं और कितने मामले में अभियुक्तों को दण्ड दिया गया है ; और

(ख) अगरतला न्यायालय में कितने फौजदारी मामले अभी लंबित पड़े हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) ११९० मामले पेश किये गये थे जिनमें से ७४ मामलों में दंड दिया गया ।

(ख) ७७ ।

सबरूम, त्रिपुरा में प्रदर्शन

†३००७. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २६ नवम्बर, १९६० को सिलचर वीट वन कार्यालय के प्रांगन में त्रिपुरा के सबरूम के गोरकापा मौजा के लोगों ने कोई प्रदर्शन किया ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रदर्शन कारियों ने सिल्चर वन कार्यालय के प्रभारी अफसर की मार्फत सरकार के सामने कोई कठिनाइयां पेश की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो वे कठिनाइयां क्या हैं और उन को दूर करने के लिये क्या कार्रवाइयां की गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां।

(ख) प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाये और मांग की कि पशुओं द्वारा घास चरने का कर और रक्षित बनों का उन्मूलन किया जाए, वन नियम हटाये जाएं, वन कार्यालय उस क्षेत्र से हटाया जाए तथा बागान कार्रवाई बन्द कर दी जाए।

(ग) घास चरने के कर में पहले ही काफी कमी की जा चुकी है। दूसरी मांगें पूरी नहीं की जा सकतीं क्योंकि बनों को नष्ट होनेहे से बचाने की जरूरत है।

उन्नत पैट्रोलियम उत्पादों को रखने के लिये भण्डार बनाना

†३००८. श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडियन आयल कम्पनी ने उन्नत पैट्रोलियम उत्पादों को रखने के लिये अपने भंडार बनाने के लिये कुल कितनी राशि खर्च की है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ग सिंह) : मैसर्स इंडियन आयल कंपनी ने १-४-६१ तक पत्तनों पर और अन्तर्देशीय स्थानों पर बड़े भंडार बनाने पर लगभग १७ लाख रुपये खर्च किये हैं। हालांकि ये भंडार आयात किये गये उत्पादों को रखने के लिये मूलतः बनाये गये हैं; किन्तु इन में देशी उत्पादों को भी रखा जाएगा जब इंडियन आयल कंपनी उनका संभरण करेगी।

उड़ीसा नें साहित्य रचनालय

†३००९. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार को वर्ष १९६०–६१ में राज्य में एक साहित्य रचनालय स्थापित करने के लिये प्रशासनीय अनुमति दे दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो यह साहित्य रचनालय राज्य में कब स्थापित हुआ ; और

(ग) इस रचनालय का इंचार्ज कौन है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां।

(ख) फरवरी और मार्च, १९६१ के महीनों में। यह १७–२–१९६१ को आरम्भ हुआ।

(ग) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक निदेशक।

असैनिक कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

†३०१०. श्री स० मो० बनर्जी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १५० रुपये तक वेतन पाने वाले असैनिक कर्मचारियों के बारे में वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार मकान-किराया भत्ते को १० प्रतिशत से घटा कर ७ १/२ प्रतिशत करने के बारे में आदेश जारी किये जा चुके हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) इस निर्णय को शीघ्र कार्यान्वित करने के बारे में सरकार ने क्या पग उठाये हैं ; और

(घ) क्या इसको १ जुलाई, १९५९ के भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।.

(घ) जी, हां ।

जनगणना

३०११. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ की जनगणना में लोगों की उपजाति न लिखने के क्या कारण हैं; और

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की गणना करते समय उनकी जाति न लिखने के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) गृह-कार्य मंत्री द्वारा "जातिवाद" के उन्मूलन के प्रश्न पर १४ फरवरी, १९५८ को राज्य सभा से बताई गई सरकार की नीति के अनुसार १९६१ की जनगणना में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अतिरिक्त अन्य जातियों की गणना नहीं की गई थी।

(ख) यह बात असत्य है, कि जनगणना के समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की जातियां नहीं लिखी गई थी । यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य अथवा जिले में रहने वाली अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का था, तो उसकी जाति का नाम जनगणना पत्रों में लिखा गया था ।

उड़ीसा में लड़कियों की शिक्षा

†**३०१२. श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा को राज्य में लड़कियों की शिक्षा के विस्तार और महिला अध्यापकों के प्रशिक्षण में सहायता के लिये वर्ष १९६०–६१ में ३,७२,५५२ रुपये मंजूर किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का क्या ब्योरा है जिनके लिये यह धनराशि मंजूर की गयी है ; और

(ग) इस कार्य के लिये वर्ष १९६१–६२ में उड़ीसा के लिये कितना धन मंजूर किया जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां । वर्ष १९६०–६१ के लिये राज्य सरकार से प्राप्त भुगतान मंजूरी विवरण के आधार पर ५.०१ लाख रुपये की धन राशि मंजूर की गयी है ।

(ख) क्रियान्विति के लिये आरम्भ की गयी उपयोजनायें ये हैं :—

१. स्कूल माताओं की नियुक्ति और उनका प्रशिक्षण ।
२. महिला अध्यापकों के लिये क्वार्टरों का निर्माण ।
३. अध्यापक प्रशिक्षार्थियों को अधिछात्रवृत्ति ।
४. महिला अध्यापकों के लिये रिफ्रेशर कोर्स ।
५. प्रौढ़ महिलाओं के लिये संघनित पाठ्यक्रम ।
६. बालिकाओं के लिये उपस्थिति छात्रवृत्तियां ।
७. माध्यमिक और सेकेन्डरी स्कूलों में लड़कियों के लिये छात्रावासों का निर्माण ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यह योजना समाप्त कर दी गयी है और इसलिये वर्ष १९६१–६२ के लिये कोई उपबन्ध नहीं किया गया है ।

राज्य में विभिन्न करों की बकाया

†३०१३. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ मार्च, १९६१ को उपहार कर, सम्पत्ति कर और व्ययकर, के कारण पृथक पृथक प्रत्येक राज्य में कुल कितनी रकम बकाया है ; और

(ख) इन बकाया रकमों की वसूली के लिये क्या पग उठाये गये हैं अथवा उठाये जायेंगे ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

मिट्टी के तेल और डीजल तेल की भंडार क्षमता

†३०१४. **श्री अरविंद घोषाल :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिट्टी के तेल और डीजल तेल के लिये भारतीय तेल समवाय की वर्तमान भंडार क्षमता क्या है ;

(ख) क्या इस में वृद्धि की जावेगी; और

(ग) यदि हां, तो कहां और कितनी वृद्धि की जावेगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) से (ग). इस समय समवाय की क्षमता ५०,००० टन की है । समवाय ने अतिरिक्त भंडार बनाना आरम्भ कर दिया है और भारतीय तेल समवाय के संगठन की प्रथम प्रावस्था के रूप में उनकी योजना २,००,००० टन से अधिक निर्धारित क्षमता तक पहुंचने की है ।

विदेशी भुगतान

†३०१५. **श्री ही० ना० मुखर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५७–५८, १९५८–५९ और १९५९–६० में (१) गैर-सरकारी खाते पर और (२) सरकारी खाते पर पृथक पृथक हमारे विदेशी भुगतान की कुल कितनी रकम है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** गैर-सरकारी और सरकारी खाते पर कुल विदेशी भुगतान के पृथक पृथक आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

	१९५७–५८	१९५८–५९	१९५९–६०
			(रुपये करोड़ों में)
गैर-सरकारी खाता .	८७४.२	६७८.७	६५७.८
सरकारी खाता . .	५८६.७	५७६.४	६१२.१
कुल .	१४६०.९	१२५५.१	१२६९.९

यह वर्गीकरण लाइसेंसधारियों की स्थिति के आधार पर है और वास्तविक उपभोक्ता के आधार पर नहीं ।

†मूल अंग्रेजी में

निर्वाचन याचिकायें

†३०१६. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या विधि मंत्री १० मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४७३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर में उल्लिखित उत्तर प्रदेश विधान सभा के कुछ अनर्ह सदस्यों ने अनर्हता हटाये जाने के बारे में पुनः आवेदन किया है ;

(ख) उन व्यक्तियों की क्या संख्या है जिन के बारे में ४ वर्षों के लिये अनर्हता हटा दी गयी ;

(ग) क्या एक व्यक्ति ने १ महीने अथवा उससे अधिक के लिये अनर्हता हटाने के लिये फिर कहा है ;

(घ) क्या निर्वाचन आयोग ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली है ; और

(ङ) यदि हां, तो यह किस आधार पर मानी गयी है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस) :** (क) से (ग). मूलतः पांच अनर्ह व्यक्तियों में से दो ने अनर्हता हटाये जाने के बारे में आवेदन किया था । एक मामले में निर्वाचन आयोग ने अनर्हता हटा दी थी और दूसरे मामले में इसने अवधि को छः वर्ष से घटा कर दो वर्ष कर दी । जिस व्यक्ति की अनर्हता अवधि घटा कर दो वर्षों के लिये की गयी थी उसने इसको घटा कर दो महीने करने के लिये फिर आवेदन किया है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आंध्र की लोहे और इस्पात की आवश्यकता

†३०१७. **श्री अंजनप्पा :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस्पात और लोहे की कितनी मांग की ;

(ख) कितना मंजूर किया गया ; और

(ग) वास्तव में कितना संभरण किया गया ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) से (ग)

(१) इस्पात

(टनों में)

	मांग	आवंटन / मंजूर	संभरण
१९५६-५७ . .	६६,१६४	२७,२३३	२५,३५२
१९५७-५८ .	६६,१५६	२२,०१०	२७,६२४
१९५८-५९ . .	५०,४२५	३३,२१४	२५,६८६
१९५९-६० . . .	११०,२७८	७८,०१५	४६,३४०
१९६०-६१ . . .	१८५,२८७	१३३,८२७	६२,०९७ (*)

(*) फरवरी, १९६१ तक

†मूल अंग्रेजी में

(२) **कच्चा लोहा** ।

	मांग	आवंटन ; मंजूर	संभरण
१९५९–६० .	२,८२१	२,७०८	२,२८४
१९६०–६१ . . .	३,६००*	३,१३९	२,८१७(†)

*जनवरी, १९६० तक

(†) जनवरी, १९६१ तक

राज्यों को वर्ष १९५९–६० से पूर्व के कच्चे लोहे के संभरण के आंकड़े नहीं रखे गये थे । १–७–५९ से कच्चे लोहे पर से वितरण नियंत्रण उठा लिया गया था ।

रिमार्क: चादरों और तारों के अतिरिक्त इस्पात के लिये अभ्यंश प्रमाणपत्रों की पद्धति वर्ष १९६०–६१ मे समाप्त कर दी गयी । इन दो श्रेणियों के अतिरिक्त सभी इन्डेन्टों पर पूरा संभरण किया गया । अतः वर्ष १९६०-६१ के लिये आवंटन के अधीन दिखाये गये आंकड़ों में अभ्यंश प्रमाणपत्रों और अन्य श्रेणियों के लिये लोहा तथा इस्पात नियंत्रक को भेजी गयी कुल मांग के अधीन आवंटित मात्रा के आंकड़े हैं ।

संभरण मे केन्द्रीय अभ्यंश पर संभरण और राज्यों में नियंत्रित स्टाकिस्टों के संभरण शामिल हैं और ये आंकड़े चालू और बकाया आर्डरों के विरुद्ध संभरण के बारे में हैं ।

राष्ट्रीय बनस्पति उद्यान, लखनऊ

३०१८. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनस्पति उद्यान, लखनऊ के लिये जो कोठी खरीदी गई है उसकी क्या कीमत है ;

(ख) इस कोठी से मिली हुई जो दूसरी कोठी है, जो कि इतनी ही बड़ी है, उसे किसी अन्य व्यक्ति ने कितने हजार रुपये में खरीदा है ;

(ग) क्या यह सच है कि वनस्पति उद्याग द्वारा खरीदी गई कोठी में सी० आई० डी० का दफ्तर है ;

(घ) इस बंगले के अलावा क्या वनस्पति उद्यान ने प्रताप मार्ग पर भी अपना एक भवन बनवाया है ;

(ङ) यदि हां, तो उसकी लागत क्या है ; और

(च) वनस्पति उद्यान को जब से सरकार ने अपने हाथ में लिया है तब से उसकी क्या आमदनी सरकार को है ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) जमीन का एक टुकड़ा पुराना बंगले के साथ १,०६,९०० रुपयों में २६–६–५९ को खरीदा गया था । यह कीमत एक्वीजीशन अफसर और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, पी० डब्ल्यू० डी० लखनऊ द्वारा मुकर्रर की गई थी ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस बारे में कोई खबर नहीं है ।

(ग) जी नहीं, क्योंकि इस दफ्तर ने यह जगह ३१–१०–१९६० को खाली कर दी थी ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) सवाल पैदा नहीं होता ।

(च) बीज, फूलो वगैर: की बिक्री से अप्रैल, १९५३ से २८ फरवरी, १९६१ के दरम्यान १,७१,०७८.२४ रुपये ।

त्रिपुरा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को बोर्डिंग अधिछात्रवृत्तियां

†३०१९. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के निम्नलिखित स्थानों में सरकारी सहायता से बनाये गये बोर्डिंग हाउसों में रहने वाले अनुसूचित आदिम जाति के विद्यार्थियों को कोई बोर्डिंग अधिछात्रवृत्ति मिलती है :

(१) दामचेरा, (२) फटीकरा हाई स्कूल, (कैलाशहर), (३) रमेश हाई स्कूल (उदयपुर), (४) मऊ बाजार (सबरूम), (५) नेताजी सुभाष विद्या निकेतन (अगरताला), (६) प्रगति विद्याभवन (अगरताला), (७) बर्दवाली हाई स्कूल (अगरताला), (८) कटलामारा (सदर) ।

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार गैर-सरकारी बोर्डिंग हाउसों में रहने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को बोर्डिंग अधिछात्रवृत्ति देना चाहती है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

त्रिपुरा के विद्यार्थियों के लिये प्रवेश परीक्षा

†३०२०. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१ में त्रिपुरा के हाई और हायर सेकेन्डरी स्कूलों में छठी से नवीं कक्षा तक में प्रवेश पाने के लिये कुल कितने विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा में बैठे ;

(ख) इस परीक्षा के बाद इन कक्षाओं में कुल कितने विद्यार्थियों को दाखिल किया गया ;

(ग) इन परीक्षाओं में बैठने वाले अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है ;

(घ) परीक्षाओं के बाद अनुसूचित आदिम जाति और अनुसूचित जाति के कुल कितने विद्यार्थियों को दाखिल किया गया ; और

(ङ) उन विद्यार्थियो के लिये, जिन्हें वर्तमान स्कूलों में प्रवेश नहीं मिल सका, क्या व्यवस्था की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) से (ङ). त्रिपुरा प्रशासन से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

अगरताला हवाई अड्डे के निकट हाई स्कूल

†३०२१. **श्री दशरथ देव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरताला हवाई अड्डा, त्रिपुरा के निकट कोई हाई अथवा हायर सेकेन्डरी स्कूल है ; और

(ख) क्या हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने अपने बच्चों के लिये वहां पर एक हाई अथवा हायर सेकेन्डरी स्कूल की मांग की है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां । एक मांग की गयी थी परन्तु प्रशासन का मूल्यांकन यह है कि उसमें विद्यार्थियो की संख्या इतनी नहीं होगी जिससे प्रशासन द्वारा वहां पर एक हाई स्कूल स्थापित करने पर, जो बाद में हायर सेकेन्डरी स्कूल बनाया जायेगा, खर्च उचित माना जाये ।

मनीपुर का प्राचीन महल

†३०२२. **श्री लै० अचौ सिंह** : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनीपुर के प्राचीन महल और इम्फाल मे प्राचीन गोविन्दजी मन्दिर को सुरक्षित रखा है या उनका परित्याग कर दिया है ; और

(ख) यदि उनका परित्याग कर दिया गया है, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). वे संरक्षित समारक नहीं हैं और क्योंकि वे राष्ट्रीय महत्व के नही हैं, उनको संरक्षित रखने की कोई प्रस्थापना नहीं है ।

उखरूल, मनीपुर में दुर्लभ किस्म का फूल[1]

†३०२३. **श्री ल० अचौ सिंह** : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिराय लिली नामक दूर्लभ किस्म का फूल उखरूल, मनीपुर में समुद्र के स्तर से लगभग ६००० फुट ऊंची एक पहाड़ी पर पाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि प्रतिवर्ष भारत से बड़ी मात्रा में फूलों का निर्यात किया जाता है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां ।

(ख) क्योंकि इस फूल के बारे मे देश के व्यापार वर्गीकरण में पृथक रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, इसके निर्यात के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

---

† मूल अंग्रेजी में

[1] A Rare Species of Flower.

उड़ीसा में भूमिहीन श्रमिकों को फालतू भूमि का दिया जाना

†३०२४. **श्री कुम्भार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में भूमिहीन श्रमिकों को फालतू भूमि के वितरण के लिये उड़ीसा सरकार किसी प्रस्थापना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का स्वरूप क्या है ; और

(ग) अब तक योजना की कार्यान्विति के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम की धारा ४६(२) (घ) में भूमिहीन व्यक्तियों को फालतू भूमि देने की व्यवस्था है और अभी इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू किया जाना है ।

केरल में हिन्दी

†३०२५. **श्री मनियंगाडन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल ग्रन्थशाला संगम ने केरल में हिन्दी के प्रचार के लिये कोई योजना भेजी है ;

(ख) वह योजना क्या है ; और

(ग) उस योजना की कार्यान्विति के लिये सरकार द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** (क) और (ख). केरल ग्रन्थशाला संगम ने निम्नलिखित योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता मांगी है :—

(१) ५०० पुस्तकालयों में हिन्दी के अनुभाग प्रारम्भ करना ।

(२) ५०० पुस्तकालयों में हिन्दी कक्षायें प्रारम्भ करना ।

(३) ५०० पुस्तकालयों को भत्तों की अदायगी ।

(४) पांच पर्यवेक्षकों और पांच संगठनकर्ताओं की नियुक्ति ।

(५) एक चलती फिरती पुस्तक गाड़ी (जिस में आडियो-विजुअल सेट की व्यवस्था भी रहेगी) की खरीद ।

(६) ५०० पुस्तकालयों में हिन्दी दिवस मनाना ।

(७) ग्रन्थशाला संगम के वर्तमान सरकारी भाग 'ग्रन्थलोक' में अतिरिक्त हिन्दी अनुभाग की स्थापना ।

(८) प्रशिक्षण के लिये उत्तर भारत के हिन्दी पुस्तकालयों में पुस्तकालयाध्यक्षों को भेजना ।

(९) ५०० पुस्तकालयों में अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था ।

(ग) प्रार्थना अभी विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी मे

पाकिस्तानी चलार्थ (करेंसी) का पकड़ा जाना

†३०२६. **श्री आसर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २४ मार्च, १९६१ को केन्द्रीय वित्त मंत्रालय प्रवर्तन निदेशालय ने मध्य बम्बई में लगभग ३००० रुपयों के पाकिस्तानी नोट पकड़े थे ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई)** : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम की धारा १९(३) के अधीन २३ मार्च, १९६१ को बम्बई की कुछ इमारतों की तलाशी लेने पर वित्त मंत्रालय के प्रवर्तन निदेशालय के पदाधिकारियों ने सौ-सौ रुपयों के ३० पाकिस्तानी नोट और कुछ कागजात पकड़े थे, उक्त कागजातों का परीक्षण किया जा रहा है। क्योंकि मामला अभी विचाराधीन है, इसलिये इस समय उस का ब्योरा बताना संभव नहीं है ।

केन्द्रीय बैंकों के गवर्नरों का सम्मेलन

†३०२७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने इस वर्ष के अप्रैल मास में टोकियो मे हो रहे केन्द्रीय बैंकों के गवर्नरो के सम्मेलन में अपना प्रतिनिधि भेजने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में किन किन मामलों पर विचार किया जायेगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई)** : (क) और (ख). जापान, आस्ट्रेलिया, न्यू जीलैण्ड, लंका, पाकिस्तान और भारत के केन्द्रीय बैंकों के गवर्नरों का सम्मेलन टोकियों में अप्रैल १९६१ के पहले सप्ताह में हुआ था जिस में १९६० में बम्बई में हुए गत केन्द्रीय बैंकिंग कोर्स की रिपोर्ट पर विचार किया गया था । भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर ने उस सम्मेलन में भाग लिया था ।

द्वि विवाह

३०२८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय गृह-कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारो तथा संघ राज्य-क्षेत्रों को आदेश दिया है कि उन महिलाओं को, जिन्होंने ऐसे व्यक्तियों से विवाह किया हो जिनकी पहली पत्नी जीवित हो, सरकारी नौकरियों पर नहीं रखा जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस आदेश की एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों ने उस आदेश पर अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार) : (क) से (ग) केन्द्रीय सिविल सेवाओं तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को लागू होने वाले आदेशों की एक प्रतिलिपि सभापटल पर रख दी गई है । **[देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९]** इन आदेशों की एक प्रतिलिपि राज्य सरकारों को सूचनार्थ भेजी गई थी । उनके द्वारा की गई कार्यवाही मालूम नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय प्रशासन सेवा की परीक्षाओं में हिन्दी का पाठ्यक्रम

†३०२९ { श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासन सेवा की परीक्षाओं में एक वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी के लिये कोई निश्चित पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है या करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार)**: (क) और (ख) : हिन्दी का पाठ्यक्रम भारतीय प्रशासन सेवा परीक्षाओं के नियमों में बता दिया गया है जो कि २८ जनवरी, १९६१ को भारत की गजट में प्रकाशित कर दिया गया था । वह पाठ्यक्रम निम्नलिखित है :—

हिन्दी—अभ्यर्थियों से यह आशा की जाती है कि वे हिन्दी की सभी प्रामाणिक रचनाओं से परिचित हों, यद्यपि कम प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं । उन से आशा की जाती है कि उन्हें हिन्दी साहित्य के इतिहास के सम्बन्ध में ज्ञान हो और ऐसे सामाजिक इतिहास के सम्बन्ध में भी ज्ञान प्राप्त हो जिससे वे साहित्य को समझ सकें ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

†३०३०. **श्री इलयापेरूमाल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पास आवश्यक शिक्षात्मक अर्हता होने पर भी उन्हें हिन्दी असिस्टेण्ट ग्रेड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार) : (क) और (ख). केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में भाग लेने वाले मंत्रालयों।दफ्तरों में हिन्दी असिस्टेण्टों के स्थानों में नियुक्ति के लिये व्यक्तियों के चुनाव के लिये जून, १९५९ में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा एक परीक्षा ली गयी थी और तदर्थ आधार पर तथा आयोग के परामर्श से यह निर्णय किया गया था कि इस परीक्षा में बैठने के लिये केवल उन्हीं लोअर डिवीजन और अपर डिवीजन क्लर्कों को अनुमति दी जाये जो बी० ए० पास हैं और बी० ए० में उन्होंने हिन्दी ली थी और जिन्होंने १-१-१९५९ तक लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में या ऊंचे ग्रेड में कम से कम एक वर्ष तक सेवा कर ली हो । इस प्रकार की कोई और परीक्षा लेने का कोई विचार नहीं है ।

असिस्टेंट

†३०३१. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रति वर्ष लिये जाने वाले केन्द्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड ३ (सीधी भर्ती) परीक्षण के लिये असिस्टेंटों को न्यूनतम आयु सीमा में छूट दी गयीं है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वह छूट केवल केन्द्रीय सचिवालय मे काम करने वाले असिस्टेण्टों को ही दी जाती है या कि यह छूट सम्बद्ध अधीनस्थ दफ्तरों और केन्द्रीय सचिवालय योजना में भाग न लेने वाले सचिवालय के दफ्तरों के असिस्टेण्टों को भी दी जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त दफ्तरों के असिस्टेण्टों को भी रियायत देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). सेक्शन अफसरों अर्थात आई० ए० एस० आदि परीक्षाओं के ग्रेड में सीधी भर्ती के लिये प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिये केन्द्रीय सचिवालय सेवा के असिस्टेण्टों को न्यूनतम आयु सीमा में कोई रियायत नहीं दी जाती। परन्तु उन अन्य केन्द्रीय सेवाओ के विभगीय अभ्यार्थियो के समान ही, जहां उसी परीक्षा के द्वारा नियुक्ति की जाती है, वहां ऐसे असिस्टेण्टों को, जो कि सचिवालय के दफ्तर के हों या कि गैर सचिवालयों के दफ्तरों के हों, सेक्शन अफसरों के ग्रेड के लिये दी जाने वाली परीक्षाओं के लिये अधिकतम आयु में तीन वर्ष की छूट दी जाती है। यह रियायत उन असिस्टेण्टों को नहीं दी जाती जिनका सम्बन्ध केन्द्रीयसचिवालय सेवा से नहीं है, क्योंकि वे विभागीय अभ्यर्थी नहीं माने जा सकते।

राजेन्द्र नगर नई दिल्ली में पत्थर गिरने का रहस्य

†३०३२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दस दिनों से राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली के एक ब्लाक के ३२ मकानों की एक पंक्ति पर रोज पत्थर और बोतलें गिर रही हैं ;

(ख) उस से कितने व्यक्ति जख्मी हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). २३ मार्च १९६१ को पुलिस की यह रिपोर्ट प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति पुराने राजेन्द्र नगर के एक मकान पर पत्थर फेंक रहे हैं। पुलिस की एक पार्टी शीघ्र ही वहां जा पहुंची और उसने जांच प्रारम्भ कर दी। जांच के दौरान यह ज्ञात हुआ कि पिछले कुछ दिनों से उस बस्ती के एक ब्लाक के मकानों की छतों पर कुछ पैकट फेंके जाते रहे हैं जिनमें पत्थर, स्याही की बोतलें, प्लास्टर के टुकड़े आदि भरे हुये थे। इनसे कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ था।

(ग) और (घ). जी, हां। इन मकानों के चारों ओर पुलिस बिठा दी गयी और उससे शरारत समाप्त हो गयी। सन्देह है कि किसी शरारती व्यक्ति ने ऐसी शरारत की थी। इस संबंध में कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी।

प्लास्टिक की वस्तुओं का पकड़ा जाना

†३०३३. **श्री कुन्हन** : क्या वित्त मंत्री ७ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १४७५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्लास्टिक की वस्तुओं के निर्यातक, मैसर्स होतचन्द जवाहरमल, कलकत्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : फर्म को जारी किये गये 'शो काज' नोटिसों के जवाब कलकत्ता सीमा शुल्क प्राधिकारियों को मिल गये हैं। निर्यातकों ने व्यक्तिगत सुनवाई की प्रार्थना की थी जिसके लिये ६ अप्रैल, १९६१ का दिन मुकर्रर किया गया था। कलकत्ता सीमा शुल्क प्राधिकारी मामले का फैसला इस सुनवाई के बाद, उससे उत्पन्न होने वाली बातों को ध्यान में रखते हुये, करेंगे।

पंजाब में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिये व्यावसायिक शिक्षा

†२०३४. **श्री हेम राज** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये छात्रवृत्तियां देने के हेतु पंजाब राज्य सरकार को १९६०–६१ में कितना अनुदान दिया गया और १९६१–६२ में कितना अनुदान देने का विचार है ; और

(ख) क्या यह सच है कि पिछड़े वर्गों के अधिकांश छात्रों को अभी तक उपरोक्त छात्रवृत्तियां नहीं मिली हैं ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) १९६०–६१ में पंजाब सरकार को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के आगे अध्ययन के लिये (जिसमें व्यावसायिक शिक्षा भी शामिल है) छात्रवृत्तियां देने के हेतु १५,३६,५०० रुपये की रकम दी गई थी। १९६१–६२ के लिये धन का आवंटन चालू वर्ष के लिये धन उपलब्ध होने के बाद ही किया जायेगा। विद्यार्थियों द्वारा किये जाने वाले अध्ययन के विभिन्न कोर्सों के लिये अलग अलग अनुदान नहीं दिये जाते हैं।

(ख) जी, नहीं। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सभी पात्र विद्यार्थियों को १९६०–६१ में छात्रवृत्तियां दी जा चुकी हैं।

हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा

†२०३५. **श्री हेम राज** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिये हिमाचल प्रदेश प्रशासन को १९६१–६२ में कितना अनुदान देने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या यह सच है कि दो मील के घेरे में और पांच सौ की जन संख्या के लिये एक प्राथमिक स्कूल खोलने का विचार है ;

(ग) क्या यह सच है कि यह सिद्धांत, जिस पर मैदानी इलाकों में अमल करने का विचार है, पहाड़ी इलाकों के लिये लाभप्रद नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सिद्धांत में परिवर्तन करने और फासले को घटाकर एक मील और जन संख्या को कम करके ढाई सौ करने का है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी प्रादेशिक परिषद् पर है। प्रादेशिक परिषद् अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत १९६१–६२ के वित्तीय वर्ष के लिये परिषद् को देय अनुदान की रकम अभी निर्धारित नहीं की गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) से (घ). १९५७-५९ में भारत का शैक्षणिक सर्वेक्षण किया गया था। उस सर्वेक्षण में प्राथमिक स्कूलों के क्षेत्र मोटे तौर पर निर्धारित किये गये हैं और आधार यह माना गया है कि बहुत ही कम आबादी वाले क्षेत्रों को छोड़ कर प्रत्येक बच्चे के मकान से एक डेढ़ मील की दूरी पर एक स्कूल हो। इसका यह मतलब नहीं है कि प्रत्येक दशा में इस सिद्धांत पर चला ही जाये संबंधित सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन खोले जाने वाले नये स्कूलों के स्थान के बारे में निर्णय उनके अपने अपने क्षेत्रों की आवश्यकताओं तथा वहां विद्यमान दशाओं को ध्यान में रखते हुये कर सकते हैं।

निधन संबंधी उल्लेख

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे सभा को डा० नटवर पांडे के निधन की सूचना देनी है। जो प्रथम लोक सभा के सदस्य थे। हमें उनके निधन का बहुत दुख है और हम संतप्त परिवार के प्रति सम-वेदना प्रकट करते हैं। मैं चाहता हूं कि हम कुछ देर के लिये मौन खड़े रहकर अपना दुख प्रकट करें।

इसके पश्चात् सभासद एक मिनट तक मौन खड़े रहे।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

†**श्री मुहम्मद इलियास** (हावड़ा) : मैं अपने स्थगन प्रस्तावों के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। एक को तो आपने ध्यान दिलाने की सूचना के रूप में स्वीकार कर लिया है जो दारा की दुर्घटना के संबंध में था। परन्तु दूसरे प्रस्ताव के संबंध में कोई कारण नहीं बताया गया है कि उसे क्यों अस्वीकार किया गया है। मेरा निवेदन है कि पानी बन्द हो जाने से कलकत्ता का समस्त नागरिक जीवन अस्तव्यस्त हो गया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य को जानना चाहिये कि स्थगन प्रस्ताव हाल की अर्थात् एक या दो दिन के अन्दर की घटनाओं के संबंध में ही लाये जा सकते हैं। दूसरे वे अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय के होने चाहिये। यह मामला अभी जारी है अतः उसको स्थगन प्रस्ताव द्वारा नहीं निपटाया जा सकता है।

कर्नल भट्टाचार्य के बारे में वक्तव्य

†**गृह-कार्य मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** सभा ने कर्नल भट्टाचार्य के संबंध में जानकारी चाही थी। हमारी ओर से तो उनसे कोई नहीं मिल सका परन्तु पाकिस्तान सरकार ने यह सूचित किया है कि कर्नल भट्टाचार्य के केवल एक साधारण घाव हुआ है और वह चल फिर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी उचित देखभाल की जा रही है।

कुछ माननीय सदस्य **उठे**—

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** इस मामले में हम पूर्णतः विदेशी सरकार के हाथ में हैं। हमने पाकिस्तान सरकार से कर्नल भट्टाचार्य से मिलने की अनुमति मांगी थी परन्तु हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई है।

†**श्री नाथपाई** (राजापुर) : सभा यह जानना चाहती है कि भारत सरकार ने इसके लिये क्या कदम उठाये हैं कि यदि कर्नल भट्टाचार्य पर जासूसी करने का अभियोग चलाया जाये तो उनकी रक्षा की जाये और उनको शीघ्र मुक्त कराया जाये ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** भारत सरकार प्रत्येक संभव कार्य करने का भरसक प्रयत्न करेगी। हमारे उप-उच्चायुक्त ने पश्चिम बंगाल सरकार को लिखा था परन्तु उन्हें उच्चायुक्त के माध्यम से केन्द्रीय सरकार से लिखापढ़ी करने की सलाह दी गई है। उच्च आयुक्त इस संबंध में भरसक प्रयत्न करेंगे।

मेरा निवेदन है कि अभी हमें इतनी ही सूचना मिली है और यदि कोई और सूचना मिलेगी तो अवश्य पेश की जायेगी।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता-पूर्व) : मैं कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री यह कह चुके हैं कि प्रत्येक संभव कदम उठाया जायेगा।

जम्मू और काश्मीर युद्ध विराम रेखा पर कथित दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** अध्यक्ष महोदय, पिछले शुक्रवार को सरकार ने जम्मू तथा काश्मीर युद्ध विराम रेखा पर हुई तथाकथित दुर्घटना के संबंध में उपलब्ध जानकारी प्रदान करने का वचन दिया था। उस समय मैंने यह कहा था कि हमारे पास कोई सूचना नहीं थी। टेक्नीकल दृष्टि से यह सही है क्योंकि ५ अप्रैल को कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। हां, ३ अप्रैल को अवश्य एक दुर्घटना हुई थी और उसके संबंध में मंत्रालय को सूचना थी। मैं उसी दिन प्रातःकाल घर लौटकर आया था परन्तु वह असाधारण घटना नहीं है और हमारी ओर का कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ।

वास्तव में हुआ यह था कि रणवीरसिंहपुरा के लगभग १६ मील दक्षिण-पूर्व की ओर कुछ विदेशी सिपाही हमारे क्षेत्र में पेड़ काट रहे थे तथा हमारी सीमांत पुलिस ने उनको वैसा करने के लिये मना किया। इस पर पाकिस्तानी सीमांत पुलिस ने हल्की मशीन गनों से फायर करना शुरू कर दिया। हमारी पुलिस ने भी उसका उत्तर दिया। हमारी ओर का कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ और दूसरे पक्ष के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है।

इस मामले में सामान्य प्रक्रिया राष्ट्र संघ पर्यवेक्षक दल को रिपोर्ट करने की है। अध्यक्ष महोदय, यह कोई असाधारण घटना नहीं है और उसकी सूचना सरकार को सामान्य सैनिक गुप्तचर

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कृष्ण मेनन]

सेवा से मिल जाती है। युद्ध विराम करार के अन्तर्गत उस क्षेत्र में सेना नहीं रखी जा सकती है। इसीलिये वहां सशस्त्र पुलिस कार्य करती है।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या सशस्त्र पुलिस सेवा के जनरल के नियंत्रण में है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** प्रत्येक वस्तु सेना के नियंत्रण में है। बात केवल इतनी ही है कि युद्ध विराम रेखा के दोनों ओर पांच पांच मील क्षेत्र में सेना नहीं जा सकती है। हम इस नियम का पालन कठोरता के साथ करते हैं। मैं यह नहीं चाहता कि दूसरा पक्ष उसका पालन करता है या नहीं। हमारी ओर का कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

दिल्ली नगर निगम [महापौर (मेयर) के लिये सुविधायें] नियम १९५८ में संशोधन

†**गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार) :** मैं दिल्ली नगर निगम अधिनियम १९५७ की धारा ४७९ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिल्ली नगर निगम [महापौर (मेयर) के लिए सुविधायें] नियम, १९५८, में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १८ मार्च १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या २१/१३/६० —दिल्ली, की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं [**पुस्तकालय में रखी गई देखिए एल० टी० २८२२/६१**]

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम १९५१ के अन्तर्गत अधिसूचना

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :** मैं उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम १९५१ की धारा १८० क की उपधारा (२) के परन्तुक के अन्तर्गत दिनांक ४ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या एस में १९८८ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिए एल० टी० २८२३/६१**]

प्राक्कलन समिति

एक सौ अट्ठाइसवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा (बंगलौर) :** मैं खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का (खाद्य विभाग) केन्द्रीय भाण्डागार निगम के बारे में प्राक्कलन समिति की एक सौ अट्ठाइसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

अनुदानों की मांगें—जारी

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय—(जारी)

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली के भारी सामान का दूसरा कारखाना नंगल में स्थापित किया जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि नंगल फर्टिलाइजर फैक्टरी को बिजली देने में कुछ विलम्ब हुआ है। मैं इस बात पर जोर देना

---

†मूल अंग्रेजी में

चाहता हूं कि इस बारे में सम्बंधित मंत्रियों के बीच अधिक समन्वय होना चाहिये। नंगल फैक्टरी और सिन्दरी फैक्टरी को मिला कर एक निगम नहीं बनाया जाना चाहिए। मेरा इस बारे में बड़ा स्पष्ट मत है। इन फैक्टरियों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यह बात भी बड़ी स्पष्ट है कि लघु, ग्राम और कुटीर उद्योगों से काफी लोगों को रोजगार मिल सकता है। देश में जिस तेजी से बेकारी बढ़ रही है, उसे देखते हुए तीसरी पंचवर्षीय योजना में इन उद्योगों के विकास पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। कोई ऐसा विधान बनाया जाये कि भारी उद्योग या बड़े पैमाने के उद्योग अपने पुर्जे और अन्य सामान लघु उद्योगों से ही प्राप्त करे। मैं इस बात पर भी जोर दूंगा कि प्रत्येक राज्य में एक लघु उद्योग निगम होना चाहिए। लघु उद्योगों के लिए निम्न वित्त व्यवस्था में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

मैं इस बात पर भी बहुत जोर देना चाहता हूं कि औद्योगिक बस्तियां ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जायें न कि शहरी क्षेत्रों में। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इन बस्तियों पर बड़े बड़े उद्योगपतियों का अधिकार न रहे। मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि पंजाब में कपड़ा तथा कागज इत्यादि के उद्योगों को विकसित करने का बहुत काफी क्षेत्र है। सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए। यह बात भी हमारी समझ में नहीं आ रही कि दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत पंजाब में सहकारी कताई, संयंत्र, कपड़े को परिष्कृत करने का संयंत्र, बनियान-मौजा बनाने के जो संयंत्र स्थापित किये जाने वाले थे, वह क्यों स्थापित नहीं किये गये।

पंजाब में एक कठिनाई और भी है। वहां के वस्त्र उद्योग को कृत्रिम रेशमी धागा, साड़ियों के लिए ऊनी धागा, ऊन के गोले, जैसे कच्चे माल के अभाव में काफी क्षति उठानी पड़ रही है। सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या हमें उचित मूल्यों का निर्धारण तथा माल का पर्याप्त सम्भरण कताई संघ पर छोड़ देना चाहिए ताकि इसकी देख रेख राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा सरकारी क्षेत्र में की जानी चाहिए।

†**श्री कोडियान** (क्विलोन—रक्षित—अनुसूचित जातियां): मैं विदेश व्यापार के संबंध में ही संक्षेप से कहूंगा। मेरा निवेदन है कि हमारे विदेश व्यापार में जो निरन्तर असन्तुलन है वह बहुत गम्भीर समस्या बन गयी है। आयात और निर्यात में जो अन्तर है वह न केवल चला आ रहा है वरन प्रतिवर्ष बढ़ता भी जा रहा है। हमारे ऋण लेने की भी सीमा है। इन सब बातों के कारण निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयन बहुत महत्व-पूर्ण हो गया है। इस प्रश्न पर दीर्घ कालीन परिणामों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए। आयात और निर्यात के बीच सन्तुलन स्थापित किया जाना चाहिए। निर्यात के सम्बन्ध में विभिन्न मंत्रालयों के बीच अधिक समन्वय होना चाहिए। विभिन्न निर्यात सम्वर्द्धन परिषदों के साथ संसद सदस्यों को भी सम्बद्ध किया जाना चाहिए।

मैं इस बात पर जोर दूंगा कि राज्य व्यापार निगम का कार्यक्षेत्र बढ़ाया जाना चाहिये। इस निगम को मसालों का विदेश व्यापार अवश्यक अपने हाथ में ले लेना चाहिए। हमें अपने निर्यात को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए। हमारे देश से और वस्तुओं का

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कोडियान]

का और अधिक देशों को निर्यात किया जाना चाहिए। सरकार को विदेशों के साथ जिन में समाजवादी देश भी शामिल हैं, उभयपक्षीय व्यापार करार करने चाहिए। इस से हम विदेशी विनिमय के संकट का बड़ी सफलता से मुकाबला कर सकेंगे।

†**श्री हेडा** (निजामाबाद) : मेरा मत यह है कि किसी देश की समृद्धि का आधार उसका विदेश व्यापार होता है। दुर्भाग्य की बात है कि भारत का निर्यात व्यापार बहुत ही कम है। हमारा निर्यात हमारी कुल राष्ट्रीय आय का केवल १२ प्रतिशत है जो संसार में संभवतः सब से कम है। यह भी विचार करने की बात है कि विदेशों में हमारे कपड़े की खपत कम होती जा रही है। अब समय आ गया है कि हम कम मुनाफा लेकर भी निर्यात करने के लिए तैयार रहें।

हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भारत को 'इकाफे' में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है। एशिया और अफ्रीका के देशों में इस समय यूरोपीय आर्थिक समुदाय जैसा कोई समान आर्थिक मंच नहीं है। 'इकाफे' इन देशों के लिए मंच तैयार कर सकता है। इस प्रकार का उपरोक्त संगठन करके हमें उन मसलों की जांच करनी चाहिए जो इस समय हमारे सामने हैं अथवा जो आने वाले दो चार वर्षों में हमारे सामने आयेंगे। इस संगठन द्वारा सामने आने वाली समस्याओं को सुलझाने के बारे में अनुसंधान किया जाना चाहिए।

म यह भी निवेदन करूंगा कि हमें अपने विदेश व्यापार को बढ़ाने में अफ्रीका, मध्य-पूर्व एशिया और यूरोप में रहने वाले भारतीय व्यापारियों से भी सहायता लेनी चाहिए। मैं इस पर जोर दूंगा कि निर्यात बढ़ाने के लिए यूरोप में उच्च अधिकारी नियुक्त किया जाये जैसा कि अमरीका के मामले में किया गया है।

आंध्र प्रदेश में एक लोहा और इस्पात, का कारखाना स्थापित किया जाना चाहिए। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को अपनी एक सहायक फैक्टरी इस राज्य में स्थापित करनी चाहिए। इसी प्रकार हैवी इलैक्ट्रिकल्ज़ का दूसरा कारखाना हैदराबाद में स्थापित किया जाना चाहिए। मैं यह भी कहुंगा कि उद्योगों के मार्ग दर्शन के लिए निजामाबाद में लघु उद्योग सेवा संस्था स्थापित की जायें।

†**श्री मुरारका** (झुनझुनूं) : जो कुछ इस मंत्रालय ने किया है, उसके लिए मैं इसे मुबारकबाद देता हूं। मैं केवल निर्यात प्रोत्साहन के विषय पर ही अपने विचार व्यक्त करूंगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ६०९ करोड़ रुपये का निर्यात हुआ था। दूसरी योजना में यह ६१४ करोड़ का हुआ। यह कोई विशेष वृद्धि नहीं है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि १९५० से १९६० तक के दस वर्षों में विश्व व्यापार में हमारा अंश २.६ प्रतिशत से घट कर १.३ प्रतिशत से बहुत कम रह गया है। मैं चाहता हूं कि निर्यात व्यापार को एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए। सरकार तीसरी योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष औसतन आठ सौ करोड़ रुपये और चौथी योजना के अन्तर्गत कम से कम पन्द्रह सौ करोड़ रुपये और पांचवीं योजना के लिए इसी परिमाण में और बड़ा निर्यात लक्ष्य निर्धारित करे तो अधिक अच्छा होगा।

निर्यात करने योग्य वस्तुओं की केवल निर्यात के लिए कुछ मात्रा होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि निर्यात व्यापार के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जैसा कि कुछेक वस्तुओं के सम्बन्ध

---

†मूल अंग्रेजी में

में किया गया है । तीसरी बात यह है कि सरकार को उद्योगों के उन पहलुओं को बढ़ावा देना चाहिए जिनसे निर्यात बढ़ सकता हो । चाय, जूट, कपड़ा और इंजीनियरिंग के सामान जैसे उद्योगों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए । चाय उद्योग को उर्वरक ही नहीं वरन् उसे जो अन्य प्रविधिक सहायता आवश्यक हो वह भी दी जानी चाहिए । इसके साथ ही जो देश इसी प्रकार की वस्तुओं के निर्यात में हम से प्रतियोगिता कर रहे हैं उनके साथ करार भी किया जाना चाहिए ।

पर्यटन, नौवहन और बैंकिंग, जिनसे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की खासी सम्भावना है, का विकास किया जाना चाहिए । नौवहन का जो लक्ष्य हम ने निर्धारित किया है वह बहुत ही कम है । अब वह समय आ गया है कि इस दिशा में यथोचित कार्यवाही की जाये । इसके साथ ही राज्य बैंक को विश्व के सभी महत्वपूर्ण शहरों में अपनी शाखायें खोलनी चाहिएं और इसे सरकार तथा सरकारी क्षेत्र के लेन देन का सारा कार्य करना चाहिए ।

सरकार को प्रत्येक महत्वपूर्ण पत्तन में एक नौवहन अभिकरण स्थापित करना चाहिए । सरकारी अथवा गैर सरकारी नौवहन की सारी व्यवस्था इसके जिम्मे सौंपी जानी चाहिए । काजू को भून कर और पैक करके ही उसका निर्यात किया जाता है । उसके आयात पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए । कांच का तथा चीनी मिट्टी का सामान बनाने वाले छोटे उत्पादकों को बड़े उत्पादकों की प्रतियोगिता से बचाया जाना चाहिए ।

इसके अलावा सरकार को कर-सम्बन्धी प्रेरणायें भी प्रदान करनी चाहिएं ताकि जनता भी अधिक निर्यात कर सके ।

इसके बाद मैं दृश्य निर्यात के बारे में भी कुछ सुझाव देना चाहता हूं । उदाहरणार्थ पर्यटन के बारे में ही हमारा देश काफी कुछ कर सकता है । इस से हमें काफी विदेशी मुद्रा की आय होती है यदि हम पर्यटकों के लिए ज्यादा सुविधाएं प्रदान करें तो निश्चय ही अधिक पर्यटक हमारे देश में आएं और उनसे हमें अधिकाधिक आय हो । यूरोपीय देशों में इस काम पर बहुत धन व्यय किया जाता है ।

जहां तक हमारी नौवहन क्षमता का सम्बन्ध है हम केवल ७ प्रतिशत वैदेशिक व्यापार के लिए सुविधायें उपस्थित कर सकते हैं । १९६५–६६ तक शायद यह बढ़कर १० प्रतिशत हो जाय । परन्तु हमें इस क्षेत्र में और ज्यादा काम करना चाहिए । इसके लिए भारत के राज्य बैंक की शाखायें संसार के सारे बड़े नगरों में खुलनी चाहिए ताकि आयात व निर्यात करने वालों को सुविधाएं प्राप्त हो सकें ।

मैं ने कुछ समय पूर्व सरकारी खरीदों के बारे में एक प्रश्न पूछा था जिसके उत्तर में यह बताया गया कि केबिनेट ने सारे माल को नौतल भाड़ा पर्यन्त आधार पर खरीदने का निश्चय किया है परन्तु हम अब भी सी० आई० एफ० के आधार पर माल की खरीद कर रहे हैं । इस सम्बन्ध में पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है ।

हम अफरीका से काजू मंगवा कर विदेशों को भेजते हैं । अब सरकार काजू के आयात को कम करना चाहती है । इससे काजू तैयार करके बाहर न भेजा जा सकेगा और हमारी निर्यात सम्बन्धी आमदनी कम हो जायगी । इस का भी उपचार करना चाहिए । अन्त में मैं सरकार से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि कांच के कारखानों पर हुए कराधान के ढांचे का वैज्ञानिकन किया जाय ।

†**वाणिज्य मन्त्री (श्री कानूनगो)** : मैं अधिक समय न लेकर संक्षेप में ही कटौती प्रस्तावों में उठायी गयी सारी बातों के बारे में अपने विचार प्रकट करूंगा । श्री नायर ने कहा कि समवाय विधि प्रशासन निगमित क्षेत्र के लाभों की पूरी सांख्यकी नहीं दिखा सका है । श्री नायर ने सारी सामग्री रिजर्व बैंक के प्रकाशनों से प्राप्त की है । इसमें १००१ पब्लिक समवायों के बारे में जानकारी दी गयी है । मैं समझता हूं कि इस जानकारी से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं । यदि विद्यमान २५,००० समवायों की जानकारी इकट्ठी की जाय तो हमें काफी कर्मचारी उसके विश्लेषण आदि के लिए चाहिएं । हमें साधारण कर्मचारी इस काम के लिए कदापि नहीं चाहिएं वरन् अनुभव-प्राप्त लेखापाल ही इस कठिन काम को कर सकते हैं । पहली कठिनाई तो यही है कि हमें ज्यादा अनुभवी व्यक्ति उपलब्ध ही नहीं है । इसके अलावा दूसरी कठिनाइयां भी हैं । परन्तु इन सब के होते हुए भी हम भविष्य में काफी जानकारी देने का प्रयास करेंगे ।

कुछ कटौती प्रस्तावों में यह चीज़ कही गयी है कि समवाय विधि सम्बन्धी प्रशासन के कुछ काम विलम्ब से हुए हैं । इस सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि कर्मचारियों की कमी के बावजूद भी उस प्रशासन ने हर चिट्ठी को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने का यत्न किया है । जिन लोगों ने पहले जानकारी नहीं भेजी और बाद में जिन से जानकारी मंगानी पड़ी उनके मामलों में अनिवार्यतः विलम्ब हुआ । कुछ बारह के करीब मामलों में २० सप्ताह का समय भी लगा । कुछ चीज़ों को समवाय विधि आयोग को सौंपना पड़ा क्योंकि स्थायी आयोग की स्थापना सम्भव नहीं है । इस आयोग के सदस्य निशुल्क सेवा करते हैं । समवाय विधि के पूर्ण रूप से लागू होने के बाद शायद हम पूर्णविधि आयोग की स्थापना भी करें ।

यह भी कहा गया कि सरकार प्रबंधक अभिकरण प्रणाली को समाप्त करने में असफल रही है वस्तुतः १९५६ का अधिनियम इस प्रणाली की त्रुटियों को दूर करने के लिए ही बनाया गया था । वह चीज काफी हद तक दूर भी हो चुकी है । वस्तुतः १९५७ के बाद जितने भी नये निगम बने हैं उनमें से अधिकांश ने अन्य प्रकार की प्रणाली अपनाई है । १५०० से २५०० अभिकर्ताओं के आवेदनों में से केवल १३०० आवेदन स्वीकार किये गये हैं । इसके अलावा अभिकर्ताओं के पारिश्रमिक भी काफी हद तक कम हो गये हैं । परन्तु जो प्रणाली काफी समय से चलती रही है उसको एकदम बदलने का हम कोई कारण नहीं देखते । संशोधित समवाय विधि के अनुसार चार प्रकार का प्रशासन चलना था । तीन प्रकार की चीजें तो तरक्की में हैं । मुझे ख्याल है कि भविष्य में ज्यादा ईमानदारी से काम चलेगा । यह चीज़ कानून की कई व्यवस्थाओं से सफल की जा सकती है और हिस्सेदारों के अधिकार उभर सकते हैं । संशोधित कानून की सब से मुख्य व्यवस्था यह है कि निगम सब बातों की पूरी जानकारी दें और मेरा विचार है कि इस चीज़ से लोग निगमों के सारे काम से परिचित हो जायेंगे ।

राज्य व्यापार निगम और निर्यात संवर्धन के बारे में भी कुछ एक बातें कही गयीं । निगम की १९५८-५९ की रिपोर्ट पर दोनों सभाओं में विचार हुआ है और उसी चर्चा की बातों को दुहराना मैं उपयुक्त नहीं समझता । वस्तुतः यह निगम केवल तीन वर्ष पुराना है । इसने १ करोड़ रुपया की पूंजी से काम शुरू किया किन्तु अब इसके पास ४ करोड़ रुपया है । पहले वर्ष उन्हें ३५ लाख का फायदा हुआ और १९५८-५९ में ३।। करोड़ रुपये का । यह कम सफलता नहीं है । यद्यपि प्राक्कलन समिति ने कुछ सुझाव दिये हैं और उन पर विचार किया जा रहा है तथापि इसका काम बुरा नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

१९५७ में श्री गोपालन के प्रस्ताव पर इस सभा में एक वाद-विवाद हुआ था और उस समय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने यह बताया था कि यह निगम सरकार की सहायता उन कठिनाइयों को दूर करने में करेगी जो वैसे हल नहीं हो सकतीं। दूसरे शब्दों में इस निगम को अन्य संस्थाओं से मिलकर काम करना है और उन्हीं के काम की पूर्ति करनी है। इस निगम का उद्देश्य दूसरे स्थापनों को उखाड़ फेंकना नहीं है। यह निगम २६ चीजों के बारे में काम करती है। उनके बारे में सरकार ने आदेश दे रखे हैं।

निर्यात क्षेत्र में इस निगम को ३० चीजों के बारे में काम करना पड़ता है। आयात निर्यात नियंत्रण सूची में ६००० चीजें दरज हैं और उनमें निगम थोड़ी सी चीजों के बारे में ही कार्यवाही करती है। इसका कारण यह है कि इस निगम को तो अनुपूरक कार्यवाही करनी है। संवर्धन का काम सरकार का है और सरकार उस सम्बन्ध में काफी काम करती रही है। राज्य व्यापार निगम तो सीमित रूप में यह सब काम करता रहा है। इसे ही मुख्य रूप से संवर्धन का काम नहीं करना है। संवर्धन सम्बन्धी जो काम भी यह निगम करेगा वह केवल उन्हीं चीजों के बारे में करेगा जो साधारणतः होनी कठिन होंगी।

राज्य व्यापार निगम के व्यय की आलोचना भी समय समय पर की जाती रही है। एक व्यापारिक संगठन में व्यापार कार्य से पहले भी आप को कुछ काम करना पड़ता है। इसलिए जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे खर्चा भी बढ़ेगा। सरकार को जो इस निगम के शत प्रतिशत हिस्सों की मालिक है, केवल यही देखना है कि जो रुपया वह इस काम में लगाती है उसको ठीक तरह से प्रयोग किया जाता है और उससे हानि तो नहीं उठानी पड़ती। जैसे ही निगम के प्रतिवेदन पर सभा में चर्चा की जायगी, हम उस समय खर्चे गये रुपये के औचित्य को सिद्ध कर सकेंगे।

जो सदस्य विदेशी व्यापार के बारे में बोले हैं उन सब ने यह कहा है कि हमें द्विपक्षीय करारों पर जोर देना चाहिये और इसी तरीके से हमारे व्यापार में वृद्धि हो सकती है। परन्तु हमें एक चीज़ के बारे में स्पष्ट रूप से विचार करना चाहिये और वह यह है कि जी०ए०टी०टी० में होने के नाते हम अनेक पक्षीय व्यापार के सिद्धान्त से आबद्ध हैं। यह बात कि हम पूर्ण रूप से काम नहीं कर सकते, इस कारण से है कि हालात हमारे काबू से बाहर हैं। अब इस समय हमें इस चीज के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। किसी उपयुक्त अवसर पर इसका भी जिक्र किया जायगा। डा० कृष्णस्वामी ने हमारे प्रतिनिधियों की सराहना की है। उसके लिये मैं उनका धन्यवादी हूं। हमारा उद्देश्य अनेक पक्षीय व्यापार का है परन्तु संसारिक स्थितियों को देखते हुए हमें द्विपक्षीय करार भी करने पड़ते हैं। हमें निर्बाध व्यापार पर रोक लगानी पड़ती है। शायद ऐसे हालात कुछ और वर्षों तक ऐसे जरूर रहें।

किन्तु यह बात तो मानी ही जायगी कि हम जी० ए० टी० टी० के सदस्यों को अपनी बात मनवाने में काफी हद तक सफल हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सारी दुनिया ही को हमने मनाया है क्योंकि उस संस्था में सभी देशों का प्रतिनिधित्व है। उन सब लोगों ने हमारी बात को स्वीकार किया है कि व्यापारिक स्वच्छंदता से न केवल भारत जैसे देशों को वरन् अमरीका जैसे समृद्ध देशों को भी लाभ पहुंचेगा।

राज्य व्यापार निगम के सम्बन्ध में अखबारी कागज के अभाव के बारे में भी कुछ कटौती प्रस्ताव रखे गये हैं। अखबारी कागज की पैदावार कम और उसकी खपत ज्यादा है। जैसे जैसे हमारी जनता में शिक्षा का प्रचार बढ़ेगा वैसे वैसे इस कागज की मांग भी बढ़ती जायगी। नेपा के विस्तार और तीन नये कारखानों की स्थापना तक हमें इसी कमी का अनुभव करना पड़ेगा। यह शायद दो तीन वर्ष

[श्री कानूनगो]

तक रहे। इसी का समान वितरण तब तक हमको करते रहना है । हमें प्रकाशकों, अखबार वालों आदि के सहयोग से इस काम में काफी सफलता प्राप्त हुई है । हम यह देखने की पूरी कोशिश करते रहे हैं कि आवश्यकता से अधिक अखबारी कागज का इस्तैमाल न किया जा सके । हमारे निरीक्षक संगठन ने पिछले दिनों दिल्ली, भोपाल, झांसी और बम्बई में अनेक स्थानों पर निरीक्षण का काम किया है और उन्हें कुछ एक स्थानों पर अनेक खामियों का भी पता चला है ।

इस निरीक्षण के फलस्वरूप हम कम से कम तीन लाख रुपया बचा सकेंगे । कुछ अखबारों ने तो ६५,००० तक का प्रचलन गलत बयान किया है । किन्तु मुख्य रूप से कामोबेश सभी प्रकाशकों, मुद्रकों आदि ने सरकार के साथ सहयोग किया है । इस समय जो अखबार प्रतिवर्ष १०० टन से ज्यादा अखबारी कागज प्रयोग करते हैं उन्हें तो सीधे ही लाइसेंस दे दिये जाते हैं । जो अखबार कम कागज का इस्तैमाल करते हैं और खुद कागज नहीं मंगवा सकते उनके लिये राज्य व्यापार निगम ही कागज मंगवाती है । हम एतद् सम्बन्धी समस्त प्रक्रिया को एक विशेष रूप देने का प्रयास कर रहे हैं और हमें आशा है कि हम वितरण की समस्या को सम्भाले रखेंगे ।

रूई और पटसन की स्थिति के बारे में मैं सभा का ज्यादा समय न लूंगा । इस क्षेत्र में जो नाजुक हालत पैदा हुई उसका कारण यह था कि पिछले दो वर्षों से फ़सल खराब चल रही थी । १९५९–६० में कपास की फसल ३७.५० लाख गांठों तक ही रह गयी और पटसन की फसल ५७४८ गांठों तक रह गयी । अतः पटसन और कपास के आवंटन में हमने तनिक किफायत से काम लिया है । कपास के आयात से हमने कपास के मूल्यों पर भी काबू रखा है । पिछले तीन वर्षों से कपास के मूल्य लगभग एक सामान रहे हैं । १९५९ में यह तनिक बढ़े थे और तभी थोड़ा खतरा सा महसूस होने लगा था । वास्तव में जब कभी थोड़ी कमी हो जाती है तो उसका प्रचार हो जाता है और घबराहट फैल जाती है । किन्तु सितम्बर, १९६० में हमने मूल्यों को स्थायी किया था । जनवरी, १९६१ में फिर मूल्य किसी सीमा तक गिरे थे । यह कमी ५ तथा ३ प्रतिशत के बीच की थी ।

आम तौर से भारत में कपास का मूल्य कम ही रहा करता है पर दो खराब फसलों के बाद एका-एक इस में तेजी आई । हमें आयात तथा उपलब्ध रूई का ठीक आवंटन करके ही मूल्यों को स्थायी करना पड़ा ।

†**श्री पु० र० पटेल** (मेहसाना) : क्या यह सच है कि वस्त्रोद्योग निर्धारित मूल्य से कहीं कम मूल्यों की अदायगी कर रहा है ?

†**श्री कानूनगो** : जब क्रेता चाहता है तब वस्त्रोद्योग आयुक्त प्राप्ति कर देता है । ऐसी घटनायें काफी कम हुई हैं । कपास उत्पादकों पर संभरण और मांग का नियम लागू होता रहा है । वस्तुतः सूती वस्त्र उद्योग के संघ ने अपनी पूरी कोशिश की है । यह संघ दो वर्ष पुराना है । इसने उद्योग के एककों पर ऐच्छिक नियन्त्रण करने की कोशिश की है । यद्यपि हमें शत प्रतिशत सफलता प्राप्त नहीं हो सकी तथापि इससे यह तो पता चलता ही है कि सरकार ने हठधर्मी के उपाय नहीं बर्ते । अगले वर्ष अच्छी फसल के कारण हो सकता है कि मूल्यों में कमी आ जाय ।

यही चीज पटसन के बारे में है । उसकी भी दो फसलें खराब रही थीं । इसी कारण उसके मूल्यों में वृद्धि हुई । वायदे के सौदों सम्बन्धी आयोग और सरकार ने इस सम्बन्ध में भी कुछ कदम उठाये हैं जिनसे मूल्यों का स्थायित्व बना रहा है । इस मामले में मैं श्रमिकों की भी प्रशंसा करूंगा क्योंकि पटसन

---

†मूल अंग्रेजी में

के अभाव के कारण कारखानों को पूरी तरह से नहीं चलाया जा सका और उस चीज को उन्होंने सहन किया है। आगामी वर्ष इस स्थिति के ठीक हो जाने की पूरी पूरी आशा है।

खेद है कि श्री गुह यहां नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार हर काम भारतीय जूट मिल संघ के आदेश के अनुसार करती है। किन्तु यह बात गलत है। शायद कल के वक्तव्य से इस प्रकार की गलत धारणा पैदा हो जाय। लेकिन यह चीज गलत है। पटसन आयुक्त के पास अनेक अधिकार हैं। वस्तुतः अभी उन अधिकारों का प्रयोग वांछनीय या आवश्यक नहीं समझा गया है। समय आने पर उन अधिकारों का प्रयोग भी किया जायगा।

भारतीय जूट मिल्स संघ ने सरकार से सदैव सहयोग किया है और हम हर कठिनाई पर काबू पाते रहे हैं।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** (सीकर) : क्या यह सच है कि भारतीय पटसन को चोरी से पाकिस्तान ले जाया जाता है क्योंकि वहां मूल्य अधिक हैं।

†**श्री कानूनगो** : मुझे पता नहीं। यदि श्री टांटिया के पास ऐसी जानकारी हो तो वह हमें दें। पाकिस्तान में पटसन के मूल्य वास्तव में ही ज्यादा रहे हैं। परन्तु इस समय शायद ऐसी स्थिति नहीं है। इस कारण चोरी से पटसन ले जाने में कोई ज्यादा लाभ दीखता नहीं।

वस्त्रोद्योग कारखानों की बन्दी के मामले पर हम काफी चर्चा कर चुके हैं। एक समय तो ३७ कारखाने बन्द थे और अब १७ कारखाने बन्द हैं। कुछ तो इन में से अब खुलेंगे ही नहीं और यही अच्छा भी है।

यह सुझाव भी दिया गया कि कृषि उत्पादों में वायदे के सौदे बन्द कर दिये जायं। सीधी खपत की चीजों में तो ऐसे सौदे बन्द कर दिये गये हैं और जहां तक वाणिज्यिक फसलों का सम्बन्ध है इनका विनियमन किया जाना है। वायदे के सौदों सम्बन्धी आयोग के प्रतिवेदन पर जब चर्चा की जायगी तभी इन सब बातों पर व्यापक चर्चा होगी।

हम आगे चाय के लिये उर्वरकों की पूरी मात्रा देंगे। चाय की प्रतियोगिता में भी हम पूरा उतरने की कोशिश करेंगे यद्यपि हम अधिक उत्पादन कर पाये।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोज़ाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में ही मैं अपना खेद प्रकट कर देना चाहता हूं कि जिस समय आपने मुझे बुलाया, उस समय मैं उपस्थित नहीं था......

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आप से ही नहीं सब से कहा था। मैं उस दिन भी इधर देखता रहा था और मुझे अपोजीशन में कोई मेम्बर दिखाई नहीं दे रहा था जिसको मैं बुला सकता। आज भी यही हो रहा है। आखिर में जब सब इकट्ठे होते हैं, तब वक्त नहीं मिला, इस तरह की शकायत करते हैं।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : उन्हें आवश्यकता नहीं है।

श्री ब्रजराज सिंह : मैं समझता था कि जो माननीय सदस्य बोल रहे थे वे शायद दो या तीन मिनट और बोलेंगे, लेकिन सम्भवतः उन्होंने जल्दी ही अपना भाषण समाप्त कर दिया। इसलिये मैं उपस्थित नहीं हो सका। मुझे इसका खेद है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजराज सिंह]

यह मन्त्रालय, जहां तक देश के विकास का सम्बन्ध है, बहुत ही महत्वपूर्ण मन्त्रालय है। खास तौर से जो औद्योगिक उत्पादन मुल्क में हो रहा है उस के लिये बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस मन्त्रालय के ऊपर आती है। जहा एक तरफ यह बात सही है कि औद्योगिक उत्पादन अच्छे ढंग से चल रहा है, उसमें जो हमारी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य हैं, कुछ मामलों में हम उनसे कहीं ज्यादा आगे बढ़े हैं, वहीं कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनकी तरफ इस मन्त्रालय का और सदन का तथा मुल्क का ध्यान जाना चाहिये। विशेष तौर से जब हम छोटे उद्योगों की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सरकार सम्भवतः उतनी गम्भीर नहीं है जितनी गम्भीर उसे होना चाहिये। पूरी तृतीय पंचवर्षीय योजना में सिर्फ २७ करोड़ रुपया रक्खा गया है इण्डस्ट्रियल एस्टेट्स के लिये। कहा जाता है कि ३०० इण्डस्ट्रियल एस्टेट्स तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनेंगी। अब तक १२० इण्डिस्ट्रियल एस्टेट्स बनने की रिपोर्ट मन्त्रालय देता है। लेकिन जो १२० इण्डस्ट्रियल एस्टेट्स बनने की रिपोर्ट उस ने दी है, मुझे मालूम नहीं है कि मन्त्री महोदयों ने अपने को आश्वस्त कर लिया है या नहीं कि यह एस्टेट्स सिर्फ कागज में ही हैं या उनमें उत्पादन भी शुरू हो रहा है।

[श्री हेडा पीठासीन हुए]

मुझ को एक इंडस्ट्रियल एस्टेट का ज्ञान है। आगरा में सन् १९५६ में एक इंडस्ट्रियल स्टेट बननी शुरू हुई। सन १९६१ में इस वक्त तक भी उस में पूरा उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। अब भी वहां कुछ इस प्रकार के प्लाट्स खाली हैं जिन में कोई इमारत नहीं बनी, और जहां इमारतें बन पा रही हैं वह लोगों को दी नहीं गई हैं। मैं चाहूंगा कि इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में काम जल्दी शुरू हो। सभी लोग मानते हैं मैं भी मानता हूं और समझता हूं कि जहां इस से एक तरफ औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा वहां उस के साथ साथ मुल्क की बेकारी की समस्या भी हल हो सकेगी। हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि छोटे छोटे लोगों को काम मिले और अपनी विशेष योग्यतायें दिखलाने का अवसर प्राप्त हो। इस में हम को सहायक होना चाहिये। हम को मान लेना चाहिये कि इस में जितनी प्रगति हो रही है उतनी प्रगति सन्तोषजनक नहीं है। इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा कि २७ करोड़ रु० जो तृतीय पंचवर्षीय योजना में रक्खा गया है उस के लिये कोशिश होनी चाहिये इस मंत्रालय की, और सदन को मंत्रिमंडल पर प्रभाव डालना चाहिये, कि उसे कम से कम दुगना किया हो जाये। असल में इंडस्ट्रियल एस्टेटस की तरफ, जो उस की बनावट है, उस की तरफ मुल्क के नागरिकों का ध्यान नहीं है। इसलिये, यदि हम चाहते हैं कि औद्योगिक उत्पादन उस गति से बढ़े जिस गति से बढ़ने की मुल्क में आवश्यकता है तो इस के अलावा कोई चारा नहीं लगता कि छोटे छोटे उद्योगों का बड़े पैमाने पर विकास किया जाये और वह विकास तभी हो सकता है जब इस नीति के मुताबिक अधिक इंडस्ट्रियल एस्टेटस खुलें। मैं चाहूंगा कि ३०० इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के स्थान पर ६०० इंडस्ट्रियल एस्टेट्स का लक्ष्य तृतीय पंचवर्षीय योजना में रक्खा ही जाये।

मैं मानता हूं कि सरकार के सामने कठिनाइयां हैं और वह और अधिक धन नहीं दे सकती। लेकिन इस के लिये और दूसरे तरीके भी इस्तेमाल किये जा सकते हैं। इस में सरकार को कोई धन नहीं देना पड़ेगा। आज सिर्फ जमीन की व्यवस्था कर दी जाये, कानून के जरिये, सरकार सिर्फ उस कच्चे माल की व्यवस्था कर दे, जिस से इंडस्ट्रियल एस्टेट में माल तैयार किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि मुल्क में इस प्रकार के लोग हैं छोटे छोटे, जो लाख, दो लाख या चार और पांच लाख रुपया लगा कर या और भी थोड़ा रुपया लगा कर अपना औद्योगिक उत्पादन शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो सब से बड़ी कठिनाई होती है वह यह कि उनको कच्चा माल ही नहीं मिलता। जब कच्चे माल की बात आती है तो मुझे एस्टिमेट्स कमेटी की उस रिपोर्ट की तरफ ध्यान दिलाना पड़ता है जो उन्होंने इस साल डेवलपमेंट विंग के सम्बन्ध में प्रकाशित किया है और सदन की मेज पर रक्खा है।

जहां यह माना जा सकता है कि डेवलपमेंट विंग बहुत अच्छा काम कर रहा है देश के औद्योगिक उत्पादन के सिलसिले में वहां यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिये कि यह विभाग, यह विकास की शाखा हमारी, किस तरह अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रही है। जब हम इस रिपोर्ट की ओर ध्यान देते हैं तो लगता है कि इस में बहुत सी इस तरह की चीज हैं जिन को दूर नहीं किया जा सका है लेकिन जिन को दूर किया जाना चाहिये। खास तौर से जहां कच्चे माल के देने का प्रश्न आता है या नये नये उद्योगों को रजिस्टर करने और लाइसेंस करने का प्रश्न आता है, वहां हमारी एस्टिमेटस कमेटी ने अपने विचार जाहिर किये हैं माननीय सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से याद होगा कि यद्यपि नियमों के मुताबिक तीन महीने के अन्दर दर्ख्वास्त पर फैसला हो जाना चाहिये लेकिन नये उद्योगों को स्थापित करने के लिये जो लोग दरख्वास्तें ले कर डेवलपमेंट विंग में जाते हैं उन को तीन महीने के बजाय अमूमन ५ महीने लग जाते हैं। यह तो एस्टिमेट्स कमेटी कहती है, लेकिन जहां तक मुझे ज्ञात है उसमें १२ से १५ महीने तक भी लग जाते हैं। और कभी कभी तो उस के बाद भी पता नहीं चलता कि क्या फैसला हो रहा है। मैं चाहूंगा कि जब यह नियम बनाया जा चुका है और नियम का पालन करने में डेवलपमेंट विंग कामयाब नहीं होता है तो फिर इस की कोशिश होनी चाहिये कि उन नियमों का पालन हो। उन नियमों का पालन सिर्फ नियमों को तोड़ने में नहीं होना चाहिये। हम बड़ा भारी स्टाफ रखते हैं, हमारे पास बहुत से आफिसर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, जो कि इस बात को देखते हैं। आखिर उन सब का क्या काम है ? मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी कठिनाई है जिन से तीन महीने के अन्दर दर्ख्वास्त पर फैसला नहीं हो सकता है। कहा जाता है कि राज्य सरकारें भली भांति जो सूचनायें चाहियें वे नहीं देती हैं। अगर राज्य सरकारें सूचनायें नहीं देती हैं तो दूसरे तरह के साधन सरकार को अपने आप ही इकट्ठे करने चाहियें जिन से सूचनायें मिल सकें। और सूचनायें मिलें या न मिलें लेकिन दर्ख्वास्त का फैसला तीन महीने के अन्दर हो जाना चाहिये, जो कि नये उद्योगों को स्थापित करने के लिये डेवलपमेंट विंग में जाती हैं। जो आज की स्थिति है उस में ऐवरेज टाइम जो लगता है वह पांच महीने हैं जिस में दर्ख्वास्त पर फैसला होता है। यह चीज उचित नहीं है। इस से जहां नये उद्योग को चलाने वाले को निराशा होती है वहां भ्रष्टाचार और पक्षपात को भी बल मिलता है। इस में मुमकिन है कि लोगों को इस बात का मौका रहे कि जिस चीज पर तीन महीने में फैसला होता है उस में और जल्दी फैसला करवाने के लिये ऐसे तरीके इस्तेमाल किये जायें जो जायज नहीं हैं। कुछ मामलों के बारे में मुझे मालूम है कि इस तरह की बातचीत चलती है कि हम इस तरह पर इसे कर देंगे या इस को इस तरह से नहीं करेंगे। और इसी में देर होती है किसी भी खास उद्योग के लिये इस तरह देर कर के वहां निराशा पैदा की जाती है। उद्योगपतियों को निराशा होती है और उत्पादन में भी रुकावट आती है। इस तरह के मामले होते हैं। मैं चाहूंगा मंत्रालय इसकी गम्भीरता से जांच करे और इस तरह की व्यवस्था करे कि जो नियम बने हुए हैं तीन महीने में काम को समाप्त करने के उस के अन्दर ही सब दरख्वास्तों का फैसला हो सके जो कि डेवलपमेंट विंग के सामने आती हैं। जो कुछ भी रुकावट आये उस को दूर किया जाना चाहिये।

दूसरी बात कच्चे माल की आती है। जहां पर डेवलपमेंट विंग की नियुक्ति की गई है इस बात के लिये कि वह नये उद्योगों के वास्ते कच्चे माल की व्यवस्था करे वहां पर अमल में कभी कभी ऐसा होता है कि यह विंग डेवलपमेंट (विकास) करने के बजाय उस में रुकावट पैदा कर देता है। जितनी आवश्यकता माल की किसी उद्योग की होती है, उस के लिये मुझे नहीं मालूम है कि क्या खास तरह के क्राइटेरिया तय किये हुए हैं या आधार तय किये हुए हैं कि इस प्रकार माल दिया जाये, लेकिन ताज्जुब तो तब होता है जब एक ही तरह के औद्योगिक संस्थानों में जहां एक तरह से काम होता है, एक को जितनी मदद मिलती है दूसरे को उस का चौथाई दिया जाता है, या यों कहिये कि एक को दूसरे का चौगुना मिलता है कच्चा माल। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें कि इस तरह की जो बातें होती हैं आखिर उन के पीछे क्या भावना होती है और ऐसा प्रयत्न करें कि जो नियम हों उन का

[श्री ब्रजराज सिंह]

पालन हो और उन को तोड़ने की हिम्मत किसी में न हो ।

इसी तरह से जहां एस्टिमेंटस कमेटी ने और सिफारिशें की हैं, और मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय का ध्यान उधर जाये, वहां डेवलपमेंट विंग के काम के सम्बन्ध में एक और सिफारिश है इस कमेटी की जिस की तरफ सदन का ध्यान जाना चाहिये, वह यह है कि मुल्क में औद्योगिक साम्राज्य कायम हो रहे हैं, जिन को इंडस्ट्रियल एम्पायर्स की संज्ञा दी है एस्टिमेट्स कमेटी ने। ताज्जुब की बात है कि जहां भी कोई नये उद्योग खुलते हैं तो जो लोग पहले से उद्योगों में हैं वे अपने नाम से नहीं खोलते हैं बल्कि किसी अपने सम्बन्धी के नाम से खोल लेते हैं । मान लीजिये आगरा में कोई उद्योग चल रहा है तो वे बम्बई में अपने भाई के नाम से चलायेंगे, अगर बम्बई में अपने नाम से चल रहा है तो मद्रास में अपने भाई के नाम से चलायेंगे या भतीजे के नाम से चलायेंगे। अगर मद्रास में उस के भतीजे के नाम से उद्योग चल रहा है तो कलकत्ते में वह दूसरे भतीजे के नाम से चलायेंगे । इसलिये मैं चाहूंगा कि इस बात की जांच पड़ताल की जाये कि जो पंचवर्षीय योजनायें चलाई गई हैं उन की विकास शाखा ने जो काम किये हैं उस का कहीं यह नतीजा तो नहीं होता है कि जो थोड़े से लोग हैं देश में उन्हीं के हाथों में सारे नये उद्योग बढ़ते चले जा रहे हों। हो सकता है कि इस का जवाब मंत्रालय की तरफ से दिया जाये कि चूंकि और लोगों के पास टैक्निकल नो हाऊ नहीं है, या और लोगों के पास पूंजी नहीं है, अनुभव नहीं है, इसलिये इस तरह की बात होती हैं । मैं इस तरह की सारी दलीलों को लोग मानने से इन्कार करता हूं । यह कोई दलील नहीं है । आप का एक विंग इस काम के लिये कायम है, वह टैक्निकल नो हाऊ (तकनीकी ज्ञान) देगा, वह पैसा भी देने की व्यवस्था करेगा और दूसरी सुविधायें भी देगा । फिर कोई वजह नहीं हो सकती कि एक ही प्रकार के लोगों को, एक ही खानदान को ही नये उद्योग खोलने की इजाजत दी जाये । मुझे मालूम है कि एक साहब जो बम्बई में जिन का कुछ काम करते हैं उन को अभी एक दूसरा लाइसेंस मद्रास में मिल गया है । कलकत्ते में उन के एक नजदीकी आदमी को पहले से लाइसेंस मिला हुआ है । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो मुल्क में इंडस्ट्रियल एम्पायर कायम करने की प्रवृत्ति चल रही है यह न केवल उद्योगों के लिये घातक होगी बल्कि यह जनतन्त्र के लिये भी घातक सिद्ध हो सकती है । इसलिये समय रहते चेत जाना चाहिये । मैं समझता हूं कि न सरकार का यह मंशा है और न देश की प्रगति के लिये यह हितकर है कि थोड़े से लोगों के हाथों में विकास के साधन केन्द्रित हों। उचित यही होगा कि अधिक से अधिक लोगों को उस में हिस्सा मिले और वह तभी मिल सकता है जब कि यह जो इंडस्ट्रियल एम्पायर बनाने की प्रवृत्ति चल रही है इस को रोका जाये । मैं समझता हूं कि मंत्री जी इस पर विशेष तौर से ध्यान देंगे और अगले वर्ष जब सदन के सामने आयेंगे तो उन की यह रिपोर्ट होगी कि इस प्रवृत्ति को चैक करने की कोशिश की गयी है ।

जहां तक छोटे उद्योगों का सवाल है उन के बारे में एक दो बात कह कर मैं समाप्त कर देना चाहता हूं । कच्चे माल की बात मैं ने कही । कुछ उद्योग ऐसे हैं कि उन को कच्चे माल के न मिलने की वजह से उन के बन्द होने की आशंका हो जाती है । पिछले दिनों कच्चा माल भले ही एक जगह इकट्ठा हो लेकिन वैगनों की कमी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सका । इस की वजह से भी उद्योगों पर बड़ा असर पड़ा । उदाहरण के लिये मैं फिरोजाबाद के कांच के उद्योग के बारे में एक दो बात कहना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य दो मिनट में समाप्त कर दें ।

श्री ब्रजराज सिंह : अभी कितने मिनट हो गये ।

†सभापति महोदय : अभी १३ मिनट हुए हैं ।

श्री ब्रजराज सिंह : मुझे २५ मिनट दिये जायें। मैं अपनी पार्टी से अकेला ही बोलने वाला हूं और इधर विरोधी दल में कोई बोलने वाला नहीं है।

सभापति महोदय : आप चार पांच मिनट में समाप्त कर दीजिये।

श्री ब्रजराज सिंह : फिरोजाबाद में ग्लास वेयर का काम होता है। इस से हम फारिन एक्सचेंज (विदेशी मुद्रा) प्राप्त कर सकते हैं। इस समान को विदेशो में भेजा जा सकता है। सारे देश के निर्यात को देखते हुए तो हम इस से कोई विशेष फारिन एक्सचेंज पैदा नहीं करेंगे, वह तो ट्रेडीशनल चीजों के द्वारा ही हो सकता है, लेकिन जब आप छोटी छोटी चीजों को विदेश भेज कर फारिन एक्सचेंज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ग्लास वेयर भी एक ऐसी चीज है जिससे हम कुछ फारिन एक्सचेंज पैदा कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि क्यों कोई ऐसी योजना नहीं बनायी गयी कि ग्लास वेयर को बड़े पैमाने पर पैदा किया जा सके। इस के लिये आप उन लोगों को लाइसेंस दे सकते हैं जो छोटे पैमाने पर इस के लिये कारखाने खोलना चाहते हैं। मैं देखता हूं कि जब फिरोजाबाद में कांच के नये कारखाने खोलने की बात कही जाती है तो उस के रास्ते में रुकावटें डाली जाती हैं और कहा जाता है कि इस के लिये कच्चा माल नहीं मिलेगा, कोयला नहीं है, सोडा ऐश नहीं है, और दूसरी चीजें प्राप्त नहीं होंगी। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान दें और कच्चे माल की व्यवस्था करें ताकि ग्लास वेयर का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सके। इस को हम दूसरे मुल्कों में भेज कर आसानी से अच्छा खासा फारिन एक्सचेंज पैदा कर सकते हैं।

अभी जो हमारा बजट पेश हुआ है उसमें ग्लास वेयर पर नया टक्स लगाया गया है। इस मामले में आपने छोटे उद्योग में और बड़े उद्योग में फर्क नहीं किया है। आप और मामलों में छोटे और बड़े उद्योगों मे फर्क करते हैं जैसे कि खादी के कपड़े के लिए आपने विशेष संरक्षण दिया हुआ है। आप पांच लाख तक के उद्योग को छोटा उद्योग मानते हैं। लेकिन ग्लास वेयर के मामले में चाहे पांच लाख का उद्योग हो या ५० लाख और एक करोड़ का हो सब पर आपने एक सा टक्स लगा दिया है। मैं चाहूंगा इस पर मंत्री महोदय विचार करें और फाइनेंस मिनिस्टर साहब से अनुरोध करें कि कांच के छोटे उद्योग पर यह टैक्स न लगाया जाए। अगर छोटे उद्योगों पर और बड़े उद्योगों पर समान टैक्स होगा तो छोटे उद्योग बड़े उद्योगों से कम्पीट नहीं कर सकेंगे क्योंकि बड़े उद्योगों को बहुत सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं और उनका माल सस्ता तयार होता है। इस लिए मेरा सुझाव है कि जो पांच लाख तक के कांच के कारखाने हैं, जिनमें पांच लाख तक की पूंजी इनवेस्ट की गयी है, उनको इस एक्साइज कर से मुक्त कर दिया जाए।

जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल है। मैं समझता हूं कि बहुत अधिक कोशिश करने की जरूरत है जिससे कि हम अपनी इकानमी को स्टेबीलाइज (स्थायी) कर सकें। मुल्क में अच्छा वातावरण पैदा करने के लिए हमें एक्सपोर्ट को अधिकाधिक बढ़ाना चाहिए। अभी तक जो कुछ हुआ है वह संतोषजनक नहीं है। मैं संक्षेप में यह बात कहना चाहता हूं कि जहां और कारगर उपाय निर्यात बढ़ाने के करने चाहिए वहां क्या सरकार इस बात पर भी सोचेगी कि जो हमारा माल विदेशों विदेशी जहाजों द्वारा जाता है उनका खर्चा कम किया जाए। हमारे यहां से जापान को आइरन ओर जाता है लेकिन लन्दन से कलकत्ता सामान लाने पर जितना खर्चा पड़ता है उससे ज्यादा पैसा कलकत्ता से आइरन ओर जापान ले जाने पर विदेशी जहाजी कम्पनियां हमसे लेती हैं। सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए कि जो हमारा माल विदेशों को विदेशी जहाजों द्वारा जाता है वह कम खर्च पर जा सके।

[श्री ब्रजराज सिंह]

नेशनल इंडस्ट्रियल कारपोरेशन राष्ट्रीय औद्योगिक निगम) की तरफ से जो कर्जा देने की जव्यवस्था है छोटे छोटे उद्योगों केलिए, उसमें इस तरह की शिकायतें हैं--और इस्टीमेट्स कमेटी ने भी उनकी तरफ ध्यान खींचा है--कि जिन लोगों को वास्तव में पैसे की आवश्यकता है उनको कर्जा नहीं मिलता पर जिनके पास पैसा है या जो पैसे की व्यवस्था कर सकते हैं उनको कर्जा दिया जाता है।

†श्री मनुभाई शाह : राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम छोटे उद्योगों को ऋण नहीं देता।

श्री ब्रजराज सिंह : मैं बड़े उद्योगों के बारे में ही कह रहा हूं। उसके बारे में यह शिकायत है कि जिनको जरूरत होती है उनको नहीं मिलता पर जो अपने साधनों से इन्तिजाम कर सकते हैं उनको मिल जाता है। इधर सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

एक और कठिनाई है जिसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह सीमेंट के वितरण के सम्बन्ध में है। आजकल सीमेंट फैक्टरियों में काफी पैदा हो रहा है लेकिन ऐसे स्थानों पर जहां उपभोक्ता उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं वहां वह नहीं पहुंच पाता। इस कारण उन स्थानों पर सीमेंट दुगनी कीमत पर बिक रहा है। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, खासकर पश्चिमी जिलों में सीमेंट १५ रुपए बोरी बिक रही है। इसके लिए मेरा सुझाव है कि जिस तरह से आपने कोयले को जगह जगह डम्प करने की योजना बनायी है जहां से उसकी सप्लाई किया जा सकेगी उसी तरह से क्यों नहीं आप सीमेट के बारे में भी करते। सीमेंट को भी विभिन्न स्थानों पर स्टाक किया जाए और वहां से जनता को आसानी से मिल सके ताकि उसको जो ज्यादा पैसा देना पड़ता है वह न देना पड़े।

एक अन्तिम बात कह कर मैं समाप्त करता हूं। बगास के न्यूजप्रिंट बनाने की योजना चार साल से विचाराधीन है, अभी तक वह चालू नहीं हो पायी है। मैं चाहूंगा कि वह जल्दी से जल्दी कार्यान्वित की जाए ताकि न्यूजप्रिंट का ज्यादा उत्पादन हो सके। लेकिन सरकार की तरफ से एक बात साफ करने की जरूरत है। अभी हाल में दो बड़े नए आर्थिक पत्र इकानमिक टाइम्स और फाइनेन्शल एक्सप्रेस निकालेगए हैं। जब दूसरे छोटे पत्रों को ६ महीने निकल चुकने के बाद न्यूजप्रिंट का कोटा मिलता है, तो इनको कैसे कोटा शुरू से ही मिल गया और अगर नहीं मिला तो ये पत्र किस प्रकार इतने बड़े पैमाने पर निकल रहे हैं। सरकार की तरफ से इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए क्योंकि जब दूसरे छोटे पत्रों को कोटा नहीं मिलेगा और बड़े पत्रों को मिल जाएगा तो छोटे पत्रों के सामने बड़ी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं।

†श्रीमती रेणुका राय (मालदा) : हमारे समाज की आर्थिक व्यवस्था के लिये यह मंत्रालय बड़ा महत्वपूर्ण काम करता है।

मंत्रालय ने बड़ा सराहनीय कार्य किया है। द्वितीय योजना के लक्ष्य निर्धारित से अधिक पूरे किये गये हैं। लेकिन वितरण का प्रश्न भी उत्पादन जितना ही महत्वपूर्ण है।

उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन देश की सम्पदा चन्द लोगों के हाथों में केन्द्रित होती जा रही है। दूसरी ओर साधारण जनता के रहन सहन का स्तर गिरता जा रहा है।

हमें सारा जोर इसी बात पर देना चाहिये कि देश की सम्पदा चन्द लोगों के हाथ में केन्द्रित न हो पाये। मैं माननीय उद्योग मंत्री को बधाई देती हूं छोटे पैमाने के उद्योगों की ४८,००० इकाइयो के विस्तार के लिये। लेकिन उनके सामने एक बड़ी कठिनाई यह है कि उनको कच्चा माल नहीं मिल पाता और उनके आयात के लिये अनुमति मिलने में बड़ी कठिनाई पड़ती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राक्कलन समिति की राय है कि बड़े पैमाने की इकाइयों की बजाय मध्यम पैमाने की औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जानी चाहियें ।

छोटे पैमाने के उद्योगों की पूरी योजना इस ढंग से तैयार की जानी चाहिये कि उनके लिये देश में ही कच्चा माल सुलभ हो सके । आयात की आवश्यकताओं का अनुमान भी पहले से लगा लिया जाना चाहिये ।

अब प्रश्न है सहकारी क्षेत्र का । सहकारी क्षेत्र के विकास के लिये समुचित सुविधायें जुटाई जानी चाहियें । सहकारी क्षेत्र को देश की आवश्यकताओं के अतिरिक्त शेष मात्रा के निर्यात के लिये ऋण संबंधी सुविधायें दी जानी चाहियें । मैंने इस सम्बन्ध में जो प्रश्न पूछा था उसके उत्तर में बताया गया था कि ब्याज का निर्यात करने वाली एक सहकारी संस्था को ही ऐसी सुविधायें दी गई हैं ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : माननीय सदस्या ने केवल यही पूछा था कि निर्यात की सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिये क्या किया गया है । उसके उत्तर में मैंने यही कहा था कि एक सहकारी संस्था ही केवल प्याज का निर्यात कर रही है और उसके लिये दीर्घकालीन ऋण की कोई आवश्यकता नहीं है । मैंने तो उसकी सही स्थिति ही बताई थी ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : विचित्र सा उत्तर है । असल सवाल तो निर्यात के लिये ऋण संबंधी सुविधायें जुटाने का है ।

कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में थोड़ा सुधार तो हुआ है, पर इतना नहीं कि हम उसकी ओर से लापरवाह हो जायें । उत्तर बंगाल का मालदा क्षेत्र अपने रेशम उद्योग के लिये प्रसिद्ध रहा है । लेकिन फिर भी उस क्षेत्र में रेशम की बुनाई के लिये कोई भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता । ऐसा क्यों ? इसके कारणों की छानबीन की जानी चाहिये । वहां ४ करघों तक की इकाइयों को उत्पादन शुल्क से विमुक्ति दी जानी चाहिये ।

हमें अपना निर्यात व्यापार बढ़ाना चाहिये । इसके लिये जरूरी है कि हमारे यहां जो वस्तुयें तैयार होती हैं उनकी क़िस्म घटिया न हो पाये । इसके नियंत्रण की ओर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये ।

निर्यात संवर्धन के सम्बन्ध में मुझे यही कहना है कि चाय और जूट के परम्परागत निर्यात की ओर हमें अधिक ध्यान देना चाहिये । चाय बागानों में पुनःवृक्षारोपण का काम दक्ष लोगों को नहीं सौंपा गया है ।

१९४८ के औद्योगिक नीति संकल्प ने सरकारी और निजी क्षेत्रों के लिये उनके समुचित स्थान निर्धारित कर दिये हैं । इसलिये अब निहित स्वार्थों को यह छूट नहीं दी जानी चाहिये कि वे सरकारी क्षेत्र को बदनाम कर सकें । हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि सरकारी क्षेत्र में विनियोजित ६०० करोड़ की राशि में से ४०० करोड़ रुपये ऐसे उपक्रमों में लगे हैं जिनका काम अभी पूरी तौर पर शुरू ही नहीं हुआ है ।

सरकारी उपक्रमों को उचित ढंग से चलाने के लिये यह आवश्यक है कि स्वायत्त निगमों और सचिवालयों के काम में सह-योजना हो । दोनों अपनी-अपनी तरफ न खींचें ।

इन सरकारी उपक्रमों के लिये उत्तरदायी अधिकारियों को सम्बन्धित मंत्रियों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिये; और मंत्रिगण संसद् के प्रति जवाबदेह रहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेणुका राय]

साथ ही, सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतनों में अधिक अन्तर नहीं रहना चाहिये। निजी क्षेत्र के उच्चाधिकारियों के वेतनों की कोई सीमा निर्धारित की जानी चाहिये।

मैं इन मांगों का समर्थन करती हूं।

†श्री सोमानी (दौसा) : इस बीच हमारे देश का औद्योगिक ढांचा मजबूत हुआ है। उत्पादन में वृद्धि हुई है; मशीन बनाने के उद्योग का विस्तार हुआ है। मैं नये वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का स्वागत करता हूं। यह तृतीय योजना के लिये बड़ा अच्छा लक्षण है।

इस बीच सूती कपड़ा उद्योग पर बड़ा दबाव रहा है। उद्योग ने सरकार की मांग पर कपड़े की कीमतों में काफी कटौती कर दी है। लेकिन नये उपकर लगने से जनता को उसका लाभ नहीं हो पायेगा।

सूती कपड़ा उद्योग की समस्याओं के सम्बन्ध में कार्यकारी दल ने जो सिफारिशें की थीं, उनमें से अधिकांश को सरकार ने मान लिया है।

लेकिन सूती कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में की गई सिफारिश पर सरकार ने कोई स्पष्ट निर्णय नहीं किया है। कार्यकारी दल की सिफारिश थी कि आधुनिकीकरण में लगभग १८० करोड़ रुपये लग जायेंगे। इसके लिये सूती कपड़ा उद्योग को अपनी ओर से ८० करोड़ रुपये जुटाने पड़ेंगे। लेकिन यह तभी सम्भव है जब इस उद्योग को कपड़े का उचित मूल्य लेने दिया जाय।

सरकार सख्ती के साथ मूल्य नियंत्रित करने की जिस नीति पर चल रही है, उससे उद्योग के पास इतनी अतिरिक्त राशि बचना कठिन होगा। दूसरी ओर राष्ट्रीय उद्योग विकास परिषद् को उसके लिये १०० करोड़ रुपये जुटाने पड़ेंगे, लेकिन परिषद् को केवल २० करोड़ रुपये इसके लिये दिये गये हैं। इससे कैसे पूरा पड़ेगा?

इस सम्बन्ध में मेरा विनम्र सुझाव है कि सूती कपड़ा उद्योग को अपने विक्रय पर थोड़ा-बहुत उत्पादन-उपकर लगाने की अनुमति दी जाये। इस उपकर से प्राप्त होने वाली राशि को मुनाफा न समझा जाये। इसमें से शेयर होल्डरों और श्रमिकों को भी कुछ न दिया जाये। न उस पर आयकर लगना चाहिये।

सरकार इसके लिये तीसरी पाली का अवक्षयण भत्ता उद्योग को देने की बात सोच रही है। यह बड़ा अच्छा रहेगा। इस प्रस्ताव को वित्त विधेयक में शामिल किया जाना चाहिये।

इस उद्योग को अपना आधुनिकीकरण करने योग्य बनाने के लिये कुछ ठोस कदम उठाये जाने चाहिये। सरकार द्वारा स्वीकृत संकल्प में इसकी ज्यादा गुंजाइश नहीं है।

सूती कपड़ा उद्योग द्वारा तैयार वस्तुओं के मूल्यों के निर्धारण का प्रश्न इसीलिये एक बुनियादी प्रश्न है। इसका सम्बन्ध देश की समची अर्थ-व्यवस्था से है। मूल्य-निर्धारण इस ढंग से किया जाना चाहिये कि उद्योगों के पास अपने प्रसार की क्षमता भी बनी रहे।

सीमेंट उद्योग के बारे में सरकार यह तो मानती है कि मूल्यों में उचित वृद्धि करने का अधिकार उसे मिलना चाहिये। लेकिन फिर भी सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इस

†मूल अंग्रेजी में

सम्बन्ध में सरकारी नीति यथार्थ से दूर है । प्रशुल्क आयोग ने सिफारिश की थी कि सीमेंट उद्योग को कोयले की मूल्यों और माल-भाड़ों में उतार-चढ़ाव के साथ सीमेंट के मूल्यों को समायोजित करने देना चाहिये । मंत्रालय ने इसे कार्यान्वित नहीं किया है । उद्योग ने इसके सम्बन्ध में प्रतिवि्-धित्व भी किया है ।

यदि हम बुनियादी उद्योगों को इतनी गुंजाइश नहीं रखने देंगे कि वे अपने आधुनिकीकरण के कार्यक्रम पर अमल कर सकें, यदि इसके लायक मुनाफा उनको नहीं हो पायेगा, तो समूचे राष्ट्र के हितों को गहरी चोट पहुंचेगी । उनको आर्थिक रूप से अस्तित्व योग्य बनाना अत्यावश्यक है ।

इसलिये सरकारों को उद्योगों द्वारा तैयार वस्तुओं का मूल्य-नियंत्रण इस गुंजाइश को देखते हुए ही करना चाहिये ।

निर्यात संवर्धन के सम्बन्ध में, 'फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बरस् ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री' ने सरकार के सामने बड़े विस्तार के साथ कुछ सुझाव रखे हैं । उन पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये । आवश्यकता इस बात की है कि निर्यात संवर्धन का कार्यक्रम बड़ी मुस्तैदी से, दृढ़ता के साथ कार्यान्वित किया जाय । सरकार को निर्यात संवर्धन के लिये उद्योगों को निर्यात बोनस, आयकर में कुछ छट, इत्यादि देने के सुझाव मान लेने चाहियें । आशा है सरकार इसमें कोई कसर नहीं रहने देगी ।

उद्योगों को भी निर्यात संवर्धन के लिये थोड़ा-बहुत त्याग करने के लिये तैयार रहना चाहिये । आशा है सभी सम्बन्धित सरकारी विभाग इस कार्य में सहयोग करेंगे ।

श्री वें० प० नायर और श्रीमती रेणुका राय ने कहा है कि देश की आर्थिक शक्ति चन्द लोगों के हाथों में संकेन्द्रित होती जा रही है । मैं उससे सहमत नहीं । हमारी सरकार उद्योगों का आधार अधिकाधिक व्यापक बनाने के लिये प्रयत्नशील है । पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि देश को शीघ्रातिशीघ्र औद्योगीकृत बनाने के लिये बड़े-बड़े उद्योगपतियों को कुछ प्रोत्साहन देना ज़रूरी है । इंगलैण्ड और अमरीका में भी ऐसे बड़े-बड़े उद्योग-संगठन बन रहे हैं । जिनके हाथ में पर्याप्त आर्थिक शक्ति संकेन्द्रित रहती है । उनकी तुलना में हमारे उद्योग-संगठन तो बहुत ही छोटे से हैं । आधुनिक तकनीक और औद्योगिक ढांचे की यही मांग है । मैं यह नहीं मानता कि देश में एकाधिकार की प्रवृत्ति बढ़ रही है ।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** (राजमपेट) : देश की औद्योगिक प्रगति इस बात की साक्षी है कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने अपना कर्तव्य बड़े सराहनीय ढंग से निभाया है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया था कि देश के कम विकसित क्षेत्रों में उद्योग खड़े किये जायें । तृतीय योजना में भी इस सिद्धान्त को रखा गया है । लेकिन इस दिशा में सक्रिय रूपसे अधिक कुछ नहीं किया गया है । आशा है कि तृतीय योजना काल में इसकी ओर समुचित ध्यान दिया जायेगा ।

मैं यहां आन्ध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता हूं । इसलिये यह बताना मेरा कर्तव्य है कि औद्योगीकरण के मामले में आन्ध्र प्रदेश की उपेक्षा की गई है । विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति विनि-योजन के आंकड़े इस प्रकार हैं :—पश्चिमी बंगाल में ६५·३९, बम्बई में ४६·१ और मद्रास में १९·६; लेकिन आन्ध्र प्रदेश में केवल १०·६८ रुपये प्रति व्यक्ति विनियोजन किया गया है ।

उद्योग से होने वाली प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े देखिये बम्बई में ७९·०७, पश्चिमी बंगाल में ८०·८७ और मद्रास में ३९·०१, जबकि आन्ध्र प्रदेश में केवल २०·२३ रुपये है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री विश्वनाथ रेड्डी]

पिछली दो योजनाओं के काल में समूचे देश की राष्ट्रीय आय में ८६.२३ प्रतिशत वृद्धि हुई है, जबकि आन्ध्र प्रदेश में यह केवल ७०.२२ प्रतिशत रही है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को अब आन्ध्र प्रदेश में कुछ नये उद्योग स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करना चाहिये।

सरकारी क्षेत्र के नये उद्योगों के लिये स्थानों का चुनाव करते समय उद्योगों के विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त उठाकर ताक में रख दिया जाता है। कम से कम सरकारी उपक्रमों के लिये तो स्थान चुनने में उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम की व्यवस्थाओं का उपयोग किया जाना चाहिये। यदि व्यावहारिक हो, तो आन्ध्र प्रदेश में भारी विद्युतीय परियोजनाओं की स्थापना की जानी चाहिये।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह दृष्टिकोण रखा है कि सरकारी क्षेत्र के उत्पादों के मूल्य न-लाभ न-हानि के आधार पर निर्धारित किये जाने चाहिये। मैं इससे बिलकुल सहमत नहीं। सरकारी उद्यमों को सरकारी कोष में अपना अंशदान करने योग्य आय होनी चाहिये। यदि सरकारी उपक्रम कोई ऐसा उत्पाद तैयार करें, जो अभी तक आयात किया जाता रहा हो, तो उसका मूल्य पहले के आयात-मूल्य को देखकर ही निर्धारित किया जाना चाहिये और जिन उत्पादों का उत्पादन देश में पहले से हो रहा था, उनके मूल्य-निर्धारण का आधार उनके पहले के बाजार-भाव को बनाया जाना चाहिये। उचित मुनाफे की गुंजाइश उसमें रखी जानी चाहिये।

छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये ऋणों के प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में बड़े विलम्ब से निर्णय हो पाता है। उनका निबटारा बड़े धीरे-धीरे हो रहा है। विलम्ब से बचने के लिये, व्यवस्था यह होनी चाहिये कि प्रादेशिक निगम ही उनके बारे में अन्तिम निर्णय कर सकें। दिल्ली के मुख्य निगम तक उनको भेजने में बड़ा विलम्ब हो जाता है।

दक्षिण भारत में स्थित छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये कच्चा माल सुलभ बनाया जाना चाहिये। वहां लोहा और इस्पात के संभरण की समुचित व्यवस्था नहीं है।

अनुज्ञप्तियां देने के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि अनुज्ञप्तिधारियों को अपना कच्चा माल काले बाजार में नहीं बचने देना चाहिये। अनुज्ञप्तियां देने का कोई उचित आधार रहना चाहिये।

हल्के इंजीनियरिंग माल उद्योग ने अपने उत्पादों का निर्यात करके देश के लिय काफी विदेशी मुद्रा सुलभ बनाई है। उनके इस श्रेय के लिये, सरकार को निर्यात से होने वाली उनकी आय का एक भाग आय-कर से विमुक्त कर देना चाहिये। तब निर्यात-लक्ष्य को दोगुना बढ़ाया जा सकेगा।

आन्ध्र प्रदेश काफी मात्रा में कपास पैदा करता है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आन्ध्र प्रदेश को और अधिक तकलियों और करघों की क्षमता की स्वीकृति दी जानी चाहिये।

†श्री धर्म लिंगम् (थिरुवन्नामलाई): दक्षिण भारत की ओर मंत्रालय ने उचित ध्यान नहीं दिया है। वहां का बीड़ी उद्योग देश के लिये काफी विदेशी मुद्रा कमा सकता है। लेकिन पता नहीं दक्षिण भारत के बीड़ी-उद्योग को सरकार समुचित प्रोत्साहन क्यों नहीं देती। सरकार उत्तर भारत की ओर ही ध्यान देती है। इसी प्रकार दक्षिण भारत के हथकरघा उद्योग के साथ पक्षपात किया जा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि हथकरघा

†मूल अंग्रेजी में

उद्योग के लिये किनारी वाली धोतियों और साड़ियों का उत्पादन सुरक्षित कर दिया जाये। उसके साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये।

हथकरघा उद्योग से देश को काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा मिल सकती है। इसका पूरा उपयोग किया जाना चाहिये।

मद्रास पत्तन के जरिये रंगों और रंगने वाले पदार्थों के आयात की अनुज्ञप्तियां मद्रास हथकरघा बोर्ड को दी जानी चाहियें। यह एकाधिकारी बम्बई के कुछ व्यापारियों के हाथ में नहीं रहने देना चाहिये।

कच्ची फिल्मों के कोटे का बंटवारा भी समुचित आधार पर नहीं किया गया है। इसमें भी दक्षिण भारत के साथ पक्षपात किया गया है। कच्ची फिल्में बनाने का कारखाना उटकमंड में शीघ्रता से स्थापित किया जाना चाहिये। तामिल चलचित्रों से, हिन्दी चलचित्रों की अपेक्षा, कहीं अधिक विदेशी मुद्रा मिल सकती है।

उर्वरकों के क्षेत्र में भी दक्षिण भारत के साथ अन्याय हो रहा है। इस तरह दक्षिण भारत की कृषि का गला घोंटा जा रहा है; रूरकेला नंगल, वगैरह परियोजनायें अपना काम शुरू करने वाली हैं, लेकिन निवेली परियोजना की इतनी उपेक्षा हो रही है कि अभी वहां मशीनें तक नहीं लगाई गई हैं।

मद्रास में विभिन्न स्थानों पर चीनी मिलें स्थापित की जानी चाहियें, खास तौर से थिरुवन्ना-मलाई में।

द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में पेराम्बूर सवारी-डिब्बा कारखाने के अलावा कोई भी दूसरा बड़ा कारखाना दक्षिण भारत में नहीं खोला गया है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : (गुरदासपुर) : हम माननीय सदस्य का भाषण समझने में असमर्थ हैं।

†**श्री धर्मलिंगम्** : इसका अंग्रेजी अनुवाद मेरे पास है।

†**सभापति महोदय** : यदि यह माना जाये, तो कुछ माननीय सदस्य संसद् की कार्यवाही में बिल्कुल भाग ही नहीं ले सकेंगे। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

†***श्री धर्मलिंगम्** : दक्षिण भारत में मध्यम और छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना के लिये अधिक अनुज्ञप्तियां दी जानी चाहियें।

शक्ति के केन्द्रीयकरण से दक्षिण भारत की जनता को बड़ी असुविधा होती है।

†**श्री मणियंगाडन** (कोट्टायम) : इस मंत्रालय को मैं बधाई देता हूं इसलिये कि इसने इतने थोड़े से काल में औद्योगिक क्षेत्र में काफी कुछ कर दिखाया है। मेरा ख्याल यह है कि हम अपनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकतायें केवल निर्यात-व्यापार से पूरी नहीं कर सकते। हमारा निर्यात व्यापार घटता रहा है। १९४८ में हमारा निर्यात-व्यापार विश्व के कुल निर्यात व्यापार का २.६ प्रतिशत था, अब १९५८ में वह १.३ प्रतिशत ही रह गया है। इसलिये हमें कच्चे माल के उत्पादन पर जोर देना चाहिये।

यह मानी हुई बात है कि हमारे देश में जो चीजें उद्योगों द्वारा तैयार की जाती है उनका मूल्य अन्य देश में उत्पादित वस्तुओं की अपेक्षाकृत मंहगा होता है। अतः यह स्वाभाविक है कि यह मूल्य कम किया जाना चाहिये। अच्छा तो यह है कि प्रति व्यक्ति दिन उत्पादन का अनुमान लगाया

---

†मूल अंग्रेजी में

†*मूल तामिल में

[श्री मणियंगाडन]

जाना चाहिये। और उसके बाद उसे बढ़ाने के लिये प्रयत्न किया जाना चाहिये। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स मे उत्पादन बढ़ाने के लिये जो पद्धति अपनाई गई है उसे गैर-सरकारी क्षेत्रों में भी अपनाना चाहिये। मेरा निवेदन है कि श्रमिक नेता तथा अन्य लोग भी इसे महत्व दें।

हमारे औद्योगिक कार्यक्रमों के लिये रबड़ की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसकी खपत भी बहुत बढ़ गई है। सिनथेटिक रबड़ बनाने की भी योजना है। लेकिन मेरा निवेदन है कि इससे हमारे देश की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। छोटे-छोटे रबड़ उत्पादकों को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। लेकिन बड़े-बड़े उत्पादकों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिये। इसके लिये उन्हें ऋण देने की व्यवस्था की जानी चाहिये। केरल रबड़ उत्पादन के मामले मे सबसे अधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। नये बागान लगाने तथा पुराने बागानों को फिर से लगाने के लिये ऋण की व्यवस्था की जानी चाहिये। नये बागानों के लिये पहले सात वर्षों में ऋण देने चाहियें और आठवें वर्ष से उस ऋण को इकट्ठा करना शुरू कर देना चाहिये। बागानों को भी वही महत्व दिया जाना चाहिये जो उद्योगों को मिलता है। अतः मेरा सुझाव है कि विभिन्न बागानों को ऋण देने के लिये औद्योगिक वित्त निगम की भांति एक बागान वित्त निगम की स्थापना करनी चाहिये। काफी के बारे में भी कुछ करना चाहिये।

केरल एक पिछड़ा देश है। उद्योगों को स्थापित करने के संबंध मे इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि सभी क्षेत्रों में उद्योग खोले जायें, उद्योगों के मामले में केरल एक पिछड़ा देश है। देश के सभी भागों में कुछ न कुछ उद्योग खोले जा रहे हैं लेकिन पश्चिमी घाट की ओर कुछ नहीं हो रहा है। मेरा निवेदन है कि भारी बिजली सामान का प्रस्तावित कारखाना वहीं केरल में खोला जाना चाहिये। वहां इस प्रकार के उद्योग की बड़ी सख्त जरूरत है। जब वहां भारी उद्योग होंगे तो छोटे-छोटे उद्योग अपने आप पड़ जायेंगे। मेरा निवेदन तो यह है कि कच्चे सामान के अभाव के कारण वहां भारी उद्योग खोलने का काम रुकना नहीं चाहिये। गैर-सरकारी उपक्रमों को लाइसेंस देते समय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि सभी क्षेत्रों के लिये लाइसेंस दिये जायें। तृतीय पंचवर्षीय योजना म केरल को सरकारी क्षेत्र के लिये १०० करोड़ रुपये की व्यवस्था की जानी चाहिये।

श्री मणिबेन पटेल (आनन्द) : चेअरमैन साहब, पब्लिक सेक्टर का जो हमारा उद्योग है उस को बिजिनेस ढंग से चलाना चाहिये। प्राइवेट सैक्टर जो कुछ आज प्रचार करता है वह प्रचार उसका चलेगा नहीं अगर हमारे प्राइवेट सैक्टर का काम भी ठीक बिजिनेस के ढंग से चलेगा और वह हमेशा मुनाफा करता रहेगा।]

... छोटे मोटे उद्योग जो हमारे यहां चल सकते हैं और हमारे लोग चला सकते हैं, उनमें मेरी राय में, विदेशियों को कभी लाइसेंस नहीं मिलना चाहिये। उन को यहां चीजें बनाने की इजाजत नहीं देनी चाहिये। विदेशी कम्पनियां जो यहां उद्योग स्थापित करती हैं उनमें जो मुनाफा होता है, जो काम होता है, उसका अधिकतर पैसा बाहर ही तो जायेगा। अगर इस ख्याल से सोचा जाये तो भी उनको हमारे यहां उद्योग नहीं चलाने देना चाहिये। विदेशी कम्पनियों के बारे में आजकल सरकार की नीति क्या है, यह मेरी समझ में नहीं आता। इस नीति से विदेशियों को भी कुछ धोखा लगता है, ऐसा मुझे लगता है। पहले तो हमारी नीति यह थी कि अगर यहां विदेशी कम्पनियों के साथ कोई कोलैबोरेशन होता है तो उसमें ५१ परसेन्ट हिस्सा हमारा रहना चाहिये। आजकल इस में कुछ फर्क है ऐसा मुझे लगता है। विदेशी कम्पनियों के पास काफी रिसोर्सेज रहते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स के नाम भी काफी मशहूर हैं।

कई सालों से वे चल रही हैं। साथ ही उन के ऐडवर्टाइजमेंट में भी हमारे नये उद्योग उनके साथ कम्पिटीशन नहीं कर सकते हैं उनके पास और भी कई तरकीबें होती हैं। यहां पर विदेशी कम्पनियां हमारे रिटायर्ड आफिसर्स को रखती हैं, और उनका काम क्या रहता है? उनका डेजिग्नेशन रहता है पब्लिक रिलेशन्स आफिसर, लेकिन उनका काम क्या है? अफसरों को खिलाना, चाय पिलाना, पार्टियों में उनसे मिलना और जो उनका काम है वह एक टेबल से दूसरी टेबल पर जल्दी से चला जाय, यह देखना। साथ ही हमारी कम्पनी जो उनके सामने खड़ी है उसके कार्य को किस तरह से रोका जाय यह देखना भी उनका काम है। इसीलिये मेरा कहना यह है कि विदेशी कम्पनियों को यहां जब तक इस प्रकार की सहूलियतें मिलेंगी तब तक हमें अपने उद्योग चलाने में बहुत कठिनाई होगी। मैं कोई सुनी-सुनाई बात नहीं कहती। जिन लोगों को अनुभव हुआ है और जिन्होंने यह सब देखा है कि किस तरह से खास तौर पर रुकावटें हुआ करती हैं, सीधे उन लोगों के मुंह से ही सुना है और उनके अनुभव की बात कहती हूं। आप उनको किस तरह से रोक टोक कर सकते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। विदेशी कम्पनियां हैं वे हमारे यहां के रिटायर्ड आफिसर्स के लड़कों को, उनके रिश्तेदारों को रख लेते हैं और इस तरह से भी अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे यहां के लोग इस तरह से रिटायर्ड आफिसर्स को नहीं रख सकते हैं। छोटे उद्योग वाले तो बिल्कुल ही नहीं रख सकते। क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं। सहकारी संस्थायें तो उनको इस तरह रख ही नहीं सकतीं।

हमारे लोग जब लाइसेंस के लिये आते हैं तो आप के यहां के लोग फार्म मे गलती निकाल देते हैं जब उनसे कहते हैं कि क्या गलती है बतलाइये, तो जवाब मिलता है कि हम आपके इन्फार्मेशन आफिसर नहीं हैं। अगर वह उनके इन्फार्मेशन आफिसर नहीं हैं तो फिर फार्म सरल देना चाहिये, जिसमें किसी प्रकार की शिकायत न हो। दूसरी बात यह है कि फार्म पर जब दर्ख्वास्त दी जाती है तो उसका फैसला होने में साल साल, दो-दो साल लग जाते हैं। जिन परिस्थितियों में ऐप्लिकेशन दी जाती है वह परिस्थितियां साल या दो साल बाद बदल जाती हैं। उसके बाद उन लोगों से कहा जाता है कि ऐसे नहीं चलेगा। फिर इस में ६ या ८ महीने निकल जायेंगे। इसलिये मेरी विनती है कि आप को इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिये जिसमें लाइसेंस मिलने में इतनी देर न लगा करे। अगर कोई चिट्ठी आप की मिनिस्ट्री मे आये तो १५ दिन के अन्दर उसका जवाब चला जाना चाहिये। मात्र ऐकनालेजमेंट ही नहीं जाना चाहिये, बल्कि ठीक ढंग से जवाब दिया जाय कि ऐप्लिकेशन देने वाले को क्या करना है और क्या नहीं करना है। तभी काम हो सकता है। हमारे आदमियों को कभी-कभी आप के यहां से जवाब मिलने में और लाइसेंस मिलने में बड़ी देर लगती है और उसकी आशा में वह धीरज खो बैठते हैं और हिम्मत भी हार जाते हैं। कितने आदमी इस तरह से कितनी देर तक राह देख सकेगा और किस के पास इतने रिसोर्सेज हो सकते हैं जो कि इन्तजार करे कि आज मिलेगा, कल मिलेगा या परसों मिलेगा मैं ने बड़े बड़े आदमियों के सम्बंध में इस तरह से देखा है, जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं तो फिर मामूली आदमी के लिये क्या कहूं? जो अच्छी पोजीशन मे हैं उनको भी यही अनुभव हो रहा है, तब फिर मामूली आदमी को कितनी तकलीफ होगी? इसलिये मेरी विनती है कि इसके बारे में भी कोई रास्ता निकाला जाये।

अगर कोई आदमी आपके पास सीधे पहुंच जाता है, जान पहचान की वजह से या किसी और तरह से, तो जिनके पास लाइसेंस देने का अधिकार होता है वे आफिसर्स नाराज होते हैं और उनको और भी ज्यादा देर करते हैं। कहते हैं कि अगर तुम वहां पहुंचे तो वहीं लो जाकर, अगर ले सकते हो तो। इसलिये मैं चाहती हूं कि आप इस तरह से काम करें कि सब का काम जल्दी हो जिसमें कि उद्योग जल्दी से शुरू हो सकें और देश में उद्योगों के बढ़ने से गरीबी दूर हो और जो विकास का काम होना है वह जल्दी से हो सके। मैं आप को एक मिसाल देना चाहती हूं। हमारे यहां अमूल बटर चल रहा है। वह अमूल बटर किस तरह से चला? जब अमूल बटर

[सुश्री मणिबेन पटेल]

निकला तो आप ने विदेश से मक्खन आना बन्द कर दिया और तभी तो वह चल सका। अब सब लोग कबूल करते हैं, विदेशी भी कबूल करते हैं कि वह बटर इतना अच्छा है कि जो बटर विदेशों से आता है उससे किसी तरह से कम नहीं है। कम ही नहीं, उस से भी अधिक अच्छा होगा। अब उस का बेबी फूड निकला है। वह बेबी फूड किस तरह से चलेगा अगर आप विदेशी लोगों को बेबी फूड बनाने देंगे? और उसके बनाने में बाहर से पाउडर लगाने देंगे। अभी निकला है अखबार में कि पाउडर के बारे में कि उस का बाहर से आना काफी कम कर दिया गया है। लेकिन जो उस से बेबी फूड बनाते हैं अच्छे ढंग से उनको तो आप ने कम किया ही नहीं, यह मेरी समझ में नहीं आता। जब आप उनको बाहर से पाउडर ले कर बेबी फूड बनाने देंगे तो फिर अमूल बेबी फूड जो है वह चल नहीं सकेगा। इसलिए मेरा यह कहना है कि जो जो इंडस्ट्रीज यहां बनें उनको ठीक तरह से आपको खड़ा रखना हो, और वे चलें ऐसा चाहते हो तो दूसरी इंडस्ट्रीज़ विदेशों की हों उनके कम्पेरीजन में इन इंडस्ट्रीज़ को सहायता देनी चाहिए। आपने पाउडर का इम्पोर्ट कम कर दिया लेकिन जब तक एक्चुअल यूजर्स कोटा कम नहीं करेंगे तब तक हमारी इंडस्ट्री कैसे चल सकेगी।

हमारी तो नीति है कि सहकारी सोसाइटीज़ को प्रोत्साहन दिया जाए और सहकारी सोसाइटीज़ जितनी बढ़ सकती हैं उनको उतना बढ़ाया जाए। लेकिन जैसा आप कर रहे हो इस तरह करोगे तो सहकारी सोसाइटियां कैसे बढ़ेंगी? इसके बारे में मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहती हूं। १३ साल पहले यह सहकारी सोसाइटी शुरू हुई थी। यह पहले देहात की दो सोसाइटीज़ से शुरू हुई थी। उस जमाने में तो खाली २०० मेम्बर थे और ५०० पाउंड दूध आता था। आज २०५ देहात की सोसाइटियां इन्होंने बनायी हैं, और इसमें करीब ४५ हजार मेम्बर हैं और रोज यह ४२,००० रुपए किसानों को कैश बांटते हैं चाहे उनका दो सेर दूध आए, या पांच सेर आए या दस सेर आए। जितना उनका दूध आता है उसका उनको कैश पैसा चुकाया जाता है। और जो इसका बटर आपने चलने दिया इससे हर साल करोड़ रुपया फारिन एक्सचेंज का बच जाता है। उसका १९६०–६१ का काम आपको ख्याल दिलाऊं। ५४ लाख का वहां मक्खन बना, २१ लाख का मिल्क पाउडर बना, दस लाख का घी बना, तीन लाख का स्वीट कंडेंस्ड मिल्क बना और दो लाख की मिसलेनियस चीज़ें बनीं। और अब वह बेबी फूड बनाना चाहती हैं। यह बेबी फूड चले और वह ठीक तरह से खड़ा रहे इसको देखने के लिए आपको जितना हो सके उतना करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। विदेशी पावरफुल कम्पनियां, ग्लेक्सो आस्टर मिल्क के नाम से अलग-अलग नाम से बेबी फुड मारकेट में लाती हैं और पीछे हमारे अमुल को मारने का प्रयत्न करती हैं, पर मैं मानती हूं कि बिजनेस में ऐसा होता है। उनको यह बुरा भी लगता है कि हम वहां तक पहुंच रहे हैं। लेकिन आपकी तो नीति है अपने देश के लोगों और खास करके सहकारी सोसाइटियों को आगे बढ़ाने की। इसलिए मेरी विनती है कि इसके बारे में आप खास ध्यान दोगे और जितना एक्चुअल यूजर्स कोटा आप काट सकें उतना आपको काटना चाहिए।

सीमेंट की देहात में काफी तकलीफ रहती है। शहरों के अन्दर कम से कम बड़े लोग तो पहुंच जाते हैं, उनके पास तरकीबें रहती हैं, उनको मालूम रहता है कि किस तरह से लिया जा सकता है, वह किसी न किसी तरह से सीमेंट और लोहा जमा कर सकते हैं, परन्तु देहात में ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मेरी विनती है कि देहात के लोगों को और शहरों में भी छोटे लोगों को सीमेंट मिल जाय इसका रास्ता निकालना चाहिए। आप कहें कि हम तो स्टेटों को कोटा दे देते हैं, वितरण करना उनका काम है। यह काफी नहीं है ऐसा मुझे लगता है। आखिर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट

कोई अलग-अलग चीज तो नहीं है। यह तो हमने अपने सुभीते के लिए अलग अलग व्यवस्था कर रखा है। यह ठीक है। परन्तु देहातों में और शहरों में छोटे आदमियों को भी सीमेंट और लोहा मिले यह देखना चाहिए।

इसी तरह से खाद के बारे में भी शिकायत आती है। सिन्दरी का जो खाद है वह किसानों को मौसम आने पर नहीं पहुंचता और बीच में बड़े-बड़े काम वाले ले जाते हैं। उसका पता नहीं लगता। इसलिए मेरी विनती है कि इसके बारे में भी आप सोचो और जितनी जल्दी ज्यादा खाद की फैक्टरियां बन सकें उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए।

इसी तरह से शुगर के बारे में सोचने की जरूरत है। काफी हमारे यहां शुगर बन रही है और बनेगी और वह अगर बिकेगी नहीं तो अगले साल हमारे चीनी के कारखाने बन्द हो जायेंगे ऐसा मुझे लगता है। जो मैंने सुना है कि सारे हिन्दुस्तान में दो फैक्टरियां हैं जिनको अधिक दाम दिया जाता है। उनकी प्राइस सब से अधिक नक्की की है। इसका क्या कारण है यह जरूर देखना चाहिए। अगर यह आपका काम न हो और फुड मिनिस्ट्री का हो तो उनसे मिल कर आप दोनों को सोचना चाहिए कि इसका क्या कारण है। सबको समान न्याय मिलना चाहिए।

मुझे जो मौका दिया गया उसके लिए धन्यवाद।

†**श्री बाला साहेब पाटिल** (मिराज) : कपड़ा वस्त्र द्योग के लिये एक अध्ययन दल की नियुक्ति की गई यह सुझाव दिया गया है कि इस द्योग को निगम से १०० करोड़ रुपये दिलाने की व्यवस्था की जाये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

पिछले कुछ वर्षों में कपड़ा वस्त्र उद्योग ने काफी रुपया कमाया है। मेरा विचार था कि यह दल व्यापारियों की आय एवं उनके द्वारा आपका सम्बन्धी हिसाब किताब की जांच भी करेगा। यह वस्त्र उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसने गत वर्ष में कोई प्रगति का रुख नहीं दिखाया है। चूंकि यह उद्योग बहुत अधिक लाभ कमाता रहा है अतः इसमें पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीन लगाने आदि के लिये १०० करोड़ रुपये का ऋण नहीं दिया जाना चाहिये जैसा कि अध्ययन दल ने सुझाव दिया है। बल्कि सरकार को स्पष्ट रूप से यह कहना चाहिये कि व्यापारियों को अपने पैसे से इन मशीनों का नवीनीकरण करना चाहिये। और इस नवीनीकरण से कर्मचारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये। और न इससे मूल्य ही बढ़ने चाहिये। हमारा निर्यात भी कम हो रहा है। पिछले कई वर्षों से स्थिति ऐसी क्यों हैं इसके कारणों की जांच की जानी चाहिये।

प्रायः ऐसा देखा गया है कि जब विदेशों को माल भेजने की बात उठती है तो उत्पादक सरकार से उन वस्तुओं के मूल्य बढ़ाने की बात उठाते हैं। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि उद्योगों द्वारा मूल्य बढ़ाने की जो प्रवृत्ति है उस पर रोक लगाई जाये। साथ ही सीमेंट तथा उर्वरक सी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जानी चाहिये। सिन्दरी कारखाने की स्थिति बहुत ही खराब है, उसमें सुधार किया जाना चाहिये। सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को प्रभावी ढंग से चलाया जाना चाहिये। शीरा से काफी विदेशी विनिमय मिल सकता है लेकिन सम्बन्धित मन्त्रालयों ने उसका निर्यात करना बन्द कर दिया है। आजकल वह पानी में गिरा दिया जाता है इससे पानी की दशा भी खराब हो गई है। पता चला है कि शीरा से स्प्रिट बनाने के लिये महाराष्ट्र में एक कारखाना डाला जा रहा है। यह एक अच्छी बात है। छोटे पैमाने के उद्योगों को समुचित ढंग से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।; इनका विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिये और इन्हें गांवों के निकट स्थापित किया

[श्री बाला साहेब पाटिल]

जाना चाहिये। छोटे पैमाने के उद्योगों के बारे में सरकार को परामर्श देने के लिये इतनी परिषदें नहीं होनी चाहिये। स्वावलम्बन की योजना त्रुटिपूर्ण है और इसे समाप्त किया जाना चाहिये। छूट प्रणाली का पुनरीक्षण किया जाना चाहिये। तथा स्वावलम्बन जैसी सभी योजनाओं को सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लेना चाहिये।

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : मुझे इस बात की खुशी है कि सभी सदस्यों ने इस मन्त्रालय ने गत वर्ष जो काम किया है उसकी बड़ी तारीफ की है। गत वर्षों की प्रगति को देखते हुए इस बात का आभास आसानी से हो जायेगा कि हम प्रतिवर्ष उन्नति कर रहे हैं। देश में उद्योगों का विकास बड़ी तीव्रगति से हो रहा है। उद्योगों का विकास प्रायः ज्यामितिक गति से हो रहा है। और हम आशा कर सकते हैं कि हम इस गति को बनाये रखेंगे। जहां तक कि बड़े पैमाने के उद्योगों की बात है सन् सन् १९५६ में ४७७ औद्योगिक लाइसेंसो दिये गये। और इनकी संख्या बढ़ कर १९६० में १९१२ तक पहुंच गई। आशा है कि उद्योगों की संख्या १९६० में बढ़ कर २००० तक पहुंच जायेगी। बहुत से नई औद्योगिक इकाइयों को लाइसेंस दिये गये हैं। जो नई नई चीजें तैयार करेंगे। औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। यदि हम अपने देश की औद्योगिक प्रगति की तुलना अफ्रीका तथा अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों से करें तो हम देखेंगे कि हमारा रिकार्ड बहुत अच्छा है। प्रधान मन्त्री ने कहा था कि प्रगति उल्लेखनीय ही नहीं है बल्कि बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। जो लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं उनके प्रति मेरी श्रद्धा है और उनके प्रति मेरे हृदय में सम्मान है। हमारे बने हुए माल की गुणिता भी अच्छी है। गत वर्ष में जो औद्योगिक मशीनरी तथा बिजली का सामान तैयार हुआ उसका मूल्य १६० करोड़ रुपये से अधिक रहा है। तीसरी योजना में अधिकाधिक बुनियादी सामान का उत्पादन करने का विचार है हमारे देश के उद्योगों में जो सामान तैयार हुआ है, वह किस्म की दृष्टि से बहुत अच्छा रहा है। दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष में जो उत्पादन हुआ है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी योजना के अन्त तक ५०० करोड़ की मशीनें तथा बिजली का सामान तैयार करने लगेंगे।

कुछ सदस्यों ने कच्चे सामान तथा रासायनिक तत्वों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। किसी भी देश में औद्योगीकरण उस समय तक सफल नहीं होता जब तक कि वह देश इन चीजों के लिये दूसरे देशों पर निर्भर करता है। अतः हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि हम इस्पात, अलौह धातुएं, अधिक उर्वरक तथा अन्य मूल वस्तुओं का उत्पादन करें।

औद्योगिक लाइसेंसों के बारे में यह धारणा कि लाइसेंस देने में बड़ा विलम्ब होता है गलत है। १९६० में औद्योगिक लाइसेंस के लिये हमारे पास २३,०० प्रार्थनापत्र आये जिनमें १९१२ लाइसेंस दिये गये। यह बात दूसरी है कि इनकी पूछताछ की जाती है तथा अच्छी तरह छानबीन की जाती है और उसमें कुछ समय लग जाता है। अगर कोई सदस्य ऐसा उदाहरण दे कि किसी के साथ लाइसेंस देने में पक्षपात किया गया है तो वह मुझे बतायें उसकी पूरी छानबीन की जायेगी। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन स्थापित की गई कुंजरू समिति के सामने अपील करने की व्यवस्था है। यदि किसी को लाइसेंस नहीं मिलता तो वह अपील कर सकता है। इस समिति में उद्योगपतियों के प्रतिनिधि भी थे।

अब विभिन्न उद्योगों ने कितना-कितना काम किया है यह प्रश्न आता है? माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया है कि सरकारी क्षेत्र की व्याप्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इस समय इस क्षेत्र में कुल ४७ समवाय व निगम हैं। कुल मिला कर सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों का

---

†मूल अंग्रेजी में

काम बड़ा श्रेयस्कर रहा है। किसी चालू उद्योग में घाटा नहीं रहा है। यहां तक कि नेपा ने भी ८७ लाख रुपये का लाभ कमाया है। वहां का भविष्य आगामी कार्यों में भी बड़ा उज्ज्वल है। इसमें वहां के अधिकारियों की कुशलता ही नहीं है बल्कि संसद् के माननीय सदस्यों की इसके प्रति रुचि एवं समय समय पर दिखाये गये भावों का ही परिणाम है कि सरकारी क्षेत्र इतनी तेजी और सफलता के साथ उन्नति कर रहा है।

मैं हिन्दुस्तान मशीन टूल का उदाहरण देता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि इस संस्था ने पहले से काफी प्रगति की है अर्थात् सभा ने मूलतः जितने उत्पादन का अनुमान लगाया था, इस कारखाने में उसका पांच गुना उत्पादन हो गया है। प्रतिवर्ष ४०० मशीनें बनाने का लक्ष्य था जो १९६० में १००० मशीन हो गया। अब हिन्दुस्तान मशीन टूल के द्वारा बनाये गये रिजर्व धन से दूसरी यूनिट को धन देने का विचार है। मैं पंजाब में एक दूसरा कारखाना बनाने के बारे में सभा को पहले ही जानकारी दे चुका हूं। इस कारखाने के लिये भी धन हिन्दुस्तान मशीन टूल के रिजर्व धन से तथा अवक्षयण धन से एकत्रित किया जायेगा। मुझे बताया गया है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल तीसरी योजनावधि में एक तीसरा कारखाना बनाने के बारे में विचार कर रहा है। परन्तु इसके लिये पूरा धन यह कारखाना नहीं देगा क्योंकि यह पहले ही दो कारखानों के लिये धन दे रहा है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

हिन्दुस्तान एण्टी बायोटिक्स ने हमारी स्ट्रैप्टोमाइसीन परियोजना के लिये धन दिया है। हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स ने २$^1/_2$ करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया है और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि जीवन बचाने वाली सभी औषधियां पिम्परी तथा अन्य सहायक समवायों में बनाई जायें। पिम्परी कारखाने में धन हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स द्वारा लगाया गया है।

इसके बाद हिन्दुस्तान केबलस का नम्बर आता है। सभा को याद होगा कि चार अथवा पांच वर्ष पहले हिन्दुस्तान केबलस का उत्पादन बढ़ाना कठिन था। परन्तु पिछले चार अथवा पांच वर्षों में सरकारी क्षेत्र ने जो प्रगति की है उसके अनुसार अब हिन्दुस्तान केबलस का दूसरा कारखाना स्थापित किया जा सकता है। मेरे विचार से इस दूसरे कारखाने को धन सरकारी क्षेत्र से दिया जायेगा।

इस प्रकार ४४० करोड़ रुपया उपलब्ध किया गया है। अवक्षयण, रिजर्व, सूद जो भी सरकारी क्षेत्र के द्वारा उपलब्ध हो सकेगा उससे यह धन इकट्ठा किया जायेगा। ४४० करोड़ रुपये का जो प्राक्कलन बनाया गया है वह अधिक नहीं है। लोहा तथा इस्पात मंत्रालय ने भी यही आंकड़े बताये हैं। मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा नियुक्त दाजी समिति ने भी यही बताया है कि इस प्रकार हमें ४४० करोड़ रुपया मिल जायगा और यदि सरकारी क्षेत्र का कार्य ठीक प्रकार से चलाया जाये तो तीसरी योजना में इसके अतिरिक्त और ५० करोड़ से ६० करोड़ रुपया मिल सकेगा। इस प्रकार पता लगता है कि तीसरी योजना में लगभग ५०० करोड़ रुपया हमें सरकारी क्षेत्र से मिल जायेगा।

मैं चाहता हूं कि जो धन हम कमा रहे हैं उसका विश्लेषण उचित प्रकार से होना चाहिए। कुल विनियोजन का ध्यान रख कर आय पूछना ठीक नहीं है। आप सरकारी क्षेत्र के अंशधारी हैं और मैं आशा करता हूं कि हम सभी यह जानना चाहते हैं कि हमारी क्या स्थिति है।

†**श्री बिमल घोष** (बरकपुर) : औसत आय क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : श्रीमान्, इस समय औसत आय बताना बड़ा कठिन है। हमें शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। जब आय कारखाने में लगाई जाती है तो औसत आय अवक्षयण निधि, रिजर्व निधि, तथा लाभांशों में दी जाती है। सभी कारखानों में ऐसा होता है। पिछली बार श्री माथर ने बताया था कि जो कारखाने दो अथवा तीन वर्षों से चल रहे हों और जिन में अच्छी आय हो रही हो उनसे हम धन ले सकते हैं। कृपा करके आप श्री सोमानी से गैर सरकारी क्षेत्र की स्थिति समझें। गैर सरकारी क्षेत्र में भी जो उद्योग तीन अथवा चार वर्ष पहले चालू हुए थे उनको विकास छूट दी जाती है और अवक्षयण छूट दी जाती है जिसको या तो कारखाने में पुनः लगा दिया जाता है अथवा हानि के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। चार अथवा पांच वर्ष बाद कुल आय बताई जाती है। इससे मेरा यह कहना नहीं है कि आप हमारी आलोचना करें परन्तु कम से कम इसी प्रकार के गैर सरकारी उद्योगों से तो हमारे काम की तुलना करें।

†**श्री बिमल घोष** : माननीय वित्त मंत्री ने कुछ आंकड़े बताये हैं जो सरकारी क्षेत्र के कारखानों के हित में नहीं हैं।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं बताना चाहता हूं कि यह आंकड़े तो हमने इसलिए बताये हैं जिससे श्री बिमल घोष यह बता सकें कि हिन्दुस्तान मशीन टूल, नहान कारखाना अथवा हिन्दुस्तान एन्टी-बायोटिक्स में क्या काम हो रहा है। मैं अपने बन्धु को बताना चाहता हूं कि हम यह आंकड़े इसलिए बताते हैं जिससे जनता को सही आंकड़े मालूम हो जायें।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने यह कहा है कि माननीय मंत्रियों द्वारा बताये गये आंकड़ों में अन्तर क्यों है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : दोनों मंत्रियों द्वारा बताये गये आंकड़ों में कोई अन्तर नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि वित्त मंत्री सरकारी क्षेत्र में लग हुए कुल विनियोजनों को बता सकते हैं तथा अवक्षयण, लाभांश तथा रिजर्व आदि के द्वारा हुई कुल आय बता सकते हैं। परन्तु इन लाभांशों, अवक्षयणों, रिजर्वों का विश्लेषण भी दिया जाना चाहिए।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : वित्त मंत्री के आंकड़ों में अवक्षयण के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। उन्होंने केवल लाभों के बारे में बताया है।

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसा कि मैंने अभी बताया, हम ने यह बात स्वीकार की थी कि तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र से ४४० करोड़ रुपया मिलेगा। मैंने अभी यह भी बताया था कि हमारा यह भी विचार है कि संभवतया तीसरी योजना में हमें ५० करोड़ रुपया और मिल जाय। इस प्रकार हमें आशा है कि सरकारी क्षेत्र से ५०० करोड़ रुपया मिल जायेगा। हमारे इन आंकड़ों की जांच प्रत्येक परियोजना का अलग अलग विश्लेषण करके की जा सकती है और यदि इन आंकड़ों का औसत निकाला जाये तो आपको मालूम होगा कि वित्त, इस्पात अथवा मेरे मंत्रालय के आंकड़े एक समान ही हैं

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या गैर सरकारी क्षेत्र में कोई ऐसा उद्योग है जिसमें लाभांश घोषित नहीं किये जाते हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : आप जानते हैं कि हमारी राजकोषीय नीति के कारण ५ अथवा १० वर्षों में बहुत से सरकारी क्षेत्र के कारखानों ने लाभांश घोषित कर दिये हैं। हम नहीं चाहते कि

†मूल अंग्रेजी में

सभा को ५ प्रतिशत अथवा १० प्रतिशत लाभांश दिखायें। हमारा तो यह उद्देश्य है कि उद्योगों का विकास किया जाये। रिजर्वों की व्यवस्था की जाये। ऋणों का भुगतान करने की व्यवस्था की जाये। निक्षेप निधि तथा मोचन निधि के सूद की व्यवस्था की जाये। जिन परियोजनाओं की स्थिति ठीक हो गई है उन्होंने लाभांशों की घोषणा आरम्भ कर दी है। इसके बाद मैं बता रहा था कि १९६० में सरकारी क्षेत्र के कारखानों ने बड़ी प्रगति की है।

दस वर्ष में हमने विशाल औषधि परियोजना पूरी कर ली है जिसकी चार यूनिटें शीघ्र ही काम आरम्भ कर देंगी। १९६३ में जब इन चारों परियोजनाओं में पूरा उत्पादन होने लगेगा उस समय ३० करोड़ रुपये की जीवन बचाने वाली औषधियों का निर्माण होने लगेगा। एक हरिद्वार के निकट ऋषिकेश में यह कारखाना बनेगा जो एन्टीबायोटिक्स का होगा। इसमें १४०० लाख मैगा यूनिट पेनीसलीन तथा ६० टन स्ट्रैप्टोमाइसीन बनाई जायेगी। दूसरा शांतानगर में बनाया जायेगा जो समस्त एशिया का सब से बड़ा कारखाना होगा। इस कारखाने में १२ करोड़ रुपये से १५ करोड़ रुपये की संश्लिष्ट औषधियां बनेंगी। शांतानगर हैदराबाद का एक उपनगर है। तीसरा कारखाना मद्रास में शल्य चिकित्सा के यंत्रों का बनाया जायेगा। चौथा केरल में बनाया जायेगा। श्री नायर जब भी केरल का प्रश्न सामने लाते हैं भूल जाते हैं कि हमने वहां पर यह परियोजनाएं आरम्भ कर दी हैं। मन्नार जिले के नरयमंगलम में हम अलकालायड बनाने के लिए फामटो कैमिकल परियोजना आरम्भ कर रहे हैं। मैंने यह बातें इसलिए बताई हैं क्योंकि सभा औषधि परियोजनाओं के विकास के लिए बहुत चिंतित है।

हम ने तीसरी योजना की परियोजनाओं की प्रारम्भिक जांच १९६०–६१ में पूरी कर ली है। सभा को रांची के भारी मशीन बनाने के कारखाने तथा दुर्गापुर के कोयले के कारखाने के बारे में मालूम है। हमने भारी मशीन बनाने के कारखाने का इतना विस्तार करने का निर्णय कर लिया है जिससे यह हमारे इस्पात संयंत्रों की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। दुर्गापुर के कोयला खान कारखाने को भी हमारा विचार ३०,००० टन से ४५,००० टन कर देने का है। इस कोयला खान कारखाने में कोयले से सम्बन्धित मशीनें ही नहीं बनाई जायेंगी अपितु खान तथा तेल खानों के काम में आने वाली मशीनें भी बनाई जायेंगी। हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के अधीन हैवी इंजीनियरिंग टूल्स परियोजना भी स्थापित की जा रही है।

कितने ही राज्य यह शिकायत कर रहे हैं कि उनके राज्यों में कारखाने नहीं बनाये जा रहे हैं। यदि सभा इन परियोजनाओं को देखेगी तो उसे पता लग जायेगा कि परिवहन अथवा कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर उद्योगों का राज्यों में वितरण उचित ही किया गया है। हमारी यही नीति है कि सरकारी क्षेत्र के उद्योग सभी राज्यों में समान रूप से स्थापित किय जायें। इसीलिए पंजाब में मशीन टूल्स परियोजना बनाई है। हैवी इलैक्ट्रिकल्स देश के दूसरे भाग में बनाई जा रही है। दो औजार परियोजनाओं में से एक की स्थापना के लिए तो अन्तिम निर्णय कर लिया गया है तथा दूसरी के बारे में बातचीत हो रही है। परन्तु यह निश्चित है कि एक कारखाना देश के एक भाग में स्थापित किया जायेगा तथा दूसरा देश के दूसरे भाग में।

मैं तथा मेरे साथी देश में सर्वदा आश्वासन देते रहे हैं कि तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र का एक एक कारखाना प्रत्येक राज्य में स्थापित कर दिया जायेगा। इसलिए मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि कृपा करके सभा में ऐसा वातावरण पैदा न करें जिससे प्रत्येक सदस्य अपने राज्य में कारखाना स्थापित करने की पैरवी न करे अपितु सरकारी क्षेत्र के बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, मद्रास अथवा आन्ध्र के सभी कारखानों को बढ़ावा दें। यह राष्ट्रीय परि-

[श्री मनुभाई शाह]

योजनायें हैं और इन के बारे में अटकलें नहीं लगाई जानी चाहिएं क्योंकि इससे अहित होने की आशंकायें अधिक हैं ।

हमें सरकारी क्षेत्रों के कारखानों को स्थापित करने में सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि राष्ट्र निर्माण करना है । राज्य तो राष्ट्र का एक अंग मात्र है । इसलिए मेरा अनुरोध है कि सभा कृपा करके देश में सरकारी कारखानों की स्थापना के बारे में तनाव उत्पन्न न करें ।

अब मैं देश की औद्योगिक नीति के बारे में कुछ कहूंगा । मैंने विभिन्न उद्योगों में विनियोजन के बारे में तो बता दिया है और अब सभा को उन विनियोजनों को बताऊंगा जो औद्योगिक क्षेत्र में हमारे द्वारा किये जा रहे हैं । पहली योजना में सरकारी क्षेत्र में ६० करोड़ रुपये का विनियोजन किया गया था जबकि गैर सरकारी क्षेत्र में ३३० करोड़ रुपये का विनियोजन हुआ था । दूसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में ७२० करोड़ रुपये का वितियोजन हुआ था और गैर सरकारी क्षेत्र में ८५० करोड़ रुपये का विनियोजन हुआ था । हमारा विचार तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में १,५५० करोड़ रुपये का विनियोजन करने का है जबकि गैर सरकारी क्षेत्र में १३०० करोड़ रुपय का विनियोजन होने की आशा है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकारी क्षेत्र पर गैर सरकारी क्षेत्र छाता जा रहा है । हमें इसकी प्रसन्नता है और मैं बताना चाहता हूं कि हम जानबूझ कर एसे कदम उठा रहे हैं जिससे अधि कारों, सम्पत्तियों का एकत्रीकरण न होने पाये ।

मने जो यह आंकड़े बताये हैं वह बिजली के व्यय से अलग हैं क्योंकि पहले यह प्रथा थी कि गैर सरकारी उद्योगपति अपने उद्योगों के लिए बिजली स्वयं जुटाते थे । इसीलिए हम ने इन आंकड़ों में बिजली का व्यय शामिल नहीं किया है । सरकारी क्षेत्र की बिजली में विनियोजन पहली योजना में २६० करोड़ रुपये, दूसरी योजना में ४६० करोड़ रुपये था जबकि गैर सरकारी विनियोजन ४२ करोड़ रुपये तथा ६५ करोड़ रुपये था । तीसरी योजना में बिजली में १०४० करोड़ रुपये का विनियोजन करने का हमारा विचार है जबकि गैर सरकारी क्षेत्र में केवल ५० करोड़ रुपय का विनियोजन होने की आशा है । इन आंकड़ों को मैंने इसलिए बताया हैं जिससे सभा को पता लगे कि हम १९४८ के औद्योगिक संकल्प के समान ही काम कर रहे हैं और सरकारी क्षेत्र का देश में विकास होता जा रहा है ।

मेरे विरोधी पक्ष के माननीय मित्र ने 'एकाधिपत्य' के बारे में बहुत कुछ कहा है। 'एकाधिपत्य' का मतलब यह है कि उद्योगपतियों के एक दल द्वारा किसी उद्योग पर एकाधिकार कर लेना/इंग्लैंड में तथा अमरीका में इसी एकाधिकार को रोकने के लिए एन्टी-शेरमान अधिनियम बनाया गया था । इन दोनों देशों का आर्थिक विकास हो जाने के बाद सामाजिक तथा राजनैतिक जागरण हुआ था जब कि हमारा यह जागरण हो जाने के बाद आर्थिक विकास हो रहा है और इसीलिए मुझे प्रसन्नता है कि सभा इतनी सजग है और उसने यह प्रश्न अभी उठा लिया है । मैं बता देना चाहता हूं कि हमारा यही प्रयत्न है कि 'एकाधिपत्प' न होने दें । कपड़ा, कागज़, चीनी, रसायन, किसी भी उद्योग को ले लीजिए आपको मालूम होगा कि एक वर्ग को ३ से ४ प्रतिशत से अधिक राष्ट्रीय उत्पादन का अधिकार नहीं दिया गया ह । केवल इसके कुछ अपवाद हैं । पहले आप टीन के डिब्बों को लीजिए । मैं सभा को बताना चाहता हूं कि हमने अब टीन के डिब्बे बनाने वाले कारखाने का उत्पादन २० प्रतिशत कर दिया है और ८० प्रतिशत उत्पादन अन्य कारखानों के लिए निर्धारित कर दिया है ।

अब सीमेंट को लीजिए। १९५१ में ए० सी० सी० राष्ट्रीय उत्पादन का ६४ प्रतिशत पूरा करता था। हमने जानबूझ कर इसको लगभग ३९ प्रतिशत कर दिया है जिससे अन्य कारखानों को प्रोत्साहन मिल सके। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि तीसरी योजना में यह २५ प्रतिशत कर दिया जायेगा।

तीसरा उद्योग दियासलाई का है। पहल समस्त देश में विम्को ही दियासलाइयां बनाता था। परन्तु अब हमने कई कारखानों को प्रोत्साहन दिया है जिसके परिणामस्वरूप पिछले पांच वर्षों में विम्को के २२० लाख उत्पादन में से १६५ लाख दियासलाइयों का उत्पादन विम्को के अलावा दियासलाई बनाने वाले कारखानों के पास चला गया है। इस प्रकार इसका उत्पादन शत प्रतिशत से ६० प्रतिशत हो गया है।

केवल औद्योगिक गैसों का उद्योग रह जाता है। श्री वें प० नायर इसके बारे में कई बार कह चुके हैं। मैं बताना चाहता हूं कि अगले दो वर्षों में चौदह नये कारखानों को लाइसेंस दिए हैं। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि इस मामले में भी हम आगे बढ़ रहे हैं और प्रयत्न कर रहे हैं कि औद्योगिक गैस बनाने वाले और नये कारखाने बनें।

यह बात तो मैंने काफी स्पष्ट कर दी है कि हमारी औद्योगिक नीति यह है कि आर्थिक शक्ति कुछ हाथों में केन्द्रित न हो। इस लक्ष्य को समक्ष रख कर ही सरकारी क्षेत्र का विस्तार किया जाना है। सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील और सचेत है कि सरकारी क्षत्र का कार्य प्रधान हो। इस बात को गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्र में लगाई गयी पूंजी के आंकड़े भली प्रकार सिद्ध करते हैं। सरकार इस बात का पूरा प्रयत्न कर रही है कि देशमें एकाधिकार की प्रवृत्तियां उत्पन्न न हों। सरकार किसी भी कीमत पर एकाधिकार की प्रवृत्तियों को सहन नहीं करेगी।

उद्योगों को लाइसेन्स देना, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले कामों में से केवल एक काम है। इसके पीछे एक विचार काम करता है और वह है मूल्यों का नियन्त्रण, वितरण के लिए व्यवस्था और विभिन्न प्रदेशों के बीच सन्तुलन। सरकार ने इस बात की कोशिश की है कि जिन लोगों की सुविकसित उद्योगों में खासी पूंजी लगी है, उन्हें और लाइसेंस न दिय जायें। दूसरी बात यह है कि सरकार नये उपक्रमियों को प्रोत्साहन देती है। सरकार ने बहुत बड़ी व्यापार संस्थाओं को और बढ़ने नहीं दिया है। मध्यम और लघु उद्योगों का गहन और व्यापक विस्तार भी किया जा रहा है। अत्यधिक दक्ष लोगों को उत्पादन के अधिक कठिन कामों में अर्थात् पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में लगाया जा रहा है। अभी हाल में मशीन बनाने के उद्योग के लिए एक परिषद् नियुक्त कर दी गयी है ताकि तीसरी योजना में पूंजीगत वस्तुओं, मशीनों और अन्य उपकरणों का अधिकतम उत्पादन हो सके।

साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जिन कारखानों की आर्थिक क्षमता पर्याप्त नहीं है उन्हें राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम आधुनिकरण के लिए ऋण देता है। निगम का स्पष्ट उद्देश्य यह है कि कपड़ा मिलों तथा जूट मिलों का आधुनिकरण करना है। इस सम्बन्ध में मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि लगभग ६५ प्रतिशत जूट मिलों का आधुनिकरण किया जा चुका है। और यह भी पूर्ण आशा है कि दो वर्षों में शेष मिलों का भी आधुनिकरण हो जायेगा। वस्त्र उद्योग संघ को देश की कपड़ा मिलों के आधुनिकरण के लिए अपना पूर्ण सहयोग देना चाहिए। क्योंकि कपड़ा उद्योग के आधुनिकरण में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ताहै। १९ मिलों को हमने अपने हाथ में ले लिया है और बाकी को भी शीघ्र ही अपने नियन्त्रण में ले लेंगे। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि जिन मिलों को भी हमने अपने हाथ में लिया है उन्होंने काफी मुनाफा कमया है। हम अब इस दिशा में जो भी सम्भव है वह करेंगे और उसके लिए संसद् से अधिकार प्राप्त करने का निवेदन करेंगे। भूलें भी हो सकती है परन्तु जो कुछ किया गया है वह भी

[श्री मनुभाई शाह]

आशातीत है। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास परिषद् का नवीनतम प्रतिवेदन कल सदन में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

†श्री बासप्पा (तिपतुर) : क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के सभापति होंगे ?

†श्री मनुभाई शाह : इस बात की हमें विशेष चिन्ता नहीं, न मझे इस पदका कोई लालच है। इस बारे में शीघ्र ही मंत्रिमंडल में निर्णय किया जायेगा। हो सकता है कि मुझे छुट्टी मिल जाये और यह उत्तरदायित्व मेरे वरिष्ठ सहयोगी अपने कन्धों पर ले लें। पहले पहले यह ठीक समझा गया था कि मंत्री स्वयं ही निगम के सभापति हो। कल सदन में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास परिषद् का प्रतिवेदन प्रस्तुत होगा तो आप देखेंगे कि गत चार पांच वर्षों में बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। इस काल में निगम ने जो १९ परियोजनायें अपने हाथ में ली थीं उनमें से १४ परियोजनाओं को अन्तिम रूप दिया जाने वाला है और उन सब के लिए निगम स्थापित कर दिये गये हैं। कुछ एक दो को छोड़ बाकी सब को भी शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

†श्री बासप्पा : निदेशकों ने काफी बड़ी बड़ी राशि ली है।

†श्री मनुभाई शाह : संसार में ऐसा कोई निगम नहीं जहां यदि किसी को निदेशक बनाया जाय तो उसे फीस न दी जाय। इस सम्बन्ध में समवाय अधिनियम की धारा २९३ क अन्तर्गत काफी स्पष्टीकरण कर दिया गया है, यदि प्राक्कलन समिति के समक्ष और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी तो उसके लिए हम तैयार हैं। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि शीघ्र ही हम ३०० उद्योग गृहों का आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं।

अब मैं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की ओर आता हूं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को और ५० लाख रुपया दिया गया है। इस मास के अन्त तक उसे विकास ऋण निधि द्वारा ५ करोड़ रुपया और उपलब्ध कर दिया जायेगा। निगम ने लघु उद्योगों के लिए अच्छा काम किया है। पहले उन्हें ९९ लाख दिये गये थे अब ५० लाख और दिये जा रहे हैं। अब मैं निगम के काम के बारे में कुछ बताऊंगा। इस निगम ने ४००० छोटे पैमाने के उपक्रमियों के लिये १०००० मशीनें खरीदी हैं। मैं आशा करता हूं कि सभा इस नये स्थापित हुए निगम के इस कार्य की प्रशंसा करेगी कि उसने फर्मों से नमूना मंगा कर विदेशों को आर्डर भेजे हैं और तब देश के उपक्रमियों को मशीनें संभारित की हैं। निसन्देह जिन उपक्रमियों को इस निगम से लाभ हुआ है उनकी संख्या बहुत अधिक है तथापि कुछ शिकायतें भी आई हैं हम उन्हें दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

जहां तक इसके लिये अच्छी इमारत का सम्बन्ध है वित्त मंत्रालय से इस आशय का एक परिपत्र आया है कि निर्माण कार्य में अधिक धन व्यय न किया जाय अतः हम पुरानी इमारत में ही हैं।

राष्ट्रीय छोटे पैमाने के निगम के सम्बन्ध में मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह निगम छोटे पैमाने के क्षेत्र में २ प्रतिशत से अधिक उद्योग प्रोत्साहित नहीं कर सका है। इसके लिये हमने औद्योगिक बस्तियां खोली हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि ये बस्तियां गांवों में खोली जायं। इसके लिय माननीय सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है। श्री माथुर ने अपने सहयोग से पाली, रानी, सुमेरपुर फलना में चार औद्योगिक बस्तियां प्रारम्भ की हैं। अन्य माननीय सदस्यों से भी मैं यही कहता रहा हूं। गांवों में अच्छे उपक्रमियों को आकर्षित करना बहुत कठिन होता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो १२० औद्योगिक बस्तियों में से २० बस्तियां गांव में खोली गयीं उनके सम्बन्ध में हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यदि सभा का प्रत्येक सदस्य इस दिशा में दिलचस्पी ले तो हम १०० से २०० तक औद्योगिक बस्तियां आरम्भ कर सकते हैं। हम यह चाहते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान गांवों में लगभग १००० कार्य शालायें स्थापित हो सकें।

†मूल अंग्रेजी में

गांवों में औद्योगिक बस्तियां खोलना बहुत कठिन होता है क्योंकि अच्छे उपक्रमी गांवों में उद्योगों की स्थापना के लिये राजी नहीं होते हैं। मैं, श्री शास्त्री जी तथा श्री रेड्डी सभी यह चाहते थे कि ग्रामीण उद्योग तथा ग्रामीण औद्योगीकरण तीसरी तथा आनुषंगिक योजनाओं का आधार बने। क्योंकि जब तक आप औद्योगिक तथा आर्थिक कार्यकलापों का गांवों में विस्तार नहीं करेंगे तब तक गांवों का अंधकार दूर नहीं हो सकता है।

जहां तक खादी बोर्ड का प्रश्न है, खादी बोर्ड ने अपने आरम्भ से, पिछले दस वर्षों में, अपना उत्पादन ग्यारह गुना बढ़ा दिया है। श्री बैकुंठ लाल मेहता ने यह कहा था कि इसमें १५ लाख व्यक्ति आंशिक रूप से और १ लाख व्यक्ति पूरे समय काम कर रहे हैं। यद्यपि श्री पाटिल ने ९८ करोड़ रुपये व्यय करने पर आपत्ति की है हमने इसे मानवीय कल्याण की दृष्टि से देखना है क्योंकि इससे ऐसे लोगों को रोजगार मिल रहा है जो कि आर्थिक दृष्टि से दुर्बल हैं।

देश के करोड़ों व्यक्तियों को केवल ग्रामीण उद्योगों तथा गृह उद्योगों से ही जीविका मिल सकती है। अतः मेरा अनुरोध है कि इन छहों बोर्डों को और अधिक धनराशि और सहायता प्रदान की जाये।

हथकरघा क्षेत्र में लगभग १० लाख व्यक्तियों को काम मिल रहा है। सहकारी क्षेत्र में बारह लाख करघे हैं और इतने ही करघे गैर-सरकारी क्षेत्र में भी हैं। दस्तकारी से लगभग ६ लाख व्यक्तियों को आजीविका मिल रही है। नारियल की जटा उद्योग से केरल के ८ लाख व्यक्तियों को आजीविका प्राप्त होती है। ऐसी पृष्ठभूमि का विचार करते हुए जो छूट दी जा रही है वह अधिक नहीं है।

वस्तुतः सरकार स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व और आज भी बड़े पैमाने के उद्योगों को जो संरक्षण और छूट देती रही है उसे देखते हुए ग्रामोद्योगों को जो आर्थिक छूट दी जाती है वह बहुत कम है। यदि कहीं अपव्यय होता है तो हम निस्सन्देह इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे।

जहां तक कच्चे फिल्म उद्योगों का सम्बन्ध है, एक फोटो फिल्म कम्पनी की प्रस्थापना की जाने वाली है जिसका मुख्य कार्यालय मद्रास में होगा १९६२ तक इस कम्पनी के द्वारा बनाये हुए फिल्म रोल बाजार में आ जायेंगे। आशा है कि दो या तीन वर्ष के भीतर यह कम्पनी देश की आवश्यकता के अनुकूल ४ से ५ करोड़ की फोटोग्राफिक एक्स-रे, सिनेमा फिल्मों का उत्पादन कर सकेगी। यह उपक्रम बहुत बड़ा होगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस बात से सन्तुष्ट होंगे कि सरकारी क्षेत्र के मामले में उनके राज्य की उपेक्षा नहीं की गयी है।

पिछले वर्षों में हमने औद्योगिक सहकारिताओं के मामले में भी काफी उन्नति की है। हमारे चालू रजिस्टर के अनुसार हमारे देश में छोटे पैमाने के क्षेत्र में, १९,००० औद्योगिक सहकारितायें हैं। अतः मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ है कि ४७ चीनी के कारखाने सहकारी क्षेत्र में खोले गये हैं। अतः मुझे श्री पाटिल से यह सुन कर आश्चर्य हुआ है कि सहकारी क्षेत्र में चीनी के कारखानों की प्रगति सन्तोषजनक नहीं रही है। महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र में चीनी के कारखानों की अच्छी प्रगति हुई है। जहां तक शराब की भट्टियां स्थापित करने की बात है, राज्य सरकार तथा सहकारी क्षेत्र दोनों ने संयुक्त रूप से यह बात कही थी कि वे भट्टियां स्थापित नहीं करना चाहते हैं। उन्हें इस बात पर आपत्ति नहीं थी कि शराब की भट्टी की स्थापना गैर सरकारी क्षेत्र में की जा सकती है। अतः हमने एक व्यक्ति को इसका लायसेंस दे दिया। इसमें कोई पक्षपात नहीं किया गया। अब मैं प्रशिक्षण तथा डिजायन की शिक्षा देने का प्रश्न लेता हूं। बहुत शीघ्र श्रम मन्त्री एक विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं जिसके द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिये यह अनिवार्य कर दिया जायेगा कि वे प्रतिवर्ष विभिन्न वर्गों के दक्ष कर्मचारियों, उच्चतर इंजीनियरों, बिचले मैनेजरों तथा अन्यान्य प्रकार

[श्री मनुभाई शाह]

के टैक्नीशियनों को प्रशिक्षण देवें । अतः न केवल हम वर्तमान के प्रति सतर्क हैं अपितु हम भविष्य के प्रति जागरूक हैं । वस्तुतः हमारे प्रशिक्षित व्यक्तियों पर ही देश का भविष्य निर्भर करता है । सरकारी क्षेत्रों के लिये हमने यह अनिवार्य कर दिया है कि वे अपनी आवश्यकता से १०, १५ या २० प्रतिशत अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण देवेंगे जिससे वे व्यक्ति उनके भावी विकास में तथा देश के औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने को उपलब्ध हो सकें । भोपाल में एशिया का सबसे बड़ा प्रशिक्षणालय है वहां ४३०० नवयुवक प्रशिक्षण ले रहे हैं । उनकी प्रशिक्षण क्षमता को देख कर ब्रिटिश सहकारी फर्म इस बात में सहमत हो गयी कि भारी बिजली के कारखाने का उत्पादन ६।। करोड़ से बढ़ा कर ५० करोड़ प्रतिवर्ष कर दिया जाय ।

अब हम डिजाइनों पर भी बल दे रहे हैं, क्योंकि यह उचित नहीं है कि देश के औद्योगीकरण के लिये टैक्नीकल ज्ञान सदैव विदेशों से ही उपलब्ध हो । मेरे विचार से प्रत्येक परियोजना के लिये विदेशों से सहयोग लेते रहना हमारी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है । इससे औद्योगीकरण का स्वप्न पूरा नहीं हो सकता है । यद्यपि औद्योगिक युग के आरम्भ में ऐसा करना अनिवार्य है । तथापि हमें टैक्नीकल जानकारी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना चाहिये और हम इसी प्रयोजन के लिये चार मशीन रूपांकन संस्थायें खोल रहे हैं । इन चार संस्थाओं के अलावा प्रत्येक सरकारी क्षेत्र में अपने निजी रूपांकन कक्ष होंगे । गैर सरकारी उपक्रमों में भी इस प्रकार के विभागों के कार्यों का यह परिणाम होगा कि पांच या दस वर्ष के भीतर हमें अपने ही देश में ऐसे इंजीनियर उपलब्ध हो जायेंगे जो कि इस क्षेत्र में किसी भी विदेशी इंजीनियरों का मुकाबला कर सकेंगे । जर्मन, अंग्रेज तथा अमेरिकनों की भी यह राय है कि एक औसत भारतीय इंजीनियर बहुत योग्य और चतुर होता है । इससे स्पष्ट है कि देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था का भविष्य बहुत उज्जवल है ।

अब मैं उपक्रमों की लाभकारिता के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं । इस सम्बन्ध में श्री वें०प०नायर ने कुछ आंकड़े दिये हैं तथापि आंकड़े कुछ मामलों में भ्रान्तिपूर्ण हो सकते हैं । निस्सन्देह विशुद्ध लाभ १९५० और १९६१ में उतना ही हुआ जितना वह कहते हैं तथापि यह लाभ उसमें लगायी गयी पूंजी के अनुपात में हैं । पिछले दस वर्षों में इन सभी उद्योगों में २०० से ३०० प्रतिशत तक और पूंजी लगायी गयी है इसलिये कर इत्यादि काट कर वास्तविक लाभ घटा है । मैं इस सम्बन्ध में सभा को कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

श्री नायर ने लाभ के उन देशनांकों को उद्धृत किया है जो कि समवाय विधि विभाग के अध्ययन के आधार पर भारत रक्षित बैंक की बुलेटिन में दिये गये हैं । इसी लेख में दूसरी अनुसूची भी दी गयी है जिसमें विनियोजित पूंजी में विशुद्ध लाभ का अनुपात दिखलाया गया है । इसके आधार पर सभी उद्योगों की लाभकारिता का देशनांक जो कि १९५० में १०० था वह १९५८ में ९३.२ है । वस्तुतः जो नयी पूंजी लगायी गयी है वह अभी इस योग्य नहीं हुई है कि उससे लाभ कमाया जा सके । हमें इस मामले में पूंजी लगाने वाले की निन्दा नहीं करनी चाहिये । श्री वें० प० नायर के बोलने से यह भावना पैदा हो रही थी कि लाभकारिता का प्रतिशत ३०० प्रतिशत से १८० प्रतिशत तक है । जैसा कि प्रसव काल में होता है हमारे यहां उद्योगों से अन्य देशों की अपेक्षा ७ प्रतिशत कम लाभ हो रहा है । मैं आपको प्रत्येक उद्योग के पृथक् आंकड़े नहीं देना चाहता हूं तथापि मेरा मत है कि यह बात गलत है कि उद्योगपति बहुत लाभ कमा रहे हैं और सरकार को यह पता नहीं है । मेरे ज्येष्ठ अधिकारी यह बतायेंगे कि समवाय विधि प्रशासन अन्तर समवाय निगमित विनियोजन और लाभकारिता इत्यादि के सम्बन्ध में और अधिक अध्ययन करना चाहता है ।

मैं देश को यह जानकारी देना चाहता हूं कि हमारा देश एक क्रान्तकारी युग से गुजर रहा है, उसे देश के सहयोग की आवश्यकता है जिससे इसके मार्ग में आने वाली बाधाओं से औद्योगीकरण की गति अवरुद्ध नहीं हो।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : ऐसे समय जबकि देश में औद्योगीकरण का प्रसार हो रहा है दुख की बात है कि सीकर या बीकानेर का कहीं उल्लेख भी नहीं किया गया। सरकार को यह चाहिये कि देश के विभिन्न भागों का उचित विकास हो। इस मामले में विषमता नहीं होनी चाहिये।

यह दुख का विषय है कि चाय उद्योग को कोई ऋण नहीं दिये गये। जब सरकार अन्य सभी उद्योगों को ऋण दे रही है तब कोई कारण नहीं है कि केवल चाय उद्योग को ऋण न दिया जाय।

जूट के सम्बन्ध में जो नीति अपनायी जा रही है वह उचित नहीं है उसका यह परिणाम हो रहा है कि भारतीय जूट यहां से चोरी छिपे पाकिस्तान ले जाया जा रहा है। इसका कारण यह है कि पाकिस्तान में जूट की दरें ऊंची हैं। अमेरिका में पाकिस्तान का पटसन ऊंची कीमत में बिक रहा है जबकि भारतीय जूट की कीमतें वहा पाकिस्तानी पटसन से कम हैं। जूट के सम्बन्ध में कुछ भ्रष्टाचार भी चल रहा है वह यह है कि कुछ लोग जूट को ऊंची कीमत पर बेच रहे हैं तथापि वे अपने खातों में इसकी कीमतें कम दिखलाते हैं।

हमें यह याद रखना चाहिये कि भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा चाय और पटसन से कमा रहा है। अतः हमें चाहियें कि हम इन उद्योगों को यथासम्भव पूरी सहायता देवें।

श्री रामसिंह भाई वर्मा (निमाड़) : अध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों और दो मंत्रियों को सुनने के बाद मैं भी अपने विचार सदन् के सामने रखना चाहता हूं। मैं प्राइवेट सैक्टर को बाद में लूंगा, शुरू में मैं पबलिक सैक्टर के ऊपर-अपने विचार रखना चाहता हूं।

श्रीमन्, यह मानना पड़ेगा कि इन पिछले दस वर्षों में पबलिक सैक्टर ने हिन्दुस्तान के अन्दर अपनी बुनियाद डाल कर जो अपना विकास किया है वह देश के लिए एक अभिमान और सराहनीय बात है। हम यह देखें कि आज से दस साल पहले हिन्दुस्तान में प्राइवेट सैक्टर का बोलबाला था और पबलिक सैक्टर कुछ देशी राज्यों में और स्टेटों में थोड़े बहुत के सिवाय कहीं दिखाई नहीं देता था। पिछले पांच वर्षों के अन्दर हम देखते हैं कि उसने काफी तरक्की की है। इस माप से हम देखें कि पिछले दस वर्षों मे सब मिला कर हमारे देश का उत्पादन कितना बढ़ा तो हम पायेंगे कि लगभग ७१ परसेंट के हमारा उत्पादन बढ़ा है और आजादी की पहले की फीगर्स अगर लें तो हमारा प्रोडक्शन लगभग डबल हो जाता है। पिछले ५ वर्षों के उत्पादन की फीगर्स को अगर हम लें तो पायेंगे कि इन ५ वर्षों में भी हमारे उत्पादन ने काफी तरक्की की है। इसी के साथ साथ जब हम उत्पादन के मूल्य का विचार करते है तो पिछले ५ वर्षों मे हमारे कुछ उद्योगों के जैसे कैमिकल इंजीनियरिंग आदि, उनमें ५० परसेंट, ड्योढ़े के करीब हमारा उत्पादन मूल्य में भी बढ़ा है। इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज का तो ५ वर्षों के अन्दर डबल हो गया है। सन् १९५६ में जहां हमारा १००० करोड़ रुपये का उत्पादन होता था वह बढ़ कर १९६० में १६०० करोड़ रुपये का हो गया है। मैं यह मानता हूं कि हमारी तरक्की, हमारे देश के लिये उत्पादन की तरक्की और हमारे मूल्य की तरक्की एक सराहनीय चीज कही जा सकती है। लेकिन इसी के साथ ही हमें यह मानना होगा कि जब तक हम देश के अन्दर अपनी इंडस्ट्रीज का निर्माण नहीं करेंगे जिनके कि द्वारा हमारे देश में मशीनें तैयार हों और मशीनों के पुर्जे तैयार हों, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि हम ने पूरी तरक्की कर ली है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामसिंह भाई वर्मा]

हमने प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में इंडस्ट्रियल विकास का जो ध्येय रखा है वह एक समाजवादी ध्येय है क्योंकि जनता की जरूरतें पूरी करनी हैं और लोगों को काम देना है। हम इसको स्वीकार करते हैं कि हमारा उत्पादन बढ़ा है और जो उत्पादन हुआ है वह मूल्य में भी बढ़ा है लेकिन इसी के साथ साथ यह भी देखना होगा कि हम ने पबलिक सैक्टर में टोटल पूंजी कितनी लगाई है और पूंजी के परिमाण में हमारा उत्पादन कितना हो रहा है और मूल्य कितना हो रहा है ? जब तक टोटल पंजी हमारे सामने न हो तब तक हम यह कह दें कि हमारा उत्पादन लगभग ७० परसेंट बढ़ गया हमारा उत्पादन का टोटल मूल्य ५० परसेंट बढ़ गया, इससे काम नहीं चलेगा। काम तब चलेगा जब टोटल इनवैस्टमेंट पबलिक सैक्टर में कितना है वह हमें मालूम हो और उसके आधार पर हमारा प्रोडक्शन और उत्पादन मूल्य क्या है उसका पूरा अंदाजा हम तभी लगा सकते हैं।

यह कहना पड़ेगा कि पबलिक सैक्टर के कुछ इडस्ट्रीज तो अभी प्रोडक्शन करने नहीं लगी हैं, कुछ में काम अभी थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है और कुछ इंडस्ट्रीज इस प्रकार की हैं कि काफी वर्षों से प्रोडक्शन कर रही हैं। जिन इंडस्ट्रीज ने अभी काम शुरू किया है या जो शुरू करने वाली हैं उनका मैं जिक्र नही करूंगा। लेकिन जो इंडस्ट्रीज ५ साल से या ७ साल से हमारे देश मे पबलिक सैक्टर के ऊपर चल रही हैं और जो प्रोडक्शन दे ही हैं, मुझे उनके सम्बन्ध में दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि अभी भी जो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वह फुल कैपेसिटी पर नहीं आई है। मेरी समझ में वह कारण नहीं आता कि जिसकी वजह से वह फुल कैपेसिटी पर नहीं आई है।

मंत्री महोदय ने अभी फरमाया था कि प्राइवेट सैक्टर में जो कारखाना लगाते हैं तो पहले साल दो साल कोई प्राफिट नहीं करते हैं लेकिन इस सम्बन्ध में मेरा अनुभव है और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि प्राइवेट सैक्टर मे जो भी कारखाने डले हैं और मेरे पास बैलेंस शीट्स हैं और उनसे साबित होता है कि दूसरे साल में ही प्राइवेट सैक्टर में खुलने वाले कारखानों में मुनाफा होने लगा। मेरे पास प्राइवेट सैक्टर और पबलिक सैक्टर दोनों में चलने वाली इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट्स हैं। एक तरफ पबलिक सैक्टर में एक इंडस्ट्री डाली जाती है और दूसरी तरफ प्राइवेट सैक्टर में स्टार्ट की जाती है और दोनों साथ साथ प्रोडक्शन देने लग जाती हैं, मैं यह देख रहा हूं कि प्राइवेट सैक्टर अच्छा प्राफिट कर रहा है और पबलिक सैक्टर नुकसान कर रहा है। मुझे प्राइवेट सैक्टर से इतना लेना देना नहीं है। मुझे तो पबलिक सैक्टर से लेना देना है क्योंकि वह देश की दौलत है और देश के हित के लिए चलाये जा रहे हैं। प्राइवेट सैक्टर तो मुनाफाखोरी के लिए चल रहा है और गवर्नमेंट चाहे तो उसें कल बन्द कर सकती है। गवर्नमेंट को तो पबलिक सैक्टर में आगे बढ़ना है और देश की जरूरतें पूरी करनी हैं। अपने देश की राष्ट्रीय आय को बढ़ाना है। जो समाजवादी समाज की स्थापना का ध्येय हमने अपनाया है तो उसको कायम करने के लिए पबलिक सैक्टर बहुत जरूरी है। एक तरफ हम विदेशों से उधार लेते हैं और उसका ब्याज भी हम कहीं २ परसेंट और कहीं ४ परसेंट देते हैं और दूसरी तरफ उससे कारखाना डाल कर उत्पादन जो होता है तो ब्याज की रकम जो विदेशों सें हमने उधार ली है, उत्पादन करने के बाद उतनी रकम भी हम अगर वसूल न करें बल्कि उल्टा लौस करें तो हमारे लिए यह एक बड़ी गम्भीर बात है। एक तरफ तो हमारे पास पैसा नहीं है और दूसरी तरफ हमारे पास उद्योग के लिए अच्छे टैक्नीशियंस् नहीं हैं तो इस बात को हमें ध्यान में रखने की जरुरत है कि दरअसल में हम जहां पबलिक सैक्टर खड़ा करते हैं, वह ठीक दिशा में चले। हमें इसकी सावधानी रखनी चाहिए ।

श्रीमन्, मैं यहां ३ बैलेंस शीट्स का जिक्र करना चाहता हूं। दो पबलिक सैक्टर के हैं और एक प्राइवेट सैक्टर का है। पबलिक सैक्टर में चलने वाली एक इंडस्ट्री मे लगभग ३७ करोड़ रुपये की पूंजी रुकी हुई है और पबलिक सैक्टर में ही लने वाली दूसरी इंडस्ट्री में लगभग साढ़े ६ करोड़ से अधिक की पूंजी रुकी हुई है। प्राइवेट सैक्टर में ८ करोड़ रुपये की पूजी लगाई हुई है . . .

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : उनका नाम बताइये ?

श्री रामसिंह भाई वर्मा : एक तो सिंदरी है और दूसरी नेपा है। सिंदरी के अन्दर लगभग ३७ करोड़ रुपये की पूंजी रोकी हुई है और नेपा में लगभग साढ़े ६ करोड़ रुपये की पूंजी लगाई हुई है। यह दोनों पबलिक सैक्टर में हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि उसमे उत्पादन आज से नहीं वर्षों से हो रहा है लेकिन अभी भी उसका प्रोडक्शन पूरी कैपेसिटी के ऊपर नहीं आया है और उसके अन्दर हम नुकसान की ओर जा रहे है। सिंदरी की हालत तो यह है कि योजनाबद्ध जैसे हमारी पंचवर्षीय योजना चलती है उसी तरह से उसमें योजनाबद्ध हमारा प्रोडक्शन गिरता जा रहा है। जब हम उसके प्लांट को बढ़ा रहे हैं और जब कि उसकी पूंजी को हम बढ़ा रहे हैं तो इन दोनों चीजों के बढ़ने से हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए जोकि घटता जा रहा है .

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : अभी तो श्रीमन् शुरुआत ही हुई है और कम से कम पन्द्रह मिनट मैं और लेना चाहूंगा। . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या करूं।

---

* कलकत्ता का विकास

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया) : २८ फरवरी, १९६१ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३९७ के उत्तर में योजना मंत्री ने जो उत्तर दिया था वह अस्पष्ट और द्विविधापूर्ण है। कलकत्ता के मुख्य नगर की जनसंख्या ३५ लाख है और बृहद कलकत्ता की जनसंख्या २० लाख है। यह नगर महलों और गंदी बस्तियों का नगर है। जहां धनी और गरीब एक साथ रहते हैं। नगर की इतनी अधिक जनसंख्या के लिये न तो वहां उचित जल संभरण की व्यवस्था है और न वहां की गंदी नालियों की प्रणाली ही वैज्ञानिक ढंग पर बनायी गयी है।

दुःख का विषय है कि कलकत्ता की कुल आबादी के एक चौथाई व्यक्ति, गंदी बस्तियों मे रहते हैं। लगभग ६ लाख व्यक्ति पटड़ियों पर सोते हैं। २३ प्रतिशत घरों में जलसंभरण की कोई व्यवस्था नहीं है। ८ प्रतिशत नलकूप पिछले १० वर्षों से बेकार पड़े हुए हैं। सारा नगर गंदा और धुए से भरा रहता है। वहां के अस्पतालों में मरीजों को स्थान नहीं मिलता है और न वहां के स्कूल और कालेजों मे ही बालकों को स्थान मिलता है। बालकों को अपनी कक्षाओ में खड़ा रहना पड़ता है। दामोदर घाटी निगम के द्वारा बिजली संभरित न किये जाने के कारण नगर को पूरी बिजली भी नहीं मिल पाती है।

तीसरी योजना में कलकत्ता के विकास के लिये १० करोड़ रुपये की राशि रखी गयी है। जो वास्तव मे बहुत कम है। विश्व बैंक के दल ने यह सिफारिश की है इस कार्य के लिये अधिक राशि उपलब्ध की जाय। विश्व बैंक दल ने अन्य कई महत्वपूर्ण बातों की सिफारिश की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घंटे की चर्चा

[श्री अरविन्द घोषाल]

एक सिफारिश दुर्गापुर से कलकत्ता तक एक्सप्रैस वे बनाने की है। दूसरी सिफारिश यह है कि हलदिया की गौणपत्तन तीसरी योजना की अवधि में तैयार कर दी जाय। यह भी बताया गया है कि इस योजना की लागत ज्यादा न होगी। अत: विश्व बैंक मिशन की मुख्य सिफारिशें यही हैं।

बम्बई के इकनामिक वीकली में लिखा है कि कलकत्ता के विकास को राष्ट्रीय आधार पर करना उपयुक्त है क्योंकि एक तो विस्थापितों की समस्या है और दूसरे वह देश का बड़ा नगर है। वहां उद्योगों का बाहुल्य है और इसी कारण स्थान स्थान से श्रमिक वहां जाकर काम करते हैं। यह राय केवल बंगालियो की ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों की है।

कलकत्ता के विकास की बात पर अपना ब्यान देते हुए पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने बताया कि इसके विकास के लिए २०० करोड़ रुपया या तो केन्द्र से या राज्य से उपलब्ध करना होगा। तभी कलकत्ता के हालात को ठीक किया जा सकता है और इसे तबाही से बचाया जा सकता है।

अत: मैं प्रार्थना करता हूं कि केन्द्रीय सरकार योजना के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार की सहायता करे। फोर्ड फाउंडेशन ने भी इस काम का सर्वेक्षण किया है। उन्होंने कहा है कि विश्व बैंक से भी सहायता लेनें की कोशिश की जाय। सरकार पब्लिक लां ४८० के अधीन प्राप्त होने वाली सहायता को भी कलकत्ता के विकास के लिए प्रयोग कर सकती है। यह दुखकी बात है कि प्रधान मंत्री ने इस नगर को मृत नगर कहा है। इसे बचाना सरकारही का काम है।

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)**: माननीय सदस्य कलकत्ता की समस्याओं की जानकारी देना चाहते थे परन्तु बात यह है कि सरकार को उन सब बातों का पहले से ही ज्ञान है। वस्तुत: माननीय सदस्य ने कलकत्ता के बारे में जो जानकारी दी है वह सरकारी सर्वेक्षण के प्रतिवेदन पर ही आधारित है। योजना आयोग ने प्रोफैसर सेन की मार्फत यह सर्वेक्षण करवाया था।

इसके बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता कि कलकत्ता की समस्यायें बड़ी भयानक हैं और वहां की हालत खराब है। किन्तु कलकत्ता के प्रति हमारे कर्तव्य को जतलाने के लिए माननीय सदस्य के कहने की जरूरत नहीं। हम ही ने सर्वेक्षण करवाया था। जल संभरण, नालियों और अन्य हालात का सर्वेक्षण कराया गया था और बाद में फोर्ड फाउंडेशन ने भी इस काम में रुचि ली और कुछ काम किया।

आरंभिक जांचों के फलस्वरूप यह भी बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में कुछ समन्वयात्मक व्यवस्था की जानी चाहिए। जुलाई तक तीन चार विशेषज्ञों के एक दल को नियुक्त करने की जरूरत है और थोड़े अर्से में वह अपनी रिपोर्ट दे देंगे।

विश्व बैंक मिशन की रिपोर्ट का उद्धरण देकर माननीय सदस्य ने यह कहा है कि कलकत्ता का सारा खर्चा सरकार को करना चाहिए। तीसरी योजना में केन्द्रीय सरकार ने इस काम के लिए १० करोड़ रुपये की व्यवस्था की है और १ करोड़ रुपया बंगाल सरकार ने रखा है। सभी इसी प्रकार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

यह भी पूछा गया है कि सरकार केवल कलकत्ता ही में ही इतनी रुचि किस कारण से ले रही है? किन्तु यह आपत्ति करने वाले लोग इस बात को भूल जाते हैं कि कलकत्ता की समस्या महान व्यापक समस्या है और इसे राष्ट्रीय आधार पर ही हल किया जा सकता है।

कुछ योजनायें चल रही हैं। चार थानों में २५,००० एकड़ के क्षेत्र का विकास करने की योजना है। जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा यह स्वत: निर्भर योजना है। क्षेत्र के [illegible] ने के

†मूल अंग्रेजी में

साथ साथ खर्चा भी पूरा होता जायगा । निस्संदेह विश्व स्वास्थ्य संगठन की योजना सीमित प्रकार की योजना है । बंगाल सरकार पहले की गयी सिफारिशों पर विचार कर रही है । विश्व स्वास्थ्य संघ ने भी अपना अंतिम प्रतिवेदन दे दिया है ।

जहां तक कलकत्ते में खारी पानी के स्थान पर मीठे पानी की व्यवस्था करने का प्रश्न है, माननीय सदस्य जानते हैं कि यह काम आसान नहीं है । फरक्का बांध इसी समस्या को हल करने के लिए है । इसे तीसरी योजना में शामिल कर लिया गया है ।

इसके बाद फोर्ड फाउंडेशन की तहरीक है । इस का कार्यक्रम व्यापक है । आखिर हम सारे दलों को केवल इस कारण से तो नहीं भेज रहे कि ये केवल जानकारी ही प्राप्त करते रहें । हमारी इच्छा यही है कि उचित योजना बने और उसे कार्यान्वित किया जाय । उन्हें यह भी सोचना है कि कार्यान्विति किस प्रकार से की जाय ।

अमरीका के जाने वाले राजदूत के व्याख्यान का भी उल्लेख किया गया । इसे गलत समझा गया है । वस्तुतः राजदूत की इच्छा अनिच्छा से ही ज्यादा कुछ नहीं हो सकता । विश्व बैंक के मिशन की रिपोर्ट में कलकत्ता के बारे में काफी कुछ कहा गया है । अन्य शहरों की अपनी समस्यायें हैं । किन्तु कलकत्ता के बारे में हम विशिष्ट रूप से अपनी खास जिम्मेदारी समझते हैं । इस लिए यथाशक्ति हम इस काम में सहायता करेंगे । जहां तक पब्लिक लॉ ४८० के अधीन प्राप्त सहायता का सम्बन्ध है उस सम्बन्ध में समय समय पर उपयुक्त योजनाएं केन्द्र द्वारा बनाई जाती हैं । उसके बाद उन योजनाओं को सहायकों के पास भेजा जाता है और विचार के बाद योजनाएं स्वीकार कर ली जाती हैं ।

मैं पुनः यह बताना चाहता हूं कि हमें सारी समस्या का पूरा-पूरा ज्ञान है और हम इस पर ध्यानपूर्वक विचार भी करते रहे हैं। हमारे ही कहने पर सर्वेक्षण किये गये हैं और सारा काम हुआ है ।

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालदा) : क्या योजना आयोग ने खर्चे की जिम्मेदारी ली है ?

†**श्री नन्दा :** हर बात का उत्तर मैं दे चुका हूं । हमें शायद विदेशी मुद्रा की आवश्यकता भी पड़े । हम विदेशी सहायता में से इसके लिए यथोचित व्यवस्था करेंगे । इस समय हमने कुछ व्यवस्था की है । जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे हम और भी व्यवस्था करते जायेंगे ।

इसके पश्चात् लोक-सभा, मंगलवार, ११ अप्रैल, १९६१ / २१ चैत्र, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

सोमवार, १० अप्रैल, १९६१

२० चैत्र, १८८३ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर .	४८३५—५५
तारांकित	
प्रश्न संख्या	
१४०४ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की काम की शर्तें .	४७३५—३७
१४०५ सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा . . .	४७३७–३८
१४०६ पनडुब्बी-वेधी 'एलाइज' विमान . . .	४७३८—४०
१४०७ चाय पर आसाम सड़क कर और पश्चिम बंगाल प्रवेश कर .	४७४०—४२
१४०८ छात्रों में राष्ट्रीय चेतना .	४७४२–४३
१४०९ दुर्गापुर का कोयला धोने का कारखाना . . .	४७४३—४५
१४१० ब्रेल लिपि की पुस्तकें	४७४५–४६
१४११ कालेजों का विश्वविद्यालयों से सम्बन्ध . .	४७४६–४७
१४१२ विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के अध्यापकों के वेतन .	४७४७—५०
१४१४ डाक बचत में जमा रकमों पर आयात . .	४७५०
१४१६ हिमाचल प्रदेश में दुर्घटना . . .	४७५१
१४१७ तेल कम्पनियों में भारतीयों का हिस्सा . .	४७५१—५३
१४१९ उड़ीसा में जिला परिषदों के चुनाव . .	४७५३–५४
१४२१ दिल्ली में गृहकर	४७५४–५५
१४२२ उड़ीसा सरकार के वर्ग ४ के कर्मचारी .	४७५५
अल्प सूचना	
प्रश्न संख्या	
१४ मिट्टी के तेल की दरों में वृद्धि . .	४७५६–५७
प्रश्नों के लिखित उत्तर . . .	४७५७—९२
तारांकित	
प्रश्न संख्या	
१४१३ औषधीय जड़ी बूटियों का सर्वेक्षण . . .	४७५७–५८

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर---क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

१४१५	विश्व में वैज्ञानिक तथा सांकृतिक इतिहास . .	४७५८
१४१८	मंदसौर में पोस्त की फसल . .	४७५६
१४२०	गोहाटी का तेल शोधक कारखाना . .	४७५६
१४२३	बीमा कर्मचारियों की मांगें . . .	४७५६-६०
१४२४	कुवेत में भारतीय मुद्रा का वापस लिया जाना . .	४७६१
१४२५	ग्राम्य संस्थाओं के डिप्लोमे . . .	४७६१—६२
१४२६	सीमावर्ती क्षेत्रों में असैनिक व्यक्ति . . .	४७६२
१४२७	दिल्ली में जमीन	४७६३
१४२८	गैर-सरकारी क्षेत्रों में कच्चे लोहे का उत्पादन .	४७६३
१४२९	गूंगे और अंधे व्यक्तियों के लिये रोजगार सम्बन्धी सुविधायें	४७६४
१४३०	नेशनल साइकिलस्ट फैडेरेशन आफ इंडिया .	४७६४
१४३१	पाकिस्तान से रुपये की वसूली .	४७६४
१४३२	नैमित्तिक श्रमिक	४७६५

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२९७३	पंजाब में पिछड़े वर्गों का कल्याण . .	४७६५
२९७४	श्रीलंका में भारतीय गैर-सरकारी विनियोजन . .	४७६५—६६
२९७५	महाराष्ट्र में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक . .	४७६६
२९७६	महाराष्ट्र में केन्द्रीय 'बाद की देखभाल' गृह .	४७६७
२९७७	दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद्	४७६७
२९७८	पेंशनर	४७६७
२९७९	पेंशन सम्बन्धी मामलों का निबटारा . .	४७६७—६८
२९८०	लौह अयस्क आदि का उत्पादन .	४७६८
२९८१	सैलम में इस्पात संयंत्र . .	४७६९
२९८२	उड़ीसा में आदिम जातीय ग्राम्य कल्याण योजनायें .	४७६९
२९८३	व्यय की मंजूरी देने से पहले प्रस्थापनाओं की जांच .	४७६९—७०
२९८४	विदेशी तेल शोधन कारखानों आदि का लाभ	४७७०
२९८५	ऐपीलेट असिस्टेंट कमिश्नरों के समक्ष लंबित अपीलें .	४७७०
२९८६	विदेशी नौवहन सार्थों को दिया गया भाड़ा .	४७७१

GMGIPND—LS III—395 (Ai) LSD— 6-6-61—125.

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—**क्रमशः**	
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२९८७	"बाद की देखभाल" गृह	४७७१
२९८८	उड़ीसा में आग	४७७१–७२
२९८९	पंजाब में प्राथमिक शिक्षा	४७७१
२९९०	हीरों का तस्कर व्यापार	४७७२–७३
२९९१	आसाम चाय पर उत्पादन शुल्क	४७७३
२९९२	मद्रास राज्य में कोक भट्टी संयंत्र	४७७३
२९९३	दिल्ली में अकाली आन्दोलन	४७७३–७४
२९९४	भारतीय विश्वविद्यालयों में पश्चिम जर्मनी के अध्यापक	४७७४
२९९५	पंजाब में योग्यता एवं साधन छात्रवृत्तियां	४७७४–७५
२९९६	पंजाब और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालयों के अध्यापक	४७७५
२९९७	राजस्थान में केन्द्रीय करों में कमी	४७७६
२९९८	गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिये, इंगलैण्ड से ऋण	४७७६
२९९९	नागार्जुन कोंडा की खुदाइयां	४७७६–७७
३०००	फुब्बारा कार	४७७७
३००१	अवैध शस्त्र निर्माता समवाय	४७७७
३००२	मद्रास में संक्षित स्मारक	४७७८
३००३	बैंक आफ चाइना के मैनेजर के विरुद्ध मामला	४७७८
३००४	दिल्ली में बम्बई तक विदेशी शराब का तस्कर व्यापार	४७७८
३००५	त्रिपुरा में आदिम जातीय भूमिधारी	४७७९
३००६	त्रिपुरा में फौजदारी मामले	४७७९
३००७	सबरूम त्रिपुरा में प्रदर्शन	४७७९–८०
३००८	उन्नत पैट्रोलियम उत्पादों को रखने के लिये भण्डार बनाना	४७८०
३००९	उड़ीसा में साहित्य रचनालय	४७८०
३०१०	असैनिक कर्मचारियों को मकान-किराया भत्ता	४७८०–८१
३०११	जनगणना	४७८१
३०१२	उड़ीसा में लड़कियों की शिक्षा	४७८१–८२
३०१३	राज्य में विभिन्न कारों की बकाया	४७८२
३०१४	मिट्टी के तेल और डीजल तेल की भंडार क्षमता	४७८२
३०१५	विदेशी भुगतान	४७८२

विषय | पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३०१६ निर्वाचन याचिकायें ४७८३
३०१७ आन्ध्र की लोहे और इस्पात की आवश्यकता . . ४७८३-८४
३०१८ राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, लखनऊ . . . ४७८४-८५
३०१९ त्रिपुरा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को बोर्डिंग अधिछात्रवृत्तियां . . ४७८५
३०२० त्रिपुरा के विद्यार्थियों के लिये प्रवेश परीक्षा . . . ४७८५-८६
३०२१ अगरताला हवाई अड्डे के निकट हाई स्कूल . . . ४७८६
३०२२ मनीपुर का प्राचीन महल ४७८६
३०२३ उखरूल, मनीपुर में दुर्लभ किस्म का फूल . . . ४७८६
३०२४ उड़ीसा में भूमिहीन श्रमिकों को फालतू भूमि का दिया जाना . ४७८७
३०२५ केरल में हिन्दी ४७८७
३०२६ पाकिस्तानी चलार्थ (करेंसी) का पकड़ा जाना . . ४७८८
३०२७ केन्द्रीय बैंकों के गवर्नरों का सम्मेलन . . . ४७८८
३०२८ द्वि विवाह ४७८८
३०२९ भारतीय प्रशासन सेवा की परीक्षाओं में हिन्दी का पाठ्यक्रम . ४७८९
३०३० चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ४७८९
३०३१ असिस्टेंट ४७८९-९०
३०३२ राजेन्द्रनगर, नई दिल्ली में पत्थर गिरने का रहस्य . ४७९०
३०३३ प्लास्टिक की वस्तुओं का पकड़ा जाना . . ४७९०-९१
३०३४ पंजाब में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिये व्यावसायिक शिक्षा . ४७९१
३०३५ हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा . ४७९१-९२

निधन सम्बन्धी उल्लेख ४७९२

अध्यक्ष महोदय ने डा० नटवर पाण्डेय के निधन का, जो प्रथम लोक-सभा के सदस्य थे, उल्लेख किया ।

इस के पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर तक मौन खड़े रहे ।

मन्त्रियों द्वारा वक्तव्य ४७९२--९४

(एक) गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) ने पश्चिम बंगाल के बैरा गांव से पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस के सिपाहियों द्वारा

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य—क्रमशः विषय पृष्ठ

अपहृत ले० कर्नल भट्टाचार्य की हालत के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(दो) प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) ने ३ अप्रैल, १९६१ को जम्मू और काश्मीर की कठुआ सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं के भारतीय राज्य क्षेत्र में प्रवेश और उन के द्वारा भारतीय सेनाओं पर गोली चलाये जाने के बारे में एक वक्तव्य दिया।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४७९४

(१) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४७९ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिल्ली नगर निगम [महापौर (मेयर) के लिये सुविधायें] नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १८ मार्च, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या २१/१३/६० दिल्ली की एक प्रति।

(२) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १८० क की उप धारा (२) के परन्तुक के अन्तर्गत दिनांक ४ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २६८८ की एक प्रति।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित ४७९४

एक सौ अट्ठाईसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

अनुदानों की मांगें ४७९४-४८२७

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

आधे घंटे की चर्चा ४८२७-२९

श्री अरविन्द घोषाल ने कलकत्ते के विकास के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ३९७ के २८ फरवरी, १९६१ के दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई।

श्रम और रोजगार तथा योजन मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

गुरुवार, ११ अप्रैल, १९६१/२१ चैत्र, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि—

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा तथा मतदान, प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा।